प्रकाशक
रामप्रसाद एण्ड सन्स
हॉस्पिटल रोड, आगरा

प्रथम संस्करण, सितम्बर १९५२
द्वितीय संशोधित संस्करण, अगस्त १९५३

Price Rupees Five only

मुद्रक
श्यामसुन्दर श्रीवास्तव
नेशनल हेराल्ड प्रेस, लखनऊ

दो शब्द

आय-कर विधान एक कठिन विषय है। यह इतनी पेचीदगियो से भरा है कि कभी-कभी तो इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अमुक प्राप्ति कर-देय आय है अथवा नही, और किसी-किसी स्थिति में तो न्यायाधीशो के मत भी एक-दूसरे के विपरीत हो जाते है।

यह सब कुछ होते हुए भी इस विषय पर कुछ सुन्दर ग्रन्थ लिखे जा चुके है, परन्तु उनमे विषय का इतने विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा उनमे न्यायालयो द्वारा दिये गए निर्णयो की इतनी भरमार है कि बी० कॉम० कक्षा के विद्यार्थियो को विषय के समझने मे बडी कठिनाई होती है।

प्रस्तुत पुस्तक मे आय-कर विधान की मुख्य-मुख्य धाराओ को सरल भाषा मे उपयुक्त उदाहरणो की सहायता से समझाने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थियो को इस विषय का अध्ययन करने मे जिन-जिन कठिनाइयो का सामना करना पडता है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुस्तक के अत मे उत्तर-सहित प्रश्न दिये है जो विषय को समझाने मे विशेष सहायक होगे।

इस पुस्तक की तैयारी मे श्री मालीराम, एम० कॉम०, प्रोफेसर सेठ जी० बी० पोद्दार कॉलिज, नवलगढ ने मुझे जो सहायता दी है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

मै श्री जयनारायण वैश्य, एम० ए० (कॉम०), जी० डी० ए०, एफ० सी० ए०, प्रिन्सिपल, श्रीराम कॉलिज ऑफ कॉमर्स, देहली के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होने मुझे इस पुस्तक के लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

दिल्ली, चन्द्रभान गुप्त
१ जून, १६५२

दूसरे संस्करण के विषय में

इस पुस्तक के पहले सस्करण को छपे अभी पूरा एक वर्ष भी नही हुआ है। इस थोडेसे समय मे आयकर के शिक्षको ने जिस प्रकार इसको अपनाया है वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होने इसे विद्यार्थियो के लिए हितकर समझा है। कुछ पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित इसकी प्रशसायुक्त तथा उत्साहवर्धक समालोचनाएँ भी मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मेरा प्रयास निष्फल नही गया है।

कई एक शिक्षको ने मुझे इस पुस्तक के सुधारने के लिए सुझाव भेजने की कृपा की। इन सज्जनो मे प्रोफेसर बी० डी० भार्गव, अध्यक्ष कामर्स-विभाग, महाराजा कालिज, जयपुर का मै विशेष रूप से आभारी हू। जहा तक भी हो सका है मैने लगभग सभी सुझावो से प्रस्तुत सस्करण को तैयार करने में लाभ उठाया है।

इस संस्करण को तैयार करने में आयकर सशोधन ऐक्ट १९५३ और फाइनेन्स ऐक्ट १९५३ की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है और इनकी लगभग सभी महत्त्वपूर्ण बातें उपयुक्त स्थानो पर समझाई गई है।

पुस्तक के अन्त मे दिये गये उत्तर सहित प्रश्नो की सख्या पहले से दुगनी कर दी गई है और यह आशा की जाती है कि उससे विद्यार्थियो को विषय के समझने मे बहुत सहायता मिलेगी।

चन्द्रभान गुप्त

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ

परिशिष्ट

अध्याय १

भारतीय आय-कर का विकास

आधुनिक काल मे आय-कर का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है। प्रगतिशील राष्ट्रो मे यह समाज के विभिन्न वर्गों में स्थित आर्थिक विषमता को दूर करने तथा सरकार को विशाल आय प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा जाता है।

भारतवर्ष मे सर्वप्रथम सन् १८६० मे आय-कर (Income-Tax) का सूत्रपात हुआ। सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) ने १८५७ के गदर के व्यय को चुकाने के लिए २००) से ५००) तक की आय पर २ प्रतिशत तथा ५००) से अधिक आय पर ४ प्रतिशत के हिसाब से आय-कर लगाया। परन्तु यह योजना अधिक सफल न होने के कारण अगस्त १८६३ मे इसमे कुछ परिवर्तन किये गये और आय-कर केवल ५००) से अधिक की आय पर ही कर दिया गया और वह भी ३ प्रतिशत के हिसाब से। परन्तु सरकार की आर्थिक कठिनाइयो के कारण सन् १८६७ मे आय-कर की दर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से कर दी गई। सन् १८७१ में सरकार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाने के कारण आय-कर की दर २ पाई प्रति रुपया कर दी गई और ७५०) रुपये से अधिक आय पर ही आय-कर लगाया गया। १८७३ मे न्यूनतम आय-कर सीमा (Minimum Taxation Limit) १०००) कर दी गई। परन्तु इसी वर्ष यह, आय-कर विल (Income-Tax Bill) की अवधि समाप्त होने के कारण, वापिस ले लिया गया।

सन् १८७८ मे आय-कर के स्थान पर लाइसेंस-कर (Licence-Tax)

लागू किया गया जो १८८६ तक चलता रहा। सन् १८८६ ई० में एक नया बिल असेम्बली में रक्खा गया जिसके द्वारा वेतन, पेन्शन, कम्पनियों के लाभ, सिक्यूरिटियों से प्राप्त होनेवाले व्याज तथा अन्य साधनों से होने वाली आय पर, जो ५००) से अधिक थी, आय-कर लगाया गया। सन् १९०३ में आय-कर लगनेवाली सीमा को ५००) से बढ़ाकर १०००) कर दिया गया। यह आय-कर ऐक्ट सन् १९१७ तक चलता रहा, परन्तु इसमें समय-समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे। सन् १९१८ में एक नया आय-कर ऐक्ट बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आय-कर सीमा बढ़ाकर २०००) कर दी गई, परन्तु सन् १९१९ के भारत-सरकार के विधान (Government of India Act of 1919) के अनुसार आय-कर को केन्द्रीय आय का साधन घोषित कर दिया गया। इसलिए सन् १९२२ में एक नया आय-कर ऐक्ट (Income-Tax Act of 1922) पास किया गया जो अंग्रेजी आय-कर पद्धति पर आधारित था। इसी ऐक्ट द्वारा एक बोर्ड की स्थापना की गई तथा यह निश्चय किया गया कि आय-कर की दरें (Rates of Income-Tax) प्रति वर्ष वार्षिक राजस्व ऐक्ट (Annual Finance Act) द्वारा निर्धारित की जायेगी।

सन् १९२२ का आय-कर ऐक्ट (Income-Tax Act of 1922) ही आय-कर की आधार-शिला है, परन्तु इसमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं और विशेषकर सन् १९३९ ई० में। सन् १९२४ में सैण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) की स्थापना हुई। यह टोडहण्टर कमेटी (Todhunter Committee), जो इसी वर्ष सरकार द्वारा आय-कर की जाच करने के लिए नियुक्त की गई थी, की सिफारिशों का ही प्रतिफल था कि इसी वर्ष तथा १९२६ में आय-कर ऐक्ट में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन व संशोधन हुए। सन् १९३५ में भारत-सरकार ने एक नई कमेटी (The Ayerr Committee) भारतीय आय-कर की जाच करने तथा इसके भार और उसकी व्यवस्था

की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की। इस कमेटी ने ईमानदार आयकर-दाताओ को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए तथा बेईमानी से आय-कर बचाने के साधनो को कम से कम करने के लिए बहुत ही महत्त्व-पूर्ण सिफारिशे पेश की। इसी कमेटी की सिफारिशो के आधार पर सन् १९३८ मे एक नये बिल द्वारा भारतीय ससद मे १९२२ के आय-कर ऐक्ट को सुधारने के लिए कुछ सशोधन (Amendments) पेश किये। सन् १९३९ मे यह बिल भारतीय आय-कर ऐक्ट, १९३९ (The Indian Income-Tax Amendment Act of 1939) के रूप मे पास हो गया। इस ऐक्ट ने भारतीय आय-कर विधान के बहुत से दोषो को दूर कर दिया और भारतीय आय-कर ऐक्ट को एक वैज्ञानिक रूप दे दिया।

सन् १९३९ के आय-कर ऐक्ट के अनुसार अब आय-कर केवल आय पर ही नही लगता है परन्तु यह कुछ ऐसी पूजीगत प्राप्तियो (Capital Receipts) पर भी लगाया जाता है जो आय की परिभाषा मे सम्मिलित कर ली गई है। अब आय-कर(Income-Tax)तथा अतिरिक्त आय-कर (Super-Tax) दोनो ही आय के विभिन्न टुकडो (Slabs) पर विभिन्न दरो के अनुसार लगने लगा है। इस पद्धति को Slab System कहते है। सन् १९३९ के पहले आय-कर इस पद्धति के अनुसार न लगाया जाकर Step System के अनुसार लगाया जाता था। इस Step System के अनुसार समस्त आय पर एक ही दर के अनुसार आय-कर लगाया जाता था। उदाहरणार्थ पुराने ऐक्ट के अनुसार २०००) तक की आय पर कोई आय-कर नही लगता था परन्तु २०००) से ५०००) तक की आय पर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से कर लगता था और ५०००) से १००००) तक की आय पर ९ पाई प्रति रुपये के हिसाब से समस्त आय पर कर लगता था। इसी पद्धति को Step System कहते थे क्योकि आय-कर की प्रतिशत प्रत्येक Step पर बहुत अधिक बढ जाती थी जैसे ० से ३ ९ प्रतिशत और ३ ९ प्रतिशत से ४ ७ प्रतिशत और इसी प्रकार

आय की वृद्धि के साथ यह प्रतिशत भी बढती रहती थी। परन्तु Slab System मे ऐसा नही होता है। Slab System के अनुसार १५००) तक की आय के Slab पर तो कोई आय-कर नही लगता है। आय के दूसरे ३५००) रुपये के Slab पर ६ पाई के हिसाब से आय-कर लगता है, चाहे आय कितनी भी अधिक क्यो न हो। इसी प्रकार आय के प्रत्येक Slab पर एक ही दर से आय-कर लगाया जाता है। ज्यो-ज्यो आय बढती जाती है उसी के अनुसार आगे वाली Slab की आय-कर दरे भी बढती जाती है। प्रत्येक Slab की आय-कर दरे (Income-Tax rates) प्रति वर्ष Annual Finance Act द्वारा निश्चित की जाती है। यह नई पद्धति पुरानी पद्धति से अधिक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण है।

द्वितीय महायुद्ध काल मे आय-कर ऐक्ट में समय-समय पर अनेक महत्त्व-पूर्ण सशोधन व परिवर्त्तन हुए। यह ऐक्ट १९४०, १९४१, १९४२, १९४४, १९४५ तथा १९४६ मे परिवर्तित किया गया। सन् १९४४ में एक नई योजना जिसे "कमाते जाओ, कर देते जाओ" योजना (Pay as you earn scheme) कहते है देश में मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए चालू की गई। सन् १९४५ में कमाई हुई आय पर छूट (Earned Income Allowance) मिलने का सूत्रपात भी सर्वप्रथम भारत मे किया गया।

सन् १९४६ में भारत की स्वतन्त्रता का बीजारोपण हुआ और भारतीय अन्तरिम सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने नमक-कर का उन्मूलन किया परन्तु इससे होनेवाले घाटे की पूर्ति के लिए सन् १९४७ में पूजी-लाभकर (Capital Gains Tax) तथा व्यापार-लाभ-कर (Business Profits Tax) को चालू किया गया। इसी वर्ष न्यूनतम आय-कर सीमा को २०००) से बढाकर २५००) कर दिया गया। इसी वर्ष एक आय-कर जाच कमीशन (Income-Tax Investigation Commission) की नियुक्ति की गई, परन्तु इन नये करो के कारण भारतीय आर्थिक विकास को गहरा धक्का लगा।

उद्योगपति नये कल-कारखानो मे पूजी लगाने से हिचकिचाने लगे, परन्तु भूतपूर्व अर्थ-मन्त्री डॉक्टर जान मथाई ने सन् १९४९ मे पूजी लाभ-कर तथा १९५० मे व्यापारिक लाभ-कर को हटाकर देश मे पूजी-सचय को बहुत प्रोत्साहन दिया।

सन् १९४७ के जाच-कमीशन (Income-Tax Investigation Commission) की सिफारिशो के आधार पर १९५१ मे एक बिल आय-कर विधान मे सशोधन करने के लिए पेश किया गया, परन्तु यह बिल किन्ही कारणो से पास न हो सका। १९५३ के बजट अधिवेशन मे एक नया बिल भारतीय आय-कर ऐक्ट को सुधारने के लिए लाया गया और वह भारतीय आय-कर सशोधन ऐक्ट, १९५३ (The Indian Income-Tax Amendment Act of 1953) के रूप मे पास हो गया।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात, जो १९५३ मे हुई वह थी 'कर-जाच-कमीशन' (Taxation Inquiry Commission) की नियुक्ति। पिछले कई वर्षो से इस बात की आवश्यकता समझी जा रही थी कि देश मे प्रचलित करो का एक वैज्ञानिक तौर पर निरीक्षण होना चाहिये, परन्तु देश मे वैधानिक परिवर्तनो के कारण ऐसे जाच-कमीशन की नियुक्ति अब तक न हो सकी थी। इस कमीशन के अध्यक्ष डॉ० जान मथाई है और उनके अतिरिक्त पाच और सदस्य है। कमीशन ने अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है और आशा है कि दो वर्ष से पूर्व ही यह अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकेगे।

एक और बात जो सन् १९५३ में हुई, वह यह है कि सन् १९५३ के फाइनेन्स ऐक्ट के अनुसार न्यूनतम आयकर-सीमा ३६००) से ४२००) कर दी गई है।

भारतीय आय-कर ऐक्ट का विस्तार।—१५ अगस्त सन् १९४७ के पूर्व भारतीय आय-कर ऐक्ट, १९२२ केवल बरारसहित ब्रिटिश-भारत पर ही लागू था, परन्तु १ अप्रैल सन् १९५० से यह ऐक्ट सपूर्ण भारत

में, सिवाय रियासत जम्मू व काश्मीर और पटियाला व ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के, लागू कर दिया गया और १३ अप्रैल सन् १९५० से पटियाला व ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में भी यह लागू कर दिया गया। अब यह आय-कर ऐक्ट केवल जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है और उस रियासत में भी भारत-सरकार व अन्य राज्यों के कर्मचारियों पर यह ऐक्ट लागू होता है परन्तु जम्मू व काश्मीर राज्य के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है।

भारतीय आय-कर पदाधिकारी (Indian Income-Tax Authorities) —भारतीय आय-कर विभाग को सुचारु रूप से चलाने तथा आय-कर ऐक्ट को कार्यरूप में लाने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किये हैं —

(१) सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue)—इस बोर्ड में दो सदस्य होते हैं और यह बोर्ड भारत-सरकार द्वारा आय-कर, अतिरिक्त-कर, चुंगी, कस्टम्स आदि समस्त सरकारी राजस्व का नियन्त्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड का एक सदस्य सम्पूर्ण भारत के आय-कर विभाग का नियन्त्रण करता है और भारत सरकार उसी की सिफारिशों के अनुसार कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इनकमटैक्स अफसरों को नियुक्त करती है। इस बोर्ड को आय-कर विभाग के समस्त अफसरों को आदेश व सूचनाएँ भेजने का अन्तिम अधिकार है, परन्तु इसे अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नरों के अपील के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

(२) डायरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन.—डायरेक्टरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी और यह सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की देख-रेख में ऐसे सब काम करेंगे जो केन्द्रीय सरकार इनके सुपुर्द करेगी। यह आयकर अफसरों को, जो इनके क्षेत्र में काम करते हैं, समय-समय पर ऐसे आदेश दे सकते हैं जो किसी असेसमेंट से सम्बन्ध रखते हों। Inspecting

Assistant Commissioner डायरेक्टर के नियत्रण मे काम करेगे।

(३) कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स (Commissioner of Income-Tax) ––कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स किसी स्टेट या क्षेत्र के आय-कर विभाग का अध्यक्ष होता है। वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे अपने क्षेत्र के आय-कर विभाग का प्रबन्ध करने का पूर्ण अधिकार होता है। उसे धारा ३३ ए और बी के अन्तर्गत इनकमटैक्स अफसरो की आज्ञाओ की निगरानी (Review) करने का अधिकार होता है।

(४) इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistant Commissoner) —इन्सपेक्टिग असिस्टेट कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ इन्सपेकशन और कमिश्नर के नियन्त्रण मे रहता है और उसका कार्य अपने क्षेत्र के समस्त इनकमटैक्स अफसरो के कार्य का निरीक्षण करना है। इसकी अनुमति के विना इनकमटैक्स अफसर न तो कोई दड (Penalty) लगा सकता है और न अभियोग (Prosecution) ही लगा सकता है।

(५) इनकमटैक्स अफसर (Income-Tax Officer):— आय-कर लगाकर उसे वसूल करनेवाला इनकमटैक्स अफसर ही होता है। वही सूचनाएँ प्रकाशित करता है, साक्षी लेता है, कर निश्चित करता है और उसे वसूल करता है। उसकी सहायता के लिए इन्सपेक्टर, हिसाब-निरीक्षक व पब्लिक रिलेशन्स अफसर भी होते है।

(६) इन्सपेक्टर ऑफ इनकमटैक्स.—इनकी नियुक्ति कमिश्नर करेगा और यह ऐसे सब काम करेगे जो इनको इनकमटैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहेगा।

(७) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) —अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीधे नियन्त्रण में होता है और उसका प्रमुख कार्य इनकमटैक्स अफसरो की आज्ञाओ (Orders) के विरुद्ध अपील सुनना है।

(८) अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal).—यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है और इसके सदस्यो की सख्या भारत-सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसमे जुडिशल और एकाउण्टेण्ट दोनो ही सदस्य होते है परन्तु सभापति साधारणतया जुडिशल सदस्य ही होता है। यह अपील सुनने की सर्वोच्च अदालत है और यह अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णयो के विरुद्ध तथ्य (Facts) और कानून (Law) सम्बन्धी दोनो ही प्रकार के प्रश्नो के विषय की अपील सुनती है। तथ्य (Facts) प्रश्नो के सबध मे इसका निर्णय अंतिम (Final) होता है। यदि कर-दाता (Assessee) या कमिश्नर ट्रिब्यूनल के कानूनी प्रश्नो के निर्णय से सतुष्ट न हो तो वे ट्रिब्यूनल से उन कानूनी प्रश्नो को उच्च न्यायालय (High Court) के सम्मुख रखने के लिए प्रार्थना कर सकते है।

यदि कर-दाता या कमिश्नर उच्च न्यायालय के निर्णय से भी सतुष्ट न हो तो उनमें से कोई भी धारा ६६ ए के अनुसार उच्च न्यायालय से अपील करने का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) मे कर सकता है।

अध्याय २

आय-कर की प्रमुख परिभाषाएं

आय-कर कानून की धारा २ में कुछ शब्दो की परिभाषाए दी गई है जिनमे से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित है —

(१) कृषि आय (Agricultural Income) —आयकर ऐक्ट के अनुसार कृषि आय उस जमीन की आय को माना जाता है जो (१) कृषि के कामो मे लाई जाती है, (२) जिस पर टैक्स लगनेवाले क्षेत्रो (Taxable Territories) मे सरकार को लगान या स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता है और जिसे सरकारी अफसर वसूल करते हो। अन्य कोई भी आय, जो जमीन से भले ही प्राप्त क्यो न हो, कृषि आय तब तक नही कही जा सकती जब तक वह जमीन इन दोनो शर्तो को पूरा न करती हो। यह कृषि आय पाच प्रकार की हो सकती है—(क) उस जमीन का किराया या लगान जो जागीरदार या भूमिपति वसूल करे। (ख) वह आय जो जमीन की पैदावार से कृषक या माल के रूप मे लगान लेनेवाले को प्राप्त हो । (ग) वह आय जो कृषक या माल के रूप मे लगान लेनेवाले को उस जमीन की पैदावार को बिक्री योग्य बनाने पर हो। (घ) उस जमीन की ऐसी पैदावार को बेचने से होनेवाली आय। (ङ) वह आय जो इस प्रकार के मकानात से हो जो कृषि के काम आती हो।

भारतीय आय-कर कानून के अनुसार टैक्स लगनेवाले क्षेत्रो मे उत्पन्न होनेवाली कृषि आय इनकमटैक्स से मुक्त है। परन्तु जो कृषि की आय अन्य देशो व राज्यो से भारत में लाई जाती है उस पर इनकमटैक्स लगता

है। निम्नलिखित आय, यद्यपि जमीन से संबंध रखती है, परन्तु कृषि आय नही मानी गई हैं—

(१) वह आय जो जमीन को लकडी इकट्ठा करने के लिए किराये पर देने से होती है।

(२) बाकी रहे हुए लगान पर मिलनेवाले व्याज की रकम यदि खते लिखवा लिया गया है तो कृषि आय नही रहेगी।

(३) वह आय जो किसी जागीरदार को जगली वृक्षो को कटवाने का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को देने से होती है, कृषि आय नही मानी जाती है।

(४) जगली घास, लकडी, फूस या स्वय उगे हुए वृक्षो की आमदनी भी कृषि आय नही मानी जाती है।

(५) सिचाई से होनेवाली आय भी कृषि आय नहीं है।

(६) ईंटे बनाने के लिए जमीन को बेचने से होनेवाली आय भी कृषि आय नही है।

(७) पत्थरो की खानो से होनेवाली आय भी कृषि आय नही है।

(८) कोयले की खानो से मिलनेवाले अधिकार शुल्क (Royalties) से होनेवाली आमदनी भी कृषि आय नही है।

(९) किसी कृषि फार्म (Agricultural Farm) के मैनेजर को मिलनेवाला प्रतिफल भी कृषि आय नही है।

(१०) कम्पनी की कृषि आय पर आधारित प्रबन्धकर्त्ताओ (Managing Agents) को मिलनेवाला कमीशन भी कृषि आय नही है।

कुछ ऐसी आय भी हो सकती है जो कुछ अंश मे कृषि आय और कुछ अंश में कृषि आय नही होती है। उदाहरणार्थ, चाय पैदा करके बेचने

वाली कपनियो व बगीचो की ६० प्रतिशत आय कृषि आय और बाकी ४० प्रतिशत आय कर-योग्य आय मानी जाती है। इसी प्रकार ईख स्वय के कृषि फार्म पर पैदा करके और उससे चीनी तैयार करके बेचने वाली कम्पनियो तथा अन्य ऐसी कपनियो की आय जो स्वय ही कच्चा माल पैदा करके और उसी से तैयार माल करके बेचती है कुछ अश मे कृषि आय और कुछ अश मे व्यापारिक आय समझी जाती है। यदि ऐसी कपनियो का पैदा किया हुआ कच्चा माल बाजार मे बिकने योग्य हो तो उस माल का औसत बाजार मूल्य व्यापारिक माल के बिक्री-मूल्य मे से कम कर दिया जाता है। परन्तु उस कच्चे माल को तैयार करने मे जो व्यय होता है वह कम नही किया जाता है। यदि कच्चा माल बाजार मे बिकने योग्य न हो तो इस कच्चे माल को पैदा करने की लागत व उचित लाभ जो इनकमटैक्स ऑफिसर उचित समझे, व्यापारिक माल के बिक्री मूल्य मे से कम कर देता है।

(२) आय-कर-दाता (Assessee) —आयकर-दाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा आय-कर दिया,जाता है या जिसे इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार सरकार को कोई रकम देनी हो या इनकमटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत उसपर आय या हानि के असेसमेट की या कर की वापसी की कार्रवाई जारी हो। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि, एक्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर आदि भी इनकमटैक्स के लिए इन्कमटैक्स देनेवाले समझे जाते है। यदि कोई भी व्यक्ति, जो कानून द्वारा दूसरे व्यक्ति की आय मे से इनकमटैक्स उद्गम स्थान पर काटने के लिए बाध्य है, नही काटे या इनकमटैक्स काटने के उपरान्त सरकार को अदा न करे तो वह व्यक्ति भी इस कर के लिए कर-दाता समझा जावेगा।

(३) लाभाश (Dividend) —कम्पनिया अपने हिस्सेदारो को जो लाभ प्रतिवर्ष बाटती है उसे साधारण भाषा मे लाभाश कहते है। परन्तु आय-कर कानून की धारा २ (६) (ए) के अन्तर्गत लाभाश

मे निम्नलिखित चार विशेष प्रकार के वितरण भी सम्मिलित किये गये हैं :—

(१) कम्पनी द्वारा अपने सचित लाभ (Accumulated Profits) का, जो चाहे पूजीकृत (Capitalised) हो या नही, वितरण करना जिसके लिए कम्पनी अपने हिस्सेदारो को कुछ सपत्ति देती है। कम्पनी अपने सचित लाभ का वितरण कई प्रकार से कर सकती है। प्रथम तो कपनी वितरण नकद या सपत्ति के रूप में कर सकती है। इस अवस्था मे वितरण लाभाश माना जावेगा। द्वितीय, कपनी यह वितरण बोनस-शेयरो के रूप में कर सकती है। इस अवस्था मे यह वितरण लाभाग नही कहा जा सकता क्योकि कंपनी को इस वितरण पर अपनी कोई सपत्ति नहीं देनी पडती है। तृतीय, यह वितरण दूसरी कपनी के शेयरो व ऋणपत्रो के रूप मे दिया जा सकता है। उस अवस्था में यह वितरण हिस्सेदारो के हाथ में लाभाग माना जावेगा क्योकि कम्पनी की सपत्ति इस वितरण के कारण कम होती है।

(२) यदि कपनी के पास सचित लाभ हो चाहे वह पूजीकृत हो या नही और उसमें से यदि कपनी बोनस ऋणपत्रो (Bonus Debentures) या बोनस ऋणपत्र राशि (Bonus Debenture Stock) के रूप मे वितरण करे तो यह वितरण भी लाभाग माना जावेगा।

(३) यदि कपनी के निस्तारण (Liquidation) पर उसके ऐसे सचित लाभो से, जो कपनी के निस्तारण की स्थिति से पूर्व गत ६ वर्षो में पैदा हुए हैं, वितरण हिस्सेदारो को किया जावे तो वह भी लाभाश कहलावेगा, परन्तु यह नियम विशेषाधिकार वाले हिस्सो (Preference Shares) पर लागू नही होगा।

(४) यदि कोई कंपनी अपनी पूजी घटाने के अवसर पर अपने सचित लाभ से, जो कि १ अप्रैल सन् १९३३ के पूर्व समाप्त होनेवाले गत वर्ष के बाद उत्पन्न हुए हों, चाहे वह पूजीकृत हो या नही, वितरण करे तो वह भी

हिस्सेदारो के हाथ मे लाभांश समझा जावेगा । परन्तु यह नियम भी विशेषाधिकार वाले हिस्सो (Preference Shares) पर लागू नही होगा ।

यहा पर यह ध्यान देने योग्य है कि इस परिभाषा मे जहा कही भी "सचित लाभ" शब्दो का प्रयोग किया गया है, उनमे १ अप्रैल सन् १९४६ के पूर्व या ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद उत्पन्न होनेवाले पूजीगत लाभ (Capital Gains) को सम्मिलित नही किया जावेगा ।

(४) गत वर्ष (Previous Year)—(क) इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा २ (११) (i) के अनुसार गत वर्ष का अर्थ उन गत बारह महीनो से है जो असेसमेंट वर्ष (Assessment Year) या चालू साल के पहले ३१ मार्च को समाप्त होता है ।

(ख) यदि किसी कर-दाता ने अपना हिसाब उन १२ महीनो के अन्दर ३१ मार्च के स्थान पर किसी अन्य तिथि पर समाप्त होनेवाले साल के आधार पर रखा है तो उसका साल वही माना जावेगा । उदाहरणार्थ, कोई भी कर-दाता अपना गत वर्ष व्यापारिक साल, दिवाली साल, विक्रम सवत्, कलडर वर्ष या दशहरा वर्ष के अनुसार रख सकता है ।

(ग) कोई भी कर-दाता अपनी आय के भिन्न-भिन्न साधनो के लिए भिन्न-भिन्न गत वर्ष रख सकता है । यदि एक व्यापारी एक सराफे की दूकान करता है और दूसरी कपडे की तो वह दोनो दूकानो के भिन्न-भिन्न गत वर्ष रख सकता है ।

(घ) नया व्यापार स्थापित करने पर, गत वर्ष व्यापार स्थापित करने के समय से ३१ मार्च तक के समय का माना जाता है या कर-दाता की इच्छानुसार उसके हिसाबी साल के अन्त तक का । परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि यदि हिसाबी साल की अन्तिम तिथि व्यापार स्थानित करने की तिथि से ३१ मार्च तक नही वल्कि ३१ मार्च के वाद मे आती हो तो ऐसी अवस्था में यह समझा जावेगा कि माली साल (Financial year)

१ अप्रैल से चालू हुआ है। उस साल में उस नये व्यापारी का कोई गत वर्ष ही नही था ।

(ड) जब कर-दाता अपनी इच्छानुसार किसी विशेष हिसावी साल को एक बार अपना गत वर्ष किसी विशेष आय के लिए रख लेता है तो वह उसे बाद मे बिना आय-कर अफसर की अनुमति के कभी नही बदल सकता है और वह भी उसके द्वारा लगाई हुई शर्तो को पूर्ण करने पर।

(च) धारा २ (११) (ii) के अनुसार किसी फर्म के साझेदार का गतवर्ष, फर्म के हानि-लाभ के हिस्से के लिए वही होगा जो फर्म का गत वर्ष है। परन्तु ऐसा तभी होगा जब फर्म की आय का फर्म पर असेसमेट हो चुका हो। यदि फर्म का असेसमेण्ट नही हुआ है तो साझेदार फर्म की आय के लिए भी 'गत-वर्ष' उपयुक्त साधारण रीति के अनुसार निश्चित कर सकता है ।

गत वर्ष से सबधित कठिनाई को दूर करने के लिए सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रत्येक प्रान्त के आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार दे रखा है कि वह गत वर्ष की अवधि १२ महीनो के स्थान पर ११ या १३ महीनो तक घटा-बढा सकता है परन्तु गत वर्ष की अन्तिम तिथि किसी भी अवस्था में ३० अप्रैल के बाद नही होनी चाहिए।

भारतवर्ष में इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार आय-कर और धारा ५५ के अनुसार अतिरिक्त-कर (Super-Tax) हर गत वर्ष की आय पर लिया जाता है परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियो में चालू वर्ष की आय पर इनकमटैक्स ले लिया जाता है —

(१) यदि कोई व्यक्ति भारत को छोडकर सदैव के लिए बाहर जा रहा हो तो धारा २४ ए के अनुसार उस व्यक्ति की चालू वर्ष की आय पर ही गत वर्ष के अलावा चालू दरो के अनुसार कर वसूल कर लिया जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार, पेशा या व्यवसाय बन्द कर देवे तो धारा २५ के अनुसार चालू वर्ष के लाभ पर भी गतवर्ष के कर के अलावा

इनकमटैक्स वसूल कर लिया जावेगा बशर्ते कि वह कर-दाता सन् १६१८ के इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार कर न दे चुका हो।

(३) जहाजी कपनियो के लाभ पर धारा ४४ वी के अनुसार चालू साल मे ही कर ले लिया जाता है।

(४) धारा १८ ए की "कमाते जाओ, टैक्स देते जाओ" (Pay as you earn) योजना के अनुसार यदि किसी कर-दाता की वार्षिक आय न्यूनतम आयकर सीमा (Minimum Taxable Limit) अर्थात् ४,२००+२,५००=६,७०० रुपये से अधिक है और यदि इस आय मे टैक्स उद्गम स्थान पर न काटा जाता हो तो चालू वर्ष मे ही उसे पेशगी के रूप मे टैक्स चार किस्तो मे दे देना पडता है।

(५) **टैक्स लगनेवाले क्षेत्र** (Taxable Territories) :— इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा २ (१४) (ए) के अनुसार टैक्स लगने वाले क्षेत्र का अर्थ निम्नप्रकार है —

(क) १५ अगस्त १६४७ के पूर्व वह क्षेत्र जो ब्रिटिश-भारत कहलाता था और जिसमे वरार सम्मिलित था।

(ख) १४ अगस्त १६४७ के बाद और २६ जनवरी १६५० के पहले वे क्षेत्र जो उस समय के लिए भारत के प्रान्तो मे सम्मिलित थे, परन्तु कूच-बिहार के विलीन क्षेत्र को छोडकर।

(ग) २५ जनवरी १६५० के बाद और १ अप्रैल १६५० के पहले वे क्षेत्र जो पार्ट ए स्टेट्स मे सम्मिलित थे परन्तु कूचविहार के विलीन क्षेत्र को छोडकर और इसके अतिरिक्त पार्ट सी स्टेट्स, परन्तु मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्यप्रदेश को छोडकर।

(घ) ३१ मार्च १६५० के बाद और १३ अप्रैल १६५० के पहले जम्मू और काश्मीर, पटियाला और पूर्वी पजाब स्टेट्स यूनियन को छोड-कर भारत का सपूर्ण भाग, और

(ड) १२ अप्रैल १६५० के वाद, जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड कर भारत का सपूर्ण भाग।

किन्तु याद रहे कि टैक्स लगनेवाले क्षेत्रो मे निम्नलिखित भाग सम्मिलित समझे जायेगे —

(क) विलीन क्षेत्र (Merged Territories) —(१) इस-कानून के किसी भी उद्देश्य के लिए ३१ मार्च १६५० के वाद के किसी समय के लिए और (२) ३१ मार्च १६५० को समाप्त होनेवाले या किसी आगामी वर्ष के इनकमटैक्स निश्चित करने के लिए गतवर्ष में सम्मिलित किसी समय के लिए।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोडकर भारत का सपूर्ण भाग — (१) धारा ४ ए और ४ वी के लिए, किसी भी अवधि के लिए, (२) इस कानून के किसी भी उद्देश्य के लिए ३१ मार्च १६५० के वाद की किसी भी अवधि के लिए, और (३) ३१ मार्च १६५१ को समाप्त होनेवाले या किसी आगामी वर्ष के इनकमटैक्स निश्चित करने के लिए गत वर्ष मे सम्मिलित किसी अवधि के लिए।

अन्य परिभाषाएँ उचित स्थानो पर दी जावेंगी।

अध्याय ३

कमाई हुई आय

(EARNED INCOME)

आय-कर कानून के अनुसार कुल आय दो भागो में बांटी जा सकती है —

(१) कमाई हुई आय (Earned Income)

(२) बिना कमाई आय (Unearned Income)।

'कमाई हुई आय' का तात्पर्य उस आय से है जिसके प्राप्त करने मे कर-दाता को स्वय परिश्रम करना पडा हो, जैसे वेतन, व्यापार, पेशा या व्यवसाय, या अन्य किसी ऐसे साधन द्वारा प्राप्त की गई आय, जिसमे शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना पडा हो। इसके विपरीत 'बिना कमाई आय' मे वे सब आय सम्मिलित है जो कर-दाता को बिना कोई परिश्रम किए प्राप्त होती है, जैसे सिक्योरिटियो पर ब्याज, लाभाश, जायदाद से प्राप्त किराया।

'कमाई' और 'बिना कमाई' आय का भेद सर्वप्रथम १९४५ के फाइनेस ऐक्ट द्वारा स्थापित किया गया था और 'कमाई' हुई आय पर 'बिना कमाई' आय की अपेक्षा कर देने मे कुछ रियायत स्वीकार की गई थी।

आय-कर कानून की धारा २ (६ ए ए) के अनुसार कमाई हुई आय का अर्थ उस आय से है जो किसी ऐसे कर-दाता द्वारा कमाई गई है जो या तो व्यक्ति है, या सयुक्त हिन्दू परिवार है, या रजिस्ट्री न करवाया हुआ फर्म है, या कोई अन्य जनसस्था है परन्तु कपनी या स्थानीय सत्ता या रजिस्टर्ड

फर्म या रजिस्टर्ड मानी गई हुई फर्म नही है। इस धारा के अनुसार निम्न-लिखित आय कमाई हुई आय मानी गई है :—

(क) वेतन के रूप में मिलनेवाली कर योग्य आय।

(ख) व्यापार, पेशा या व्यवसाय से होनेवाली कर योग्य आय, यदि उस व्यापार का सचालन कर-दाता स्वय करता है या यदि कर-दाता किसी फर्म का साझेदार है तो वह उस फर्म के कार्य में सक्रिय भाग लेता है।

(ग) अन्य साधनो (Sources) से प्राप्त होनेवाली कर-योग्य आय, यदि यह आय कर-दाता द्वारा अपने परिश्रम से उपार्जित की गई है या यह कर-दाता या किसी मृत मनुष्य की पुरानी सेवाओ के बदले मे दी गई है।

(घ) वह कर-योग्य आय जो कि अन्य पुरुषो की आय है परन्तु आय-कर कानून की कुछ धाराओ के अन्तर्गत कर-दाता की सपूर्ण आय मे सम्मिलित कर ली जाती है।

परन्तु यह छूट उन आय पर, जो धारा १४ (२) (जिसमे अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड एसोसियेशन और भारतीय रियासत से न लाई गई आय है) या धारा ६० के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा करमुक्त है, नही मिलती है।

उपर्युक्त परिभाषा से निम्न बाते भली प्रकार समझ लेनी चाहिये —

(१) 'कमाई हुई आय' का प्रश्न केवल निम्न कर-दाताओ के ही बारे मे उठता है और उन्ही को इसके लिए छूट दी जाती है :—

(अ) व्यक्ति-विशेष,

(ब) सयुक्त हिन्दू-परिवार, या

(स) कोई बिना रजिस्ट्री कराई हुई अन्य सस्था।

(२) इस परिभाषा के द्वारा केवल तीन प्रकार की आय कमाई हुई आय बताई गई हैं :—

(अ) वेतन,

(ब) व्यापार, पेशा तथा व्यवसाय से लाभ,

(स) अन्य साधनो से प्राप्त होनेवाली आय, जो कर-दाता अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित करता है।

(३) अन्य पुरुषो की वह कर-योग्य आय, जो आय-कर कानून की धारा १६ (३) (ए) के अनुसार कर-दाता की संपूर्ण आय में सम्मिलित की जाती है*—

(४) जो आय धारा १४ (२) (जिसके अनुसार बिना रजिस्ट्री की हुई फर्म से लाभ या किसी बिना रजिस्टर्ड एसोसियेशन मे प्राप्त लाभ जिस पर कर लग चुका है) के अनुसार या धारा ६० के अन्तर्गत विज्ञप्ति द्वारा कर-मुक्त है उनपर 'कमाई हुई आय' की छूट नही मिलती।

---

* कर-दाता की पत्नी और कर-दाता के नाबालिग बालक की आय, जो उन्हें उसी फर्म से प्राप्त होती हों, जिसमें कर-दाता स्वयं साझीदार है, करदाता की कुल आय में सम्मिलित होगी। परन्तु ऐसा तभी किया जायगा जब कि पत्नी के हिस्से की पूंजी, जो उस फर्म में लगी हुई है, कर-दाता ने स्वयं अपने पास से देकर लगाई हो किन्तु (पत्नी के हिस्से की) यह पूंजी सम्बन्धविच्छेद होने के कारण या अन्य किसी प्रकार के उसे (पत्नी को) मुआवजे के रूप में न मिली हो। इसी प्रकार नाबालिग बालक की आय उसी समय जोड़ी जायगी जब कि फर्म में लगी हुई उसके हिस्से की पूजी कर-दाता ने बालक को किसी प्रकार से मुआवजा देने के रूप में देकर न लगाई हो। [धारा १६ (३) (अ)]

वेतन पर "कमाई हुई आय" की छूट

कमाई हुई आय की छूट उस सब रकम पर मिलती है जो आय-कर की धारा ७ की दृष्टि से वेतन समझी जाती है। कमाई हुई आय की छूट निर्धारित करने के लिए स्वीकृत प्राविडेंट फड मे मालिक द्वारा दिया गया चन्दा तथा कर-दाता के प्राविडेट फड पर मिला व्याज भी वेतन मे सम्मिलित कर लिया जाता है। यह बात अध्याय ६ में दिये गये उदाहरणो से स्पष्ट होगी।

व्यापार के लाभ से कमाई हुई आय की छूट

साधारणत व्यापार के लाभ पर कमाई आय की छूट तभी मिल सकती है जब कि कर-दाता स्वय भी उस व्यापार का काम करता हो परन्तु ऐसी अवस्था में जब कि व्यापार का कुछ काम कर्मचारियो द्वारा किया जाता हो कर-दाता को कमाई आय की छूट मिलती है। यदि व्यापार का सचालन कोर्ट ऑफ वार्ड्स या ट्रस्टीज द्वारा होता हो तो कर-दाता को कमाई हुई आय की छूट नही मिलेगी।

रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म से प्राप्त आय पर किसी साझेदार को तभी कमाई हुई आय की छूट मिल सकती है जब कि उसने फर्म में काम किया हो अन्यथा नही। किसी फर्म के साझीदार को (यदि उसने फर्म के काम में हिस्सा लिया है) उसकी स्त्री और नाबालिग बालक के उसी फर्म से प्राप्त हिस्से पर भी, जो उसकी कुल आय में सम्मिलित होता है, कमाई आय की छूट मिल सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म का सक्रिय साझीदार है, तो उसको अपने लाभ पर ही नही अपितु अपनी स्त्री और नाबालिग बालक के हिस्से पर भी कमाई आय की छूट मिलेगी—यदि उसकी स्त्री या बालक का हिस्सा उसकी कुल आय में धारा १६ (३) (अ) के अनुसार सम्मिलित किया जाना है।

कमाई हुई आय की छूट निकालना

धारा १५ (अ) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि कमाई हुई आय की छूट, जिसपर आय-कर नही लगेगा, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किए गए फाइनेस ऐक्ट द्वारा निश्चित की जाया करेगी। कमाई हुई आय की छूट, जो इस प्रकार दी जाती है, केवल आय-कर से मुक्त है अतिरिक्त-कर से नहीं। आय-कर की दर निकालने के लिए कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) की रकम कुल आय मे से कम कर दी जाती है परन्तु अतिरिक्त-कर (Super-Tax) निकालने के लिए यह छूट नही दी जाती। इस प्रकार घटी हुई कुल आय पर ही कर-दाता को कर देना पडता है। यह छूट सिर्फ आय-कर की दर निकालने के लिए ही काम मे ली जाती है और अन्य कार्यों के लिए कुल आय को ही काम मे लिया जाता है। उदाहरणार्थ, बीमे या प्राविडेट फड की छूट की रकमे मालूम करने के लिए हम कुल आय को ही आधार मानते है घटी हुई आय को नही।

१९५३ के फाइनेस ऐक्ट मे यह व्यवस्था है कि ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष की कर-योग्य आय निकालते समय कमाई हुई आय का $\frac{1}{5}$ भाग करदाता की सकल आय मे से घटा दिया जायगा, परन्तु इस प्रकार घटाई जानेवाली छूट किसी भी स्थिति मे ४०००) से अधिक नही होनी चाहिए। यह भी व्यवस्था की गई है कि —

(१) यदि कर-दाता की सकल आय, कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहले ४,२००) से अधिक न हो तो उस सकल आय पर आय-कर नही लिया जायगा। (सयुक्त हिन्दू परिवार मे यह सीमा ८,४००) रक्खी गई है)

(२) कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहिले करदाता की सकल आय ४,२००) से (सयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ८,४००) से) जितनी

अधिक होगी, आय-कर किसी भी परिस्थिति में, उस आधिक्य के आधे से अधिक नही होगा।

(३) आय-कर निम्न दो विधियो के अनुसार निकाली हुई रकमो मे से, जो भी कम हो, से अधिक नही होगा —

(अ) वह राशि जिसका ४,२००) [सयुक्त हिन्दू परिवार मे ८,४००)] (non-taxable limit) से अधिक रकम के आधे के साथ वह अनुपात है जो घटाई हुई (कमाई हुई आय की छूट घटाकर) रकम का सकल आय के साथ है।

(ब) सकल आय मे से कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई आय की रकम पर निश्चित दर से निकाला हुआ कर।

उदाहरणः—अ की ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष की वेतन आय ४,३००) है तो उसको १९५४-५५ मे कितना कर देना पडेगा ?

वेतन की कुल आय	४,३००)
घटाओ कमाई आय की छूट $\frac{1}{5}$	८६०)
कर-योग्य आय	३,४४०)

उसको ३,४४०) पर उसकी सकल आय अर्थात् ४,३००) पर कुल कर के अनुपात मे कर देना पडेगा। ४,३००) पर कुल कर ५०) है क्योकि यह ४,२००) से अधिक अर्थात् (४,३००-४,२००)=१०० का $\frac{1}{2}$ है। इसलिए उसको ३,४४०) पर ४०) कर देना पडेगा।

३००) पर ५०) तो ३४४०) पर ५० का $\frac{4}{5}$ अर्थात् ४०)।

दूसरी विधि के अनुसार अर्थात् ३४४०) पर निश्चित आय-कर की दर से ९०।।।=) कर होता है। इसलिए दोनो विधियो मे से जो कर की रकम कम है वही देनी होगी अर्थात् ४०) ही कर लिया जायगा।

अध्याय ४

आय-कर-दायित्व

(INCOME-TAX LIABILITY)

जैसा कि आय-कर के नाम से मालूम होता है यह कर आय पर लगता है चाहे वह आय वास्तविक आय हो या कल्पित आय हो। यह कर कर-दाता की ही आय पर निर्धारित किया जाता है और कर-दाता से ही वसूल किया जाता है। इनकमटैक्स ऐक्ट में 'आय' (Income) की कोई परिभाषा नही दी गई है परन्तु इसमे यह निश्चित कर दिया गया है कि कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए कौन-कौनसी रकमे जोडी जानी चाहिये और कौनसी नही।

इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार आय-कर प्रत्येक कर-दाता से जो कोई भी व्यक्ति, सयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, स्थानीय सभा, फर्म या फर्म का व्यक्तिगत साझेदार, अन्य जन-मडल (Association of persons) या उसका व्यक्तिगत सदस्य हो सकता है, उसकी गत वर्ष की कुल आय पर, वार्षिक फाइनेस ऐक्ट द्वारा निर्धारित की हुई आय-कर दरो के अनुसार लिया जाता है।

धारा २ (१५) के अनुसार कुल आय (Total Income) का अर्थ उस आय, नफे या लाभ की मात्रा से है जिसका वर्णन धारा ४ (१) मे किया गया है और जिसका (कुल आय का) निर्धारण इनकमटैक्स ऐक्ट मे दी हुई विधि से किया गया है। वास्तव मे देखा जाय तो किसी भी कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए उसके निवास-स्थान के सबंध मे ज्ञान होना परमावश्यक है जिसका विवरण इसी अध्याय मे दिया जावेगा।

इसी धारा के अनुसार कुल विश्व आय (Total World Income) का अर्थ उस समस्त आय, नफे या लाभो से है जो कही पर भी (देश या विदेश में) कमाये या उपार्जित किये गये है सिवा उस आय के जिसपर धारा ४ (३) के अनुसार भारतीय इनकमटैक्स ऐक्ट लागू नही होता है या उन पूजीगत लाभो के जो कुल आय मे सम्मिलित नही किये जाते है।

धारा ४ (१) के अनुसार कर-दाता का आय-कर-दायित्व उसके निवास-स्थान पर निर्भर करता है। कर-दाता निवास-स्थान के अनुसार दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, निवासी (Resident), और द्वितीय परदेशी (Non-resident)। निवासी के फिर दो भेद किये गये है—(१) पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident) और (२) कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident)। इस प्रकार कुल कर-दाता तीन श्रेणियो मे विभाजित किये जा सकते हैं—(१) पक्का निवासी (Resident & Ordinarily Resident), (२) कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident), (३) परदेशी (Non-resident)।

(१) व्यक्ति का निवास-स्थान—(Residence of an Individual)—भारतीय आय-कर कानून की धारा ४ ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में भारतीय कर-क्षेत्र (Indian Taxable Territories) का निवासी (Resident) तभी समझा जावेगा जब कि.—

(१) वह उस वर्ष में टैक्स लगनेवाले क्षेत्र (Taxable Territories) में १८२ दिन या इससे अधिक दिनो तक रहा हो, या

(२) उसने उस वर्ष में टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में १८२ या इससे अधिक दिनो तक कोई रहने का मकान या निवास-स्थान रखा हो और उस वर्ष में वह किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आया हो, या

(३) वह गत चार वर्षों के अन्दर एक वार या कई वार मिलाकर टैक्स लगनेवाले क्षेत्र मे ३६५ दिन या इससे अधिक दिन रहा हो और उस वर्ष मे किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र मे आया हो परन्तु उसका इस प्रकार का आना सयोगवश या आकस्मिक (casual visit) नही होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति घूमने के लिए, विवाहोत्सव पर या चिकित्सा इत्यादि के लिए टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आये तो यह सयोगवश आना ही माना जायेगा, या

(४) वह उस वर्ष मे किसी भी समय टैक्स लगनेवाले क्षेत्र में आया हो और इनकमटैक्स आफिसर को यह निश्चय हो जाय कि वह व्यक्ति कर लगनेवाले क्षेत्र मे तीन साल से कम नही रहेगा।

वह व्यक्ति जिसको ऊपर लिखी शर्तो मे से कोई भी शर्त लागू नहीं होती आय-कर के लिए परदेशी माना जाता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इनमे से किसी भी एक शर्त के लागू होने के कारण कर-क्षेत्र का निवासी समझा गया है, तो ऐसा व्यक्ति यदि निम्नलिखित दो और शर्तो को पूरा नही कर सके तो वह कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) कहलायेगा और यदि वह निम्नलिखित दोनो शर्तो को भी पूरा करता है तो पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident) समझा जायगा :—

(१) वह गत दसवर्षो मे कम से कम ६ वर्ष तक टैक्स लगनेवाले गई शर्तो के क्षेत्र का निवासी (Resident) रहा हो (ऊपर बताई गई शर्तो के अनुसार); और

(२) वह गत ७ वर्षो मे कम से कम २ वर्षों से अधिक (for periods amounting in all to more than two years) कर-क्षेत्र में रहा हो।

(२) हिन्दू संयुक्त परिवार का निवास-स्थान :—हिन्दू संयुक्त

परिवार का निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं .—

(क) यदि किसी परिवार का प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्णतया कर-क्षेत्र से बाहर हो तो ऐसा परिवार विदेशी माना जायगा,

(ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध और नियन्त्रण का कोई भी अश कर-क्षेत्र मे है तो ऐसा परिवार 'कच्चा निवासी' माना जावेगा ।

(ग) परिवार के पक्का निवासी माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्त्ता (Head) कर-क्षेत्र का पक्का निवासी हो ।

(३) फर्म या अन्य जन-मण्डल का निवास-स्थान :—इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ४ ए (बी) के अनुसार यदि फर्म या अन्य जन-मडल का समस्त प्रवन्ध या नियन्त्रण कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर से न होता हो तो उसको कर लगनेवाले क्षेत्र का निवासी कहा जाता है और जो फर्म या अन्य जन-मडल कर लगनेवाले क्षेत्र के निवासी मान लिये जाते है वे धारा ४ बी (सी) के अनुसार स्वत ही कर लगनेवाले क्षेत्र के पक्के निवासी मान लिये जाते है।

(४) कम्पनी का निवास-स्थान —इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा ४ ए (सी) के अनुसार कम्पनी उस वर्ष के लिए कर लगनेवाले क्षेत्र की निवासी समझी जावेगी जिस वर्ष में .—

(क) उसका प्रबन्ध या सचालन पूर्ण रूप से कर लगनेवाले भाग में रहा हो, या

(ख) पूजीगत लाभ (Capital Profits) को छोडकर कपनी की बाकी आय जो उस वर्ष में कर लगने वाले भाग मे हुई है उस आय से जो टैक्स लगनेवाले भाग के बाहर हुई है, अधिक हो। धारा ४ बी (सी) के अनुसार यदि कोई कम्पनी कर

लगनेवाले क्षेत्र की निवासी है तो वह उस कर लगनेवाले क्षत्र की पक्की निवासी समझी जायेगी ।

यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि कर-दाता की स्थिति प्रति वर्ष निवास-स्थान के अनुसार बदलती रहती है। यदि वह किसी एक वर्ष मे निवासी है तो यह आवश्यक नही है कि वह दूसरे वर्ष भी निवासी ही रहेगा। इसी प्रकार एक ही कर-दाता अपने भिन्न-भिन्न व्यापारो के भिन्न-भिन्न व्यापारिक वर्षों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थितियो में कर दे सकता है। एक व्यापार के लिए वह कच्चा निवासी तथा दूसरे के लिए पक्का निवासी हो सकता है ।

उदाहरण —(१) एक व्यक्ति १५ वर्ष तक कर-क्षेत्र मे रहकर ३० मार्च १९४८ को लदन चला गया और १५ फरवरी १९५१ को फिर कर-क्षेत्र मे लौट आया और भारत-सरकार की पच वर्षीय समझौते पर नौकरी करने लगा ।

सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ असेसमेंट वर्षो मे उसका निवास-स्थान किस प्रकार होगा ?

सन् १९५०-५१—यह व्यक्ति इस वर्ष मे कुछ समय के लिए (१५ फरवरी से ३१ मार्च १९५१ तक) कर-क्षेत्र मे रहा था और पिछले चार वर्षों मे (१९४६-४७ से १९५०-५१) मे ३६५ दिन से अधिक कर-क्षेत्र मे रह चुका था इसलिए वह कर-क्षेत्र का निवासी समझा जायगा परन्तु वह कच्चा निवासी ही रहेगा क्योकि वह पक्का निवासी होने की पहली शर्त पूरी नही करता। (वह पिछले १० वर्षों मे से ६ वर्ष कर-क्षेत्र का निवासी नही रहा है)

सन् १९५१-५२—असेसमेंट वर्ष के लिए वह कर-क्षेत्र का निवासी होगा क्योकि वह पाच साल तक भारत मे रहनेवाला है परन्तु वह कच्चा निवासी ही रहेगा क्योकि वह पक्का निवासी होने की पहली शर्त पूरी नही करता ।

(२) 'क' मलाया में व्यापार करता है। उसका भारतीय कर-क्षेत्र में कोई निवासस्थान नही है परन्तु वह अपने सबधियो से मिलने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र में आता रहता है। वह २०-२५ दिन भारतीय कर-क्षेत्र मे ठहरकर वापस मलाया चला जाता है।

ऐसी स्थिति में 'क' भारतीय कर-क्षेत्र का निवासी नही कहा जा सकता है। वह परदेशी (Non-resident) माना जायगा।

(३) एक कपनी को, जिसका प्रधान कार्यालय लदन मे है, भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र से पूजीगत लाभ को छोडकर अन्य आय ५०,०००) सन् १९५०-५१ में हुई और इगलैण्ड मे उसकी उसी वर्ष की कुल आय ३०,०००) हुई है तो कपनी की क्या स्थिति (Status) होगी ?

क्योकि इस कपनी की ५० प्रतिशत से अधिक आय भारतीय कर लगनेवाले क्षेत्र से हुई है इसलिए यह कपनी भारतीय कर-क्षेत्र की निवासी (Resident) मानी जावेगी और वह भी पक्का निवासी (Resident and Ordinarily Resident)।

(४) 'क' एक भारतीय व्यापारी है। वह अपना व्यापार ईरान में करता है परन्तु उसका भारतीय कर-क्षेत्र में पैतृक मकान है जिसे सभालने के लिए वह भारत मे प्रतिवर्ष करीव २ महीने आता है।

इस स्थिति मे 'क' भारत का कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) ही होगा क्योकि वह गत सात वर्षो मे कर लगनेवाले क्षेत्र में २ वर्ष से अधिक नही रहा है।

भिन्न-भिन्न करदाताओ को उनके भिन्न-भिन्न निवास-स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न आयो पर भारतीय कर देना पडता है। प्रत्येक प्रकार के कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार आय-कर-दायित्व निम्नप्रकार होता है :—

(१) पक्के निवासी का दायित्व (Liability of Resident

and Ordinarily Resident) —इस प्रकार के कर-दाता को निम्नप्रकार की आयो पर कर देना पडता है :—

(क) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे समझा गया है।

(ख) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे उपार्जित या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे माना गया है।

(ग) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर, कर-दाता ने १ अप्रैल १९३३ को या इसके बाद और गत वर्ष से पूर्व पैदा या उत्पन्न की है और जो गत वर्ष मे कर लगनेवाले क्षेत्र मे लाई गई हो।

परन्तु ऐसी आय आय-कर से सर्वथा मुक्त होगी और दर निश्चित करने के लिए भी कुल आय मे नही जोडी जायगी। यदि :—

(१) यह आय कर-क्षेत्र मे २ सितम्बर १९५१ से १ अप्रैल १९५४ तक लाई जावे। और

(२) उस लाई हुई रकम का आधा रुपया कर-क्षेत्र मे आने की तिथि से तीन मास के भीतर केन्द्रीय तथा प्रातीय सरकार की सिक्योरीटियो को रिजर्व बैंक की मार्फत खरीदने मे खर्च किया गया हो और ऐसी सिक्योरीटिया कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक मे जमा कर दी गई हो। और

(३) ऐसी रकम के प्राप्त करनेवाले ने रुपया कर-क्षेत्र मे प्राप्त करने की तिथि से तीन मास के अन्दर अपना कर, कर-व्याज तथा जुर्माना (जो भी रुपया शेष हो) सरकार को चुका दिया हो।

(घ) उस समस्त आय पर जो कर-दाता ने कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर विदेशो में गत वर्ष मे उत्पन्न की है परन्तु जो कर लगने

वाले क्षेत्र में नहीं लाई गई है तो उस आय में से ४५,००) को कम करके बाकी आय को करदाता की सम्पूर्ण आय में कर के लिए सम्मिलित कर लिया जाता है और इसपर उससे कर लिया जावेगा।

(ङ) उस समस्त आय को जो रियासत जम्मू व काश्मीर में पैदा हुई है परन्तु कर-क्षेत्र में नहीं लाई गई है करदाता की कुल आय में आय-कर दर निकालने के लिए जोड़ा जाता है परन्तु वह आय अन्यथा आय-कर से सर्वथा मुक्त है।

(२) कच्चे निवासी का दायित्व (Liability of Resident but Not Ordinarily Resident) :—इस प्रकार के करदाता को निम्न प्रकार की आयों पर कर देना पड़ता है:—

(क) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र में प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना कर लगने वाले क्षेत्र में समझा गया है।

(ख) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र में उपार्जित या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र में माना गया है।

(ग) उस समस्त आय पर जो कर लगनेवाले क्षेत्र के बाहर करदाता ने १ अप्रैल १९३३ के बाद और गत वर्ष के पूर्व पैदा या उत्पन्न की है और जो गत वर्ष में कर लगनेवाले क्षेत्र में लाई गई है।

परन्तु यदि ऐसा करदाता गत वर्ष से पहले तीन वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों में विदेशी रहा हो तो वह यदि उस आय को जो उसने १९३३ के बाद और गत वर्ष के पूर्व कर-क्षेत्र के बाहर पैदा या उत्पन्न की हो कर-क्षेत्र में लावे तो ऐसी आय ३१ मार्च १९५१ को समाप्त होनेवाले गत वर्ष के बाद के किसी वर्ष में भी उसकी कुल आय में नहीं जोड़ी जायगी।

(घ) उस विदेशी आय में से, जो करदाता ने कर लगनेवाले क्षेत्र

से सचालित व्यापार या कर लगनेवाले क्षेत्र मे स्थापित पेशा व व्यवसाय से उत्पन्न की है, ४५००) घटाकर शेष कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित कर दी जावेगी और इसपर कर लगेगा।

(ड) वह आय जो रियासत जम्मू और काश्मीर में कर लगनेवाले क्षेत्र से सचालित व्यापार या उसमें स्थापित पेशा या व्यवसाय से हुई है परन्तु कर लगनेवाले क्षेत्र मे नही लाई गई है, कर-दाता की सपूर्ण आय मे केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोड़ी जाती है अन्यथा यह आय आय-कर से मुक्त है।

(३) परदेशी का दायित्व (Liability of Non-Resident):—परदेशी आय-करदाता की गत वर्ष की सपूर्ण आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित आयो को सम्मिलित किया जाता है:—

(क) वह समस्त आय जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे प्राप्त हुई है या जिसका प्राप्त होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे माना गया है।

(ख) वह समस्त आय जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे उपार्जित या उत्पन्न की गई है या जिसका उपार्जन या पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र मे माना गया है।

एक परदेशी को अपनी विदेशी आय पर, चाहे वह उसे कर लगनेवाले क्षेत्र में भी ले आये, भारतीय आय-कर नही देना पडता है। परन्तु यहां पर यह वात ध्यान देने योग्य है कि एक परदेशी की संपूर्ण विश्व-आय (Total World Income) को मालूम करने के लिए उसकी विदेशी आय भी बिना किसी ४५०० रु० की छूट के उसकी अन्य आय मे सम्मिलित कर ली जायगी। परदेशी पर आय-कर की दरे संपूर्ण विश्व-आय के आधार पर निश्चित की जाती है।

पार्ट बी स्टेटों की आय पर कर:—२६ जनवरी १९५० से भारत का क्षेत्र पार्ट ए स्टेटो, पार्ट वी स्टेटो तथा पार्ट सी स्टेटो से बना हुआ

माना जाता है। पहले बहुत-सी पार्ट बी स्टेटो (पुरानी भारतीय रियासते जो अब भारत में सम्मिलित हो गई हैं) मे कोई आय-कर नही था, परन्तु अब केन्द्रीय सरकार की एक विशेषाज्ञा (Order) द्वारा इनमें भी कर लगा दिया गया है। यद्यपि आय-कर और अतिरिक्त-कर (Super-Tax) की स्टेट-दरें (States Rates) अभी बहुत कम रक्खी गई है परन्तु धीरे-धीरे वे बढा दी जावेगी।

एक व्यक्ति को, जो पार्ट ए स्टेट या पार्ट सी स्टेट का कच्चा या पक्का निवासी है और यदि उसकी आय इन दोनो स्टेटो के अतिरिक्त पार्ट बी स्टेट में भी होती है तो उसे निम्न प्रकार से आय-कर देना पडेगा —

(क) उसकी समस्त आय पर जो कमाई हुई आय (Earned Income) के घटाने के बाद बचती है, भारतीय दरो (Indian rates) से टैक्स निकाला जावेगा और उसके उपरान्त औसत दर को भारतीय औसत आय-कर दर कहा जावेगा। इसी प्रकार उसकी समस्त आय पर स्टेट दर से टैक्स निकाला जावेगा और उसके उपरान्त औसत दर निकाली जावेगी और इस दर को स्टेट औसत दर कहा जावेगा।

(ख) अब पार्ट बी स्टेट की आय पर प्रथम बार तो भारतीय औसत दर से टैक्स मालूम किया जावेगा और दुबारा स्टेट औसत दर से। पहली दर से निकाला हुआ टैक्स दूसरी दर से निकाले हुए टैक्स से जितना अधिक होगा वह छूट के रूप में कुल टैक्स में से जो भारतीय प्रथम रीति से निकाला गया है, कम कर दिया जावेगा। बचा हुआ टैक्स ही कुल आय पर लगनेवाला टैक्स होगा। इसी टैक्स की नई औसत दर से जीवन बीमा की प्रीमियम आदि पर छूट दी जायगी।

विदेशी आय पर कर (Taxation of Foreign Income):— यह विदेशी आय दो जगहो से हो सकती है। प्रथम रियासत जम्मू और काश्मीर से और द्वितीय अन्य विदेशो से।

(क) रियासत जम्मू और काश्मीर की आय :—आय-कर कानून की धारा १४(२) (स) के अनुसार इस रियासत मे पैदा होनेवाली आय पर (सिवा भारत सरकार व अन्य राज्यो के कर्मचारियो की आय के) तव तक आय-कर नही लगेगा जब तक यह आय कर-देय क्षेत्र(Taxable Territories) मे न भेज दी जावे, परन्तु यह आय कर-दाता की अन्य आमदनी मे कर की दर मालूम करने के लिए जोडी जाती है। यदि कर-दाता परदेशी (Non-Resident) है तो यह आय उसकी कुल विश्व-आय मे जोडी जाती है। परन्तु जहां तक एक पक्के निवासी (Resident and Ordinarily Resident) का सबध है, देशी रियासत की कुल आय (४५०० रु० की छूट देकर, यदि यह छूट अन्य विदेशी न लाई हुई आय से न मिल सकी हो तो) जो उसने कर देय-क्षेत्र मे नही भेजी है, उसकी कुल आमदनी मे कर की दरे निर्धारित करने के लिए जोड दी जावेगी। परन्तु एक कच्चा निवासी (Resident but Not Ordinarily Resident) की देशी रियासत की वही आय,जो कर-देय क्षेत्र मे नही लाई गई है और जो उसे करदेय क्षेत्र से सचालित व्यापार या इसमें स्थापित पेशे या व्यवस्साय से प्राप्त हुई है, उसकी कुल आमदनी मे जोडी जावेगी।

परन्तु इस छूट का आय-कर कानून की धारा ४ (१) के तीसरे उप-नियम के अनुसार ४५०० रु० की घटोतरी पर कोई प्रभाव नही पडेगा। यह ४५०० रु० की घटोतरी प्रथम तो विदेशो मे पैदा हुई आय से मिलेगी और उसके वाद मे रियासत जम्मू और काश्मीर मे पैदा की हुई आय में से।

यह रियासती आय केवल आय-कर तथा अतिरिक्त कर (Super-tax) की दरें जानने के लिए, जो वाकी आमदनी पर लगेगी, आय-कर-दाता की कुल आमदनी में जोड दी जाती है। परन्तु देशी रियासत मे पैदा हुई आय, जो पहले कर की दरे निकालने के लिए कुल आमदनी में

सम्मिलित कर ली गई थी, यदि अब किसी आगामी वर्ष में करदेय क्षेत्र में भेज दी जाती है तो उसपर भी आय-कर लगेगा, परन्तु इस अवस्था मे आय-कर की दरें निम्नलिखित दो नियमो के अनुसार मालूम की जावेंगी और जो दर अधिक होगी वह लागू होगी।

(१) जम्मू और काश्मीर रियासत से भेजी हुई जो आय है उसी को कुल आमदनी मानकर आय-कर दरे निश्चित कर ली जावे, या

(२) आय-कर-दाता की अन्य कुल आमदनी, जो इस रियासत से भेजी हुई आमदनी के घटाने के पश्चात् बचती है, उसे ही उसकी कुल आमदनी मानकर आय-कर की दरे निश्चित कर ली जावें।

परन्तु इन दोनो दरो में से जो अतिरिक्त कर दे सकेगी उसी दर से कर लगाया जावेगा।

उदाहरण :—(१) मान लीजिये सन् १९४९-५० में एक आय-कर-दाता की आय ३५,००० रु० कर लगनेवाले क्षेत्र में, ३०,००० रु० देशी रियासत मे और १२,००० रु० अफ्रीका मे पैदा हुई। करदाता यदि कर लगनेवाले क्षेत्र का पक्का निवासी है तो उसकी कुल आमदनी ४,५०० रु० की घटोतरी १२,००० रु० में से देने के उपरान्त ७२,५०० रु० हुई। यहा पर कर-दाता को आय-कर केवल ४२,५०० रु० पर, उस औसत दर से देना पडेगा जो ७२,५०० रु० की कुल आमदनी पर निकाली जावेगी।

(२) मान लीजिये दूसरे वर्ष इस करदाता की कर लगनेवाले क्षेत्र की आय ३२,००० रु०, देशी रियासत में गत वर्ष मे पैदा की हुई आय परन्तु इस वर्ष कर लगनेवाले क्षेत्र मे भेजी हुई आय ३०,००० रु० और इस वर्ष की देशी रियासत की आय १५,००० रु० है।

अब इस कर-दाता को ६२,००० रु० पर कर उन दरो से देना होगा जो ४२,५०० रु० (यानी ३२,००० रु० + १५,००० रु०–४५०० रु०)

पर लागू है क्योकि इन दरो से अधिक टैक्स मिल सकेगा और ३०,००० रु० पर लागू होनवाली दर से कम।

(३) यदि दूसरे प्रश्न मे थोडी देर के लिए यह मान लिया जावे कि कर लगनेवाले क्षेत्र मे उस कर-दाता की आय केवल १०,००० रु० ही है तो उसे इस बार ४०,००० रु० पर कर ३०,००० रु० की गत वर्ष की आय (जो रियासत से भेजी गई है) पर लगनेवाले दरो से देना पडेगा। यहा पर यदि २०,५०० रु० पर लगनेवाली दरो से कर लिया जाता तो कम पडता। इसलिए ३०,००० रु० पर लगनेवाली दरो से कर वसूल किया जावेगा।

यदि किसी वर्ष देशी रियासत मे कोई हानि हो जावे तो यह हानि देशी रियासत की आमदनी से ही पूरी की जा सकती है। यह पूर्ति अधिक से अधिक ६ साल तक उसी व्यापार के लाभ में से की जा सकती है जिसमें हानि रही है अन्य व्यापार मे से कभी नही।

(ख) अन्य विदेशी आय —यदि कर-दाता कर लगनेवाले क्षेत्र का पक्का निवासी है तो उसकी न लाई हुई कुल विदेशी आय पर ४५०० रु० की घटोतरी देने के बाद आय-कर लगेगा। परन्तु यदि किसी विदेशी आय पर पहले, जब वह उत्पन्न की गई थी, आय-कर लग चुका है और वही आय अब कर लगनेवाले क्षेत्र मे लाई जाती है तो उसपर कोई आय-कर नही लगेगा।

यदि कर-दाता कच्चा निवासी (Resident but not ordinarily resident) है तो उसकी कर-देय-क्षेत्र मे न भेजी हुई आय पर तब तक कोई कर नही लगेगा जब तक यह आय किसी कर-देय-क्षेत्र से सचालित व्यापार, पेशे या व्यवसाय से न पैदा हुई हो। परन्तु यदि यह आय कर लगनेवाले क्षेत्र में उसी वर्ष आ जावेगी तो इसपर आय-कर लग जावेगा।

यदि कर-दाता परदेशी (Non-Resident) है तो उसकी विदेशी आय उसकी संपूर्ण विश्व-आय (Total World Income) में उसके आय-कर की दरे मालूम करने के लिए जोड दी जावेगी परन्तु इस विदेशी आय पर उसे कोई टैक्स नही देना पडेगा।

परन्तु यदि एक परदेशी अपनी ऐसी आमदनी में से, जो उसकी संपूर्ण आय में सम्मिलित न हो, अपनी भारतीय करदेय-क्षेत्र की निवासी स्त्री को कोई रकम भेजे तो इस रकम को उस निवासी स्त्री की कुल आय मे जोड़ दिया जावेगा और उसे इसपर आय-कर देना पडेगा।

यदि कभी परदेशी को भारतीय कर-क्षेत्र में हानि हो गई हो तो यह हानि उसकी आगामी वर्षो की भारतीय करक्षेत्र मे होनेवाली आय मे से ही पूर्ण की जा सकती है। किन्तु यदि विदेश में हानि हुई है तो वह विदेशी आय से ही ६ साल मे पूर्ण की जा सकेगी।

उदाहरण —(१) 'क' को निम्नलिखित आमदनी सन् १९५०-५१ में हुई —

कर लगनेवाले क्षेत्र में व्यापार से प्राप्त आय	२०,००० रु०
रियासत जम्मू और काश्मीर मे व्याज से प्राप्त आमदनी जो कर लगनेवाले क्षेत्र में नही लाई गई है	१०,००० रु०
अफ्रीका के व्यापार की आय जो भारतीय करक्षेत्र से सचालित किया जाता है (जिसमें से ४,००० रु० करक्षेत्र में लाये गये)	१५,००० रु०
ईरान में स्थित जायदाद की आय जो भारतीय करक्षेत्र में नही लाई गई	६,००० रु०
कुल आय	५१,००० रु०

वतलाओ 'क' की कुल आय और कर-योग्य आय (Taxable Income) कितनी होगी यदि 'क' भारतीय करक्षेत्र का (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, या (३) परदेशी है?

'क' का निवास-स्थान के आधार पर सन् १९५१-५२ का कर-दायित्व

आय	पक्का निवासी (Ordinary Resident)	कच्चा निवासी (Not Ordinarily Resident	परदेशी (Non-Resident)
भारतीय कर क्षेत्र मे व्यापार से कमाई हुई आय	२०,०००)	२०,०००)	२०,०००)
अफ्रीका के व्यापार से भारत मे लाई हुई आय	४,०००)	४,०००)	
अन्य विदेशी आय (४५००) से अधिक) जो भारत में नही लाई गई है [अफ्रीका ११०००) + ईरान ६०००)–४५००)]	१२,५००)	६,५००)	
रियासत जम्मू और काश्मीर से नही लाई हुई आय जो कर से मुक्त है परन्तु इनकमटैक्स की दर निकालने के लिए कुल आय में जोडी जाती है	१०,०००)		
कुल आय	४६,५००)	३०,५००)	२०,०००)
छूट कमाई हुई व्यापार की आय का ⅕ हिस्सा	४,०००)	४,०००)	४,०००)
कुल कर-योग्य आय	४२,५००)	२६,५००)	१६,०००)
			३१,०००)
कुल विश्व-आय (परदेशी केलिए)			४७,०००)

नोट :—(१) यदि 'क' पक्का निवासी है तो वह ३२,५०० रु० पर [अर्थात् कुल करयोग्य आय में से रियासत जम्मू और काश्मीर की आय को घटाकर (४२,५०० रु० – १०,००० रु०)] ४२,५०० रु० की दर से टैक्स देगा।

(२) यदि 'क' कच्चा निवासी है तो प्रथम तो उसकी कुल आय में केवल वही विदेशी न लाई हुई आय जोडी जावेगी जो उस व्यापार से हुई है जो भारतीय करक्षेत्र से सचालित है। इस स्थिति में 'क' अपनी २६,५०० रु० की आय पर २६,५०० रु० पर लगनेवाली दर से ही टैक्स देगा।

(३) 'क' यदि परदेशी है तो वह अपनी भारतीय आय १६,००० रु० पर ४७,००० रु० की दर से टैक्स देगा।

अध्याय ५

आय-कर से छूटे

(EXEMPTIONS FROM INCOME-TAX)

(क) ऐसी आय जो आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से पूर्णतया मुक्त है और जो कुल आय में दर निश्चित करने के लिए भी न जोड़ी जाएं :—

(१) धार्मिक या पुण्यार्थ जायदाद की आय :—उस जायदाद की आय इनकमटैक्स तथा अतिरिक्त-कर (Super-Tax) से सर्वथा मुक्त है जो ट्रस्ट (Trust) या अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वो (Legal Obligations) के द्वारा धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्यों के लिए रखी जाती हो। ऐसी आय या तो उसी वर्ष धर्मार्थ कार्य मे लगा दी गई हो या आगामी वर्षों मे होनेवाले कार्यों के लिए रख दी गई हो। परन्तु यह आवश्यक है कि धर्म का कार्य कर-क्षेत्र में ही हो। यदि कोई ट्रस्ट या धार्मिक सस्था जो १९५३ के आयकर सशोधन ऐक्ट के पास होने से पूर्व स्थापित हुई हो और जिसकी आय कर-क्षेत्र के बाहर धार्मिक कामो मे खर्च हो तो ऐसी सस्थाओ की आयो को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यदि चाहे तो कर-मुक्त करार दे सकता है।

इस सम्बन्ध मे एक बात विशेषकर याद रखने योग्य है। किसी ट्रस्ट या धार्मिक सस्था की आय कर-मुक्त तवही होगी जब निम्न शर्तें पूरी हों —

(क) यह ट्रस्ट या सस्था अखण्डनीय (Irrevocable) हो।

(ख) ट्रस्ट बनानेवाले का ट्रस्ट की गई जायदाद पर न तो किसी प्रकार का अधिकार रहे और न उसे उससे किसी प्रकार का लाभ हो।

यदि भारतीय विद्यार्थियो को जो विदेशो में शिक्षा पाते हैं किसी ट्रस्ट

से कोई छात्रवृत्ति (Scholarship) मिलता हो तो ट्रस्ट की यह आय जो इस काम से आती है कर-मुक्त होगी, यदि यह सिद्ध हो जाय कि यह शिक्षा देश के लिए हितकर सिद्ध होगी।

यदि कुल आमदनी इन कार्यो के लिए नही रखी जाती है तो इस अवस्था में आमदनी का वह भाग ही करमुक्त होता है जो इन कार्यो के लिए रखा जाता है।

(२) धार्मिक या पुण्यार्थ संस्थाओ के व्यापार की आय :—यदि कोई धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था अपने व्यापार से कोई आय प्राप्त करे और यदि यह आय सस्था द्वारा धर्म और पुण्य कार्य में ही लगाई जावे तो वह व्यापारिक आय भी कर से सर्वथा मुक्त होगी और न यह कुल आय मे ही जोडी जावेगी।

(३) धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था द्वारा प्राप्त चन्दा :—यदि किसी धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था में चन्दा जनता अपनी स्वेच्छा से देती है और यदि यह चन्दा पूर्णतया धार्मिक या पुण्यार्थ कार्यों मे खर्च किया जाता है तो यह चन्दा भी आय-कर और अतिरिक्त कर से सर्वथा मुक्त है।

(४) स्थानीय सत्ता की आय (Income of local authorities)—स्थानीय सत्ता का वह लाभ, जो उसकी सीमा में किये हुए कार्यों से प्राप्त होता है, सर्वथा कर-मुक्त है। किन्तु सीमा के बाहर की हुई सेवाओ से प्राप्त लाभ पर कर लगेगा।

(५) प्रोविडेण्ट फन्ड की सिक्योरिटियो का व्याज :—यदि १९२५ के भारतीय प्रोविडेण्ट फण्ड कानून के अनुसार वनाये हुए प्रोविडेण्ट फण्ड की सिक्यूरिटियो से व्याज प्राप्त होता है तो वह भी कर से सर्वथा मुक्त है।

(६) विशेष भत्ता :—यदि कर्मचारी को यह भत्ता मालिक द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और यह रकम कर्मचारी ने अपना

कर्तव्य पूर्ण करने मे ही खर्च की हो तो इस भत्ते की रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है ।

(७) आकस्मिक आय (Casual Income)—ऐसी आय आकस्मिक मानी जाती है जो निम्नलिखित दोनो नियमो की पूर्ति करे —

(१) वह आय किसी व्यापार, पेशा इत्यादि द्वारा न कमाई गई हो

(२) करदाता को यह आय आकस्मिक प्राप्त हो गई हो और उसके बार-बार मिलने की सभावना न हो ।

आकस्मिक आय आय-कर से पूर्णतया मुक्त है ।

उदाहरण :—(i) 'क' अपने रहने के लिए एक मकान खरीदता है और कुछ वर्षो बाद लाभ पर बेच देता है तो यह लाभ आकस्मिक लाभ है ।

(ii) एक व्यापारी को एक नवाब के उत्तराधिकारियो के आपसी झगडो का पच बनकर शातिपूर्वक सुलझाने पर जो कुछ रुपये पुरस्कार में मिले वे कर योग्य नही माने गये ।

(iii) एक साहूकार ने अदालत में नीलाम होते हुए मकान को खरीदकर बाद मे लाभ पर बेच दिया तो यह लाभ भी आकस्मिक है ।

(iv) यदि किसी को लाटरी (Lottery) से आकस्मिक आमदनी हो जावे तो यह आय भी कर से सर्वथा मुक्त है ।

(v) प्रबन्ध-कर्ताओ के अधिकारों के टूटने (Termination of Managing Rights) पर जो हर्जाना उन्हे मिलता है वह भी आकस्मिक आय है ।

(vi) यदि कपनी का डाइरेक्टर (Director) इस्तीफा देना चाहे तो उसको इस्तीफा देने से रोकने के लिए दिया हुआ इकट्ठा रुपया (Lump Sum) आकस्मिक आय नही मानी जायगी ।

(vii) सौदे-सट्टे से कभी-कभी होनेवाली आय भी आकस्मिक आय नही मानी जावेगी।

(viii) रुई बाजार मे मन्दी आने पर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास को एक फर्म के व्यापार को वन्द करने के लिए नियुक्त किया गया और उन्हें इस कार्य के लिए दो लाख रुपये का कमीशन मिला। यह कमीशन की रकम आकस्मिक आय नही मानी गई।

(ix) यदि किसी डाइरेक्टर को अभिगोपन कमीशन (Underwriting Commission) मिले तो वह भी कर योग्य आय है।

(x) यदि कोई साहूकार अपनी स्थायी जमा रकम को अवधि से पहले वापिस लेकर और ऋण लेकर एक वडी मात्रा में स्वर्ण की खरीद करके लाभ पर बेचे तो यह लाभ भी कर योग्य होगा।

(८) कृषि आय (Agricultural Income):—भारतीय कर-क्षेत्र में होनेवाली कृषि आय सर्वथा कर-मुक्त है परन्तु कर-क्षेत्र से बाहर प्राप्त होनेवाली कृषि आय पर कर लगता है। इस सबध में पहले ही काफी बतलाया जा चुका है।

(९) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फड की आय (Income of a Recognised Provident Fund).—इस प्रकार के फण्ड के ट्रस्टियो (Trustees) द्वारा प्राप्त आय तथा क्रय-विक्रय, विनिमय या हस्तान्तरण से प्राप्त पूजी-लाभ भी सर्वथा करमुक्त है।

(१०) प्रीवी पर्स आदि आय :—भारतीय रियासत के राजा को प्रीवी पर्स के रूप में प्राप्त होनेवाली आय, विदेशी राष्ट्रो के राजनैतिक कर्मचारियो की आय, विदेशी राष्ट्रो के दूतावास के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की आय, कामनवेल्थ के ट्रेड कमिश्नर आदि का वेतन भी भारतीय आय-कर से मुक्त है।

(११) विशेष जायदाद की आय:—इस प्रकार के मकान के बनने

के दो वर्ष बाद तक की किराये की आय पर कर नही लगेगा जो १ अप्रैल १९४६ के बाद और ३१ मार्च १९५४ के पहले बनाया गया हो ।

(१२) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय (Income of a Scientific Research Association):—इस प्रकार के स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसधान सघ की आय, जो पूर्ण रूप से सघ के उद्देश्यो के लिए लगाई जाती है और जो ३१ मार्च १९४९ के बाद प्राप्त या उत्पन्न की गई है ।

(१३) किसी विदेशी फर्म के कर्मचारी का वेतन जो कर-क्षेत्र में किसी प्रकार का भी व्यापार या पेशा न करता हो कर से सम्पूर्णतया मुक्त होगा यदि ऐसा कर्मचारी :—

(१) कर-क्षेत्र मे किसी वर्ष ९० दिन से अधिक न रहे, और

(२) ऐसे वेतन की कर-क्षेत्र मे लाभ निश्चित करते समय घटायें जाने की सभावना न हो ।

(१४) किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो उसको किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हो और जिसकी सेवायें किसी Co-operative Technical Programme या Project के अन्तर्गत भारत को दी गई हो और भारतीय सरकार तथा विदेशी सरकार में इस बात का समझौता हो तो ऐसी आय कर से सर्वथा मुक्त होगी ।

ऐसे व्यक्ति की अन्य आय या उसके परिवार के सदस्यो की आय जो उसके साथ भारत आय हो, कर से मुक्त होंगी, यदि—

(क) ऐसी आय का उपार्जन विदेश में हुआ है और जिसका पैदा होना कर लगनेवाले क्षेत्र में नही माना गया है, और

(ख) जिसपर उसे या उसके परिवार के सदस्यो को विदेशी सरकार का आय अथवा Security कर देना पडता हो ।

(१५) ऐसे किसी ऋणपत्र का व्याज या उसके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम (Premium) जो केन्द्रीय सरकार ने अपने तथा International Bank for Reconstruction and Development के समझौते के अन्तर्गत जारी किये हो या किसी Industrial undertaking या Financial Corporation ने International Bank से किसी समझौते के अन्तर्गत जारी किये हो और जिसपर व्याज दिये जाने की भारतीय सरकार द्वारा गारण्टी (Guarantee) दी गई हो। परन्तु यदि यह ऋणपत्र किसी भारतीय निवासी के पास हो तो यह छूट नही दी जायगी।

(१६) दसवर्षीय ३½% Treasury Savings Deposit Certificates का व्याज जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या इसके आदेश द्वारा प्रचलित किये गये हो।

(१७) उन सब सिक्योरिटियों का व्याज जो कि Central Bank Ceylon के Issue Department के पास है।

(१८) वे सब दैनिक भत्ते जो किसी व्यक्ति को उसके Dominion Legistature, या Constituent Assembly या पार्लियामेंट या प्रान्तीय असेम्बली, या इनकी किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलता हो।

(१९) स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड की आय (Income of Approved Superannuation Fund):—धारा ५८ आर के अनुसार स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड की आय भी कर से पूर्णतया मुक्त है।

(२०) संयुक्त हिन्दू परिवार की आय :—किसी सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य को परिवार की आय में से या अविभाजित सपत्ति में से जो आमदनी का हिस्सा मिलता है वह भी कर से सर्वथा मुक्त है।

(२१) अन्य छूटें :—धारा ६० के अनुसार भारत-सरकार ने डाकखाने के कैश सर्टिफिकेट, सेविंग्स बैंक, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ३½% ट्रेजरी डिपाजिट सर्टिफिकेट की व्याज की आय को भी आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से पूर्णतया मुक्त कर रखा है।

(ख) पूर्णतया करमुक्त आय जो कुल आय में केवल, आय-कर की दर निकालने के लिये जोड़ी जाती है:—

निम्नलिखित आय आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से मुक्त है किन्तु कर-दाता की कर-दरे मालूम करने के लिए उसकी कुल आय मे जोडी जाती है·—

(१) भारतीय कर-क्षेत्र से बाहर रियासत जम्मू और काश्मीर मे पैदा होनेवाली आय तब तक भारतीय टैक्स से मुक्त है जब तक यह भारतीय कर-क्षेत्र मे न लाई जावे या यह धारा ४२ के अनुसार व्यापारिक संबध के कारण टैक्स न कर ली जावे। परन्तु यह रियासती आय कुल आय मे टैक्स की दरे मालूम करने के लिए जोड दी जाती है।

(२) सहकारी समितियो (Co-operative Societies) के लाभ मे से जो लाभाश सदस्यो मे बाटा जाता है वह भी टैक्स से मुक्त है। यदि इस लाभ मे भिन्न-भिन्न प्रकार की सिक्योरिटियो से प्राप्त व्याज, समिति की जायदाद की आय, अन्य लाभाश या अन्य साधनो से प्राप्त आय नही जोडी गई है।

(ग) वह आय जो आयकर से मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से मुक्त नही है और संपूर्ण आय में जोड़ी जाती है :—

(१) केन्द्रीय सरकार की कर से मुक्त सिक्योरिटियो का व्याज आय-कर से तो मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से नही। केन्द्रीय सरकार की कर से मुक्त सिक्योरिटिया निम्नलिखित है·—

(१) ५% १९४५-५५ loan securities

(२) १९५१-६५ loan securities

(२) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उसको एनुइटी (Annuity) देने के लिए सरकार जो रकम काटे (यदि यह रकम वेतन के छठे हिस्से से अधिक नही है) तो यह भी करमुक्त है।

(३) स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund) में मालिक और कर्मचारी दोनो का सयुक्त चन्दा वेतन के छठे हिस्से तक या ६,०००) (जो कोई भी कम हो) आय-कर से मुक्त है।

(४) स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड की जमा पर प्राप्त ब्याज की रकम भी, यदि यह कर्मचारी के वेतन के तीसरे हिस्से से अधिक नही है और यदि इसकी ब्याज दर भी ६ प्रतिशत से अधिक नही है तो आय-कर से मुक्त है।

(५) सन् १९२५ के प्राविडेण्ट फण्ड ऐक्ट के अन्तर्गत रक्खे हुए प्राविडेण्ट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा भी आयकर से मुक्त है यदि यह रकम उस कर्मचारी की कुल आय के छठे हिस्से से या ६,०००) से (जो इन दोनो में कम हो) अधिक न हो।

(६) धारा ५८ आर के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी स्वीकृत सुपरएनुऐशन फड में कोई चन्दा दे तो इस चन्दे की रकम भी आय-कर से मुक्त है यदि यह उसकी कुल आय के छठे हिस्से से या ६०००) से (जो कोई भी कम है) अधिक नही होगी।

(७) अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार का लाभ और रजिस्टर्ड फर्म के परदेशी का हिस्सा तथा अन्य जन-मडल (Association of persons) के सदस्य की उस मडल से प्राप्त आय आय-कर से मुक्त है परन्तु ये सब कुल आय में जोड़ी जाती हैं।

(८) धारा १५ (१) के अनुसार जीवन बीमा का प्रीमियम भी बीमा पालिसी की पूरी रकम के दसवें हिस्से तक किसी व्यक्ति के अपने या

उसकी स्त्री के जीवन बीमा पर उसकी कुल आय के छठे हिस्से तक या ६,००० रु० तक, जो कोई भी कम हो, या सयुक्त हिन्दू परिवार के किसी पुरुष या स्त्री के बीमा पर परिवार की कुल आय के छठे हिस्से तक या १२,००० रु० तक, जो कोई भी कम हो, आय-कर से मुक्त है।

(घ) वे आय जो अतिरिक्त-कर से मुक्त हैं किन्तु आय-कर से नहीं तथा कुल आय में जोड़ी जाती हैं :—

(१) इनवेस्ट ट्रस्ट कम्पनियो की कुल आय का वह भाग जो उन्हे उन दूसरी कपनियो के लाभाश द्वारा प्राप्त हुआ है जिन्होने अपने लाभ पर अतिरिक्त-कर (Super-Tax) दे दिया है, अतिरिक्त-कर (Super Tax) से मुक्त है, परन्तु यह लाभाश इनवेस्ट ट्रस्ट कपनियो की कुल आय मे जोडा जाता है।

(ङ) पुण्यार्थ दिये हुए दान (Donations for Charitable Purposes :—

धारा १५ बी के अनुसार जो रकम पहली अप्रैल १९५३ के बाद किसी सस्था या फड को, जो कर लगनेवाले क्षेत्र मे पुण्यार्थ स्थापित किया गया है और जो निम्न शर्तें पूरी करता हो —

(१) जिसकी आय आय-कर ऐक्ट की धारा ४ (३) (1) के अनुसार कर से मुक्त हो।

(२) जो किसी एक विशेष जाति के हित के लिए स्थापित न किया गया हो।

(३) जो या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया हो या जिसकी स्थापना एक Public Charitable Trust की तरह की गई हो।

(४) जिसको केन्द्रीय या स्थानीय सत्ता से पूर्ण या कुछ अश तक आर्थिक सहायता मिलती हो। और

(५) जो अपनी आय और व्यय का पूर्ण हिसाब-किताब रखता हो दिया हुआ चन्दा कर से मुक्त है; परन्तु (१) चन्दे की कुल रकम किसी भी वर्ष २५०) से कम नही होनी चाहिए। (२) कुल रकम जो कर से मुक्त होगी कुल आमदनी के $\frac{1}{10}$ से अधिक न होनी चाहिए। इसके लिए कुल आमदनी उस रकम को घटाने के बाद निकाली जायगी जो टैक्स से मुक्त हो। (३) चदे की कुल रकम जो टैक्स से मुक्त होगी किसी भी हालत में १,००,०००) से अधिक नही हो सकती। (४) एक बात और यह है कि गत वर्ष में जो भी रकम गाधी-स्मारक निधि (गाधी नेशनल मेमोरियल फण्ड) मे चन्दा दिया गया है, वह कुल रकम, न कि उपर्युक्त अश तक ही, टैक्स से मुक्त है। (५) इस प्रकार जो कर की छूट मिलेगी वह दान मे दी गई कुल रकम के आधे से अधिक नही होगी।

उदाहरण —यदि दान मे दी गई कुल रकम १०००) हो तो इस दान पर दी गई कर की छूट ५००) से अधिक नही होगी।

दान में दी गई छट—कर की रकम—कर की दर निकालने के लिए तो कुल आय में सम्मिलित की जायगी परन्तु उस रकम पर कर नही दिया जायगा।

यदि चन्दा कपनी द्वारा दिया गया है तो उसे आय-कर से ही छूट मिलेगी अतिरिक्त-कर से नही, परन्तु अन्य कर-दाताओ का ऐसा चन्दा आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो ही से मुक्त होगा।

(च) नये औद्योगिक कार्यालयों की छूट :—

धारा १५ C के अनुसार नये औद्योगिक कार्यालयो की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए यह छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई औद्योगिक कार्यालय १ अप्रैल १९४८ से ६ साल बाद तक अपना पैदा करने का कार्य आरम्भ करे तो उसे इस कार्यालय के ६ प्रतिशत लाभ तक पाच वर्ष तक छूट मिलती रहेगी। यदि एक कार्यालय १९५१-५२ मे प्रथम बार अपना कार्य आरम्भ करता है तो उसको पहली बार छूट १९५२-५३ के

असेसमेंट में मिलेगी और इसके चार साल बाद तक मिलती रहेगी। यह छूट जभी मिलेगी जब कि निम्न शर्तें पूरी होती हो :—

(१) ऐसा कार्यालय किसी पहले स्थापित कार्यालय का अग नही है।

(२) यदि यह कार्यालय 'शक्ति' का प्रयोग करता है तो काम करनेवालो की सख्या १० या इससे अधिक होनी चाहिये। यदि यह कार्यालय शक्ति का प्रयोग नही करता है तो काम करनेवालो की सख्या कम से कम २० होनी चाहिये।

उदाहरण :—राम को निम्नलिखित साधनो से आय प्राप्त हुई —

१	प्रश्नपत्र जाचने की आय	५००)
२	स्थायी जमा के ब्याज की आय	३००)
३	अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का आधा हिस्सा	३०००)
४	हिसाब जाच करने की आय	५०००)
५	ब्याज की आय पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक जमा से	२५)
६	सयुक्त हिन्दू परिवार के हिस्से की आय	४००)
७	कर-मुक्त सिक्योरिटियो के ब्याज से आय	२००)

राम ने अपनी ५०००) की पालिसी पर ६००) प्रीमियम दिया। तो बतलाओ कि उसकी कुल आय तथा कर-योग्य आय और कर-मुक्त आय क्या होगी ?

राम की कुल आय का लेखा

१.	सिक्योरिटियो का ब्याज	२००)
२	व्यवसाय की आय (कमाई हुई)	५०००)
३	अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का हिस्सा (कमाई हुई)	३०००)
४.	प्रश्नपत्र जाचने की आय (कमाई हुई)	५००)

५. स्थायी जमा का ब्याज	३००)
कुल आय	९०००)
कमाई हुई आय का $\frac{१}{५}$ हिस्सा छूट	१७००)
कर योग्य आय	७३००)

कर-मुक्त आय (Income not liable to Income-Tax)

१ कर-मुक्त सिक्योरिटियो का ब्याज	२००)
२ अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ जिसपर फर्म ने टैक्स पहले ही दे दिया है	३०००)
३ जीवन बीमा का प्रीमियम ($\frac{१}{१०}$ हिस्सा पालिसी का)	५००)
	३७००)

नोट—सयुक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त आय और पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक जमा का ब्याज केवल कर से ही मुक्त नही है बल्कि वे कुल आय में भी नही जोडे जाते है।

अध्याय ६

आय और पूजी

(INCOME AND CAPITAL)

पूजी और आय का भेद आय-कर के लिए बहुत महत्त्व का विषय है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि आय-कर आय पर लगता है न कि पूजी पर। इसलिए समस्त प्राप्तियो को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है—(१) पूजीगत प्राप्तिया, और (२) आय-सबधी प्राप्तिया। इसी प्रकार समस्त व्यय को भी दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है—प्रथम पूजीगत व्यय और द्वितीय आय-सबधी व्यय।

(क) प्राप्तियां (Receipts) —पूजीगत प्राप्तियो और आय सबधी प्राप्तियो का भेद करना बहुत ही कठिन है। परन्तु यहा पर कुछ मूल सिद्धान्त दिये जाते है जिनके अनुसार इन दोनो का भेद करना कुल सरल हो जाता है —

(१) पूजी एक वृक्ष के सदृश है और आय उसमे लगनेवाले फल के समान है।

(२) यदि प्राप्तिया किसी स्थायी सपत्ति (Fixed Capital) के कारण से हुई है तो ये पूजीगत प्राप्तिया है और यदि ये परिचालित सपत्ति (Circulating Capital) के कारण से प्राप्त हुई है तो आय-सबधी प्राप्तिया होगी।

(३) जो प्राप्तिया स्थायी सपत्ति के बेचने से प्राप्त होती है वे पूजीगत प्राप्तिया है और जो प्राप्तिया क्रय-विक्रय के लिए खरीदे हुए माल के बेचने से होती है वे आय-सबधी प्राप्तिया है।

(४) यदि कोई प्राप्ति आय के साधन की पुनर्स्थापना के लिए प्राप्त हो तो पूजीगत आय होगी और यदि वह केवल आय के एवज में प्राप्त हो तो आय-सबधी प्राप्ति होगी।

(५) यदि प्राप्ति प्राप्त करनेवाले के हाथ में आय के रूप मे है तो यह आय-सबधी प्राप्ति ही समझी जावेगी, और यदि यह प्राप्ति उसके हाथ में पूजी के रूप मे है तो पूजीगत प्राप्ति ही समझी जावेगी।

उदाहरण :—यहा पर कुछ आय-सबधी प्राप्तियो (Revenue Receipts) तथा पूजीगत प्राप्तियो (Capital Receipts) के उदाहरण उपर्युक्त सिद्धान्तो को समझाने के लिए दिये जा रहे है —

(१) यदि किसी डाइरेक्टर को उसकी कम्पनी मे व्यापार न करने के स्थान मे कुछ रकम दी जाये तो वह रकम पूजीगत प्राप्ति समझी जायेगी, क्योकि यह हरजाना नौकरी छोडने के बाद कपनी की प्रतिस्पर्धा में व्यापार न करने के लिए दिया गया है।

(२) एक ईंट बनानेवाली कपनी को रेलवे लाइन के पास उसकी जमीन मे से मिट्टी खोदने से हर्जाना देकर रोक दिया गया। यह हर्जाने की रकम पूजीगत प्राप्ति है क्योकि वह स्थायी सपत्ति के एवज मे प्राप्त हुई है।

(३) एक उत्पादन करनेवाली कपनी ने अपने माल बेचनेवाले एजेट की एजेंसी हर्जाना देकर तोड दी। यह हर्जाने की रकम भी पूजीगत प्राप्ति है, क्योकि वह आय के साधन के नुकसान को पूरा करने के लिए दी गई है।

(४) यदि एक नौकर को निश्चित समय से पहले ही अन्यायपूर्वक या अदालत के आज्ञानुसार हर्जाना देकर निकाल देवे तो यह हर्जाने की रकम पूजीगत प्राप्ति है क्योकि यह न तो पुरानी सेवा का प्रतिफल ही है और न भविष्य की नौकरी का इनाम ही।

(५) माल की सुपुर्दगी के काण्ट्रैक्ट को समाप्त करने पर जो हर्जाना माल वेचनेवाले को प्राप्त होता है वह आय-सवधी प्राप्ति के रूप में है। इसलिए कर से मुक्त नही है।

(६) यदि कोई रेलवे यात्री रेलवे दुर्घटना से सदैव के लिए पूर्णतया अपगु हो जाए या मर जाए तो जो हर्जाने की रकम होगी वह पूजीगत प्राप्ति समझी जावेगी, परन्तु यदि वह थोडे दिनो के लिए वेकार हुआ है तो उसे जो हर्जाना इस समय मिलेगा वह आय-सवधी प्राप्ति समझी जावेगी।

(७) किसी कपनी के निस्तारण (Liquidation) पर हिस्से-दार को कम्पनी की सपत्ति का जो हिस्सा मिलता है वह पूजीगत प्राप्ति है।

(८) यदि कोई कपनी ऋणपत्र (Debentures) वट्टे (Dis-count) पर निकाले तो ऋण-दाता के लिए वट्टे की रकम पूजीगत प्राप्ति होगी और इसलिए कर से मुक्त होगी।

(९) यदि ऋण की रकम मे छूट कर दी जाय तो छूट की रकम पूजीगत प्राप्ति ही समझी जावेगी क्योकि छूट से कर-दाता को कोई आय नही हुई है।

(१०) जीवन-बीमा के भुगतान मे जो रुपया प्राप्त होता है वह पूजी-गत प्राप्ति है। परन्तु कोई कपनी अपने कर्मचारी का जीवन-बीमा ले तो कर्मचारी के मरने पर जो रकम कपनी को प्राप्त होगी वह आय-सवधी प्राप्ति समझी जावेगी क्योकि यह बीमा रकम कर्मचारी की सेवाओ से प्राप्त होनेवाली आय के एवज मे प्राप्त हुई है।

(ख) व्यय :—व्यय भी दो प्रकार का होता है। प्रथम तो पूजीगत व्यय (Capital Expenditure) और दूसरा राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)। कभी-कभी आगामी और पूजीगत

व्यय के अन्तर को समझना कठिन होता है। इन दोनो प्रकार के व्ययो का अन्तर बहुत ही सूक्ष्म है, परन्तु यहा कुछ प्रमुख सिद्धात दिये जाते है जिनके अनुसार इन दोनो का भेद भली भाति समझ मे आ सकता है —

(१) यदि व्यय किसी स्थायी सपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया है तो पूजीगत व्यय है और यदि व्यय व्यापारिक माल को खरीदने और बेचने में किया गया है तो राजस्व व्यय है।

(२) यदि व्यय पुरानी स्थायी सपत्ति को खरीदकर, उसे ठीक रूप देने मे तथा उसकी कार्यशक्ति बढाने मे हुआ है तो पूजीगत व्यय होगा परन्तु यदि व्यय कच्चा माल खरीदकर उसे तैयार माल मे परिणत करने मे खर्च हुआ है तो राजस्व (Revenue) व्यय कहलायेगा।

(३) यदि व्यय व्यापार-सबधी कोई स्थायी लाभ (Enduring Benefit) प्राप्त करने के लिए किया गया है तो पूजीगत व्यय होगा परन्तु यदि व्यय व्यापार-सबधी अस्थायी लाभ के लिए है तो यह राजस्व व्यय ही होगा।

(४) यदि व्यय स्थायी पूजी को कम करता है तो यह पूजीगत व्यय ही होगा और यदि चालू पूजी मे से खर्च किया गया है तो राजस्व व्यय होगा।

(५) स्थायी पूजी सबधी या स्थायी काण्ट्रैक्टो को तोडने पर जो हर्जाना दिया जाता है वह पूजीगत व्यय है और जो व्यय साधारण व्यापारिक सौदो को तोडने पर किया जाता है वह राजस्व व्यय है।

उदाहरण —निम्नलिखित उदाहरणो से इन दोनो प्रकार के व्ययो का भेद भली भाति समझा जा सकेगा —

(१) व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) का नवकरण (Renewal) कराने पर या उसे रजिस्ट्री करवाने पर जो खर्च लगता है वह राजस्व (Revenue) व्यय ही समझा जाता है।

(२) यदि किसी कपनी का व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) दूसरी कपनी नकली रूप से काम मे लेने लगे तो इस नकली मार्के के माल को बाजार में आने से रोकने पर जो खर्चा होगा वह भी राजस्व व्यय ही माना जावेगा ।

(३) यदि कोई कपनी अपने जमीन के अधिकारो को सुरक्षित रखने मे खर्चा करे और वह अदालत मे जीत जावे तो यह खर्चा पूजीगत व्यय समझा जावेगा क्योकि यह खर्चा स्थायी सपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है ।

(४) एक कपनी ने स्लेट की खानो का ठेका लिया , परन्तु कुछ जागीरदारो ने उसे वेदखल करना चाहा । इस सबध मे कपनी का जो खर्चा हुआ है वह पूजीगत खर्च माना गया ।

(५) पेटेंट दवाइयो को तैयार करके अधिकारो को खरीदने के लिए जो शुल्क (Royalty) दिया जाता है वह पूजीगत व्यय ही है चाहे यह किस्तो द्वारा भले ही दिया जावे ।

(६) कच्चा माल लम्बे समय तक प्राप्त करने मे जो व्यय होता है वह राजस्व व्यय है क्योकि यह खर्चा चालू पूजी से सबधित है ।

(७) डाइरेक्टरो, मैनेजिग एजेण्टो तथा अन्य कर्मचारियो की सेवाओ क. तोडने के वदले मे जो हर्जाना दिया जाता है वह राजस्व व्यय ही है ।

अध्याय ७

आय शीर्षक

(HEADS OF INCOME)

(१) वेतन

भारतीय इनकमटैक्स ऐक्ट १६२२ की धारा ६ के अनुसार निम्न-लिखित पाच शीर्षको से प्राप्त आय पर टैक्स लगता है —

(१) वेतन, (२) सिक्योरिटियो का व्याज, (३) जायदाद आय, (४) व्यापार, पेशा या व्यवसाय से लाभ, (५) अन्य साधनो से आय।

वेतन —धारा ७ के अनुसार कर-दाता को अपने वेतन या मजदूरी पर, जो उसने उपार्जित की है और जो उसे मालिक से प्राप्य (Due) है (चाहे वह उसे प्राप्त हुई है या नही), टैक्स देना पडता है। यदि कर्मचारी पेशगी (Advance) मे वेतन ले लेवे तो यह पेशगी की रकम भी उसी तारीख को प्राप्त हुआ वेतन समझा जावेगा जिस तारीख को यह लिया गया है। वेतन चाहे जहा पर दिया गया हो परन्तु यदि यह कर लगनेवाले क्षेत्र मे उपार्जित किया गया है तो इसपर टैक्स लगेगा। भारतीय सरकार, स्थानीय सत्ता, जन-मडल, कम्पनी तथा अन्य कोई व्यक्ति द्वारा जो वेतन किसी कर्मचारी को भारतीय कर-क्षेत्र मे दिया जाता है वह कर-योग्य होता है। परन्तु विदेशी सरकार या जम्मू और काश्मीर की सरकार द्वारा दिये हुए वेतन या पेशन पर टैक्स धारा ७ के अनुसार न लेकर धारा १२ के अनुसार लिया जाता है।

वेतन मे निम्नलिखित आय सम्मिलित की जाती है --

१ वेतन विशेष, २ मजदूरी, ३ बोनस, ४ एन्युइटी (Annuity), ५ ग्रेचुटी (Gratuity), ६. पेशन, ७ फीस, ८ कमीशन, ६. अन्य प्रतिफल (Perquisites), १० वेतन के स्थान पर या साथ में लाभ का हिस्सा, ११ अन्य भत्ता, १२ ऊपरी आमदनी, १३ बिना किराये का मकान जिसका वार्षिक किराया वेतन के १० प्रतिशत से अधिक न हो, १४ मकान भत्ता, १५ अन्य सुविधाए जो सेवा के वदले मे कर्मचारी को प्राप्त होती हैं, १६ मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन पर आय-कर और अतिरिक्त-कर की दी हुई रकम, १७ अस्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund) से प्राप्त रकम का केवल मालिक द्वारा दिया हुआ हिस्सा।

वेतन मे निम्नलिखित आय सम्मिलित नही की जाती है —

१. कर्मचारी को नौकरी छोडने पर हर्जाने की जो रकम मिलती है वह उसके वेतन मे नही जोडी जाती है और यह रकम कर से मुक्त है।

२ कर्मचारी के वेतन मे से यदि सरकार अनिवार्य रूप से कुछ रकम पारिवारिक पेशन फड (Family Pension Fund) या अन्य सरकारी प्रोविडेण्ट फड के लिए काट लेवे तो यह रकम वेतन के छठे हिस्से तक कर-मुक्त है परन्तु यह रकम कर-दाता की कुल आय मे कर की दरें निकालने के लिए जोडी जाती है।

३ यदि कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त भत्ता या कोई ऐसी रकम मालिक द्वारा प्राप्त होती है जो उसे अपने मालिक के लिए और विशेपतया अपने कर्तव्य (Duty) का पालन करने मे खर्च करनी पडती है और जो इसी उद्देश्य से उसे दी जाती है तो यह रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है (चाहे सारी प्राप्त रकम व्यय न की गई हो) और न यह कर-दाता की कुल आय में ही जोडी जाती है।

४. यदि कर्मचारी को पेंशन के स्थान पर एकत्रित धन मिले तो वह रकम भी कर से सर्वथा मुक्त है और कर-दाता की कुल आय मे नही जोडी जाती है ।

५. यदि कर्मचारी को १६ अप्रैल १९५० के पश्चात् केन्द्रीय या प्रातीय सरकार के revised pension rules के अनुसार death-cum retirement gratuity मिले तो यह रकम भी आयकर से मुक्त है ।

६ यदि कर्मचारी को कोई रकम ऐसे फड से प्राप्त हो जिसको प्रोविडैट फड ऐक्ट १९२५ लागू होता है या स्वीकृत प्रोविडेट फड है या सुपरएनुएशन फड है तो यह रकम भी आय-कर से मुक्त है। प्रोविडेट फडो के सबध मे निम्नलिखित बातें जाननी परमावश्यक है ।

प्रोविडैट फड (Provident Funds)

प्रोविडैट फड तीन प्रकार के होते है —(१) सन् १९२५ के प्रोविडैट फड ऐक्ट के अनुसार रक्खा हुआ फड, (२) स्वीकृत प्रोविडैट फड (Recognised Provident Fund), (३) अस्वीकृत प्रोविडैट फड) (Un-recognised Provident Fund) ।

(१) सन् १९२५ के प्रोविडैट फड ऐक्ट के अनुसार निर्मित फड :— इस प्रोविडैट फड का लाभ रेलवे कपनी, विश्वविद्यालयो व सरकारी कर्मचारियो को प्राप्त होता है। इस फड मे कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चन्दा उसके वेतन मे से काटा जाता है , परन्तु इस चन्दे की रकम तथा जीवन बीमा का प्रीमियम उस कर्मचारी की कुल आय के छठे हिस्से या ६०००) तक, जो दोनो मे से कम हो, आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त कर (Supertax) से मुक्त नही है। परन्तु यह रकम उसकी कुल आय मे कर की दरे निकालने के लिए जोडी जाती है। इस प्रोविडैट फड मे जो चन्दा मालिक द्वारा दिया जाता है उसकी रकम तथा फड पर मिलनेवाली ब्याज की रकम को कर्मचारी के वेतन मे नही जोड़ा जाता है और ये

सर्वथा करमुक्त है। इस फड से अन्त मे जो एकत्रित धन कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारियो को मिलता है वह कर से सर्वथा मुक्त है और कुल आय मे विल्कुल नही जोडा जाता है।

(२) स्वीकृत प्रोविडेंट फड (Recognised Provident Fund).—यह फड कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस फड मे कर्मचारी तथा उसके मालिक दोनो के चन्दे और उनपर प्राप्त होनेवाली व्याज की रकमे वेतन की आय मे जोडी जाती है, परन्तु कर्मचारी और मालिक दोनो के चन्दे मिलाकर कर्मचारी के शुद्ध वार्षिक वेतन के छठे हिस्से तक या ६००० रु० तक, जो दोनो मे कम हो, आयकर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नही। इसी प्रकार व्याज की रकम भी कर्मचारी के वेतन के तीसरे हिस्से तक या ६ प्रतिशत तक, जो दोनो मे कम हो, आयकर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नही। इसके अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा दिया गया जीवन बीमा का प्रीमियम तथा मालिक और कर्मचारी दोनो के प्रोविडेण्ट फण्ड मे दिये गये चन्दे मिलाकर कर-दाता की कुल आय के छठे हिस्से तक,या ६००० रु० तक जो दोनो मे कम हो,आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नही। परन्तु इस उद्देश्य के लिए कुल आय मालूम करने के लिए मालिक द्वारा दिया हुआ चन्दा तथा उसका व्याज कुल आय में नहीं जोड़े जाते है। नौकरी के अन्त मे जो एकत्रित धन इस स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड से कर्मचारी को मिलता है वह कर से सर्वथा मुक्त है।

(३) अस्वीकृत प्रोविडेंट फंड (Un-recognised Provident Fund).—जो प्रोविडेंट फड कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नही है वह अस्वीकृत फड कहलाता है। इस फड में जो चन्दा कर्मचारी द्वारा दिया गया है वह वेतन मे जोडा जाता है तथा यह कर से मुक्त नही है। मालिक द्वारा दिया गया चन्दा प्रति वर्ष कर मालूम करने के लिए कुल आय में नही जोडा जाता है

और न इसपर प्रतिवर्ष कर ही लगाया जाता है। परन्तु नौकरी छोड़ने पर जो एकत्रित धन इस फड से कर्मचारी को मिलेगा उसमें से कर्मचारी का स्वय का चन्दा और उसको अपने चन्दे के व्याज को घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसपर कर लगेगा। अर्थात् मालिक द्वारा दिये चन्दे और उसके व्याज पर कर लगेगा। जीवन बीमा प्रीमियम पर कर्मचारी को कुल आय के छठे हिस्से तक, या ६०००) तक, जो दोनो मे कम हो, छूट मिलेगी।

उदाहरण :—एक व्यक्ति को ७५० रु० मासिक वेतन मिलता है। उसको मालिक की ओर से ७२० वार्षिक मूल्य का मकान मुफ्त में मिल रहा है। उसके मासिक वेतन मे से १० प्रतिशत प्रोविडेंट फड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है और उसका मालिक भी उतनी ही रकम प्रोविडेंट फड मे चन्दे की देता है। उसको ५ प्रतिशत व्याज की दर से १००० रु० वार्षिक व्याज अपने फड पर मिलता है। उसने अपनी बीमा पालिसी पर ५०० रु० बीमा प्रीमियम दिया हो तो उसका कर-दायित्व क्या होगा यदि वह व्यक्ति (क) १९२५ के प्रोविडेंट फड के अनुसार रखे हुए फड का सदस्य हो, (ख) स्वीकृत प्रोविडेंट फड का सदस्य हो, या (ग) अस्वीकृत प्रोविडेंट फड का सदस्य हो ?

(क)	वेतन	९०००)
	मकान का मूल्य	७२०)
	कुल वेतन की आय	९७२०)
	कमाई हुई आय की छूट	१९४४)
	शेष कुल आय	७७७६)

कर से मुक्त आय :—

कर्मचारी का स्वयं का चन्दा	९००)
जीवन-बीमा का चन्दा	५००)
कुल कर-मुक्त आय	१४००)

वह व्यक्ति ६३७६) पर ७७७६) की औसत दर से आय-कर देगा।

(ख)	वेतन	९०००)
	मकान का मूल्य	७२०)
	मालिक का चन्दा	९००)
	प्रोविडैण्ट फण्ड का व्याज	१०००)
	कुल वेतन की आय	११६२०)
	कमाई हुई आय की छूट	२३२४)
	शेष कुल आय	९२९६)

कर से मुक्त आय :—

मालिक और कर्मचारी दोनो के चन्दे शुद्ध वेतन के छठे हिस्से तक	१५००)
जीवन बीमा प्रीमियम (७२० रु० के छठे हिस्से तक) शेष	१२०)
व्याज प्रोविडैंट फड पर प्राप्त	१०००)
कुल कर से मुक्त आय	२६२०)

वह व्यक्ति ६६७६) पर ६२६६) की औसत से आय-कर देगा।

(ग)	कुल वेतन मकान सहित	६७२०)
	कमाई हुई आय की छूट	१६४४)
	शेष कुल आय	७७७६)

कर-मुक्त आय —

जीवन बीमा प्रीमियम	५००)

वह व्यक्ति ७२७६) पर ७७७६) की औसत दर से आय-कर देगा।

स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड (Approved Superannuation Fund) —यह फंड धारा ५८ आर में दी हुई शर्तों को पूर्ण करनेवाला तथा सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्वीकृत फंड होता है। इस फंड में जो चन्दा दिया जाता है वह बीमा के प्रीमियम की तरह से ही माना जाता है। कर्मचारी द्वारा दिया हुआ इस फंड का चन्दा और जीवन बीमा का प्रीमियम दोनों मिलाकर कुल आय के छठे हिस्से तक या ६०००) तक, जो दोनों में कम हो, आय-कर से मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं है। इस फंड से मृत्यु पर या नौकरी छोड़ने पर जो एकत्रित रकम मिलती है वह भी कर से सर्वथा मुक्त होती है।

जीवन बीमा की प्रीमियम :—जीवन बीमा की प्रीमियम, यदि कर-दाता व्यक्ति है तो उसके स्वयं के जीवन या उसकी पत्नी या पति के जीवन बीमा के लिए कुल आय के छठे हिस्से तक या ६०००) तक, जो दोनों में से कम है, आयकर से मुक्त है। यदि कर-दाता संयुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा की प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के छठे हिस्से तक या १२०००) तक आय-कर से मुक्त है। परन्तु यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि प्रीमियम जीवन बीमा पालिसी की पूरी रकम के दसवें हिस्से से अधिक कभी नहीं हो सकेगा।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Relief)—वेतन से प्राप्त होनेवाली आय कमाई हुई आय है। इसलिए इस आय का धारा १५ ए के अनुसार पाचवा हिस्सा या ४०००) तक, जो भी कम हो, आय-कर से मुक्त है किन्तु अतिरिक्त-कर से नही है। यदि पाचवा हिस्सा ४०००) से अधिक हो तो कमाई हुई आय की छूट ४०००) तक ही मिल सकेगी। कोई भी कर्मचारी किसी स्वीकृत प्रोविडेंट फड (Recognised Provident Fund) का सदस्य हो तो जो मालिक द्वारा दिया हुआ चन्दा और फड के रकम का व्याज कुल आय में जोडे जाते है वे भी कमाई हुई आय ही माने जाएँगे। यह सब वाते उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी।

वेतन में से उद्गम स्थान पर कर का काटा जाना (Deduction of Tax at Source) —धारा १८ के अनुसार मालिक का यह उत्तरदायित्व है कि यदि कर्मचारी करक्षेत्र का निवासी है तो उसके वेतन की कुल आय पर लगनेवाले औसत दर से आयकर और अतिरिक्त-कर अनिवार्य रूप से काट ले और यदि कर्मचारी परदेशी (Non-Resident) है तो आयकर उच्चतम दर (Maximum Rate) से और अतिरिक्त कर धारा १७ (१) (ब) के अनुसार काटा जायगा।

इस धारा के अन्तर्गत अतिरिक्त-कर के लिए कटौती निम्न दो विधियो मे से, जिससे भी अधिक बनती हो, उसी के अनुसार होगी —

(१) उस दर के आधार पर जो अतिरिक्त कर लगने की पहली टुकडी (Slab) पर लागू होती है—अर्थात् ३ आने + ५% ; या

(२) उतनी रकम जो उसको अपनी कुल आय पर अतिरिक्त-कर के लिए देनी पडती यदि वह कर-क्षेत्र का निवासी होता।

इस प्रकार काटी हुई रकम सरकारी कोष मे जमा कर दी जायगी। यदि कोई मालिक अपने कर्मचारी के वेतन मे से कर न काटे या

काटकर सरकारी कोष मे जमा न करे तो वही इस कर की रकम के लिए उत्तरदायी होगा और धारा ४६ के अन्तर्गत कर की रकम के बराबर की रकम का उसपर दण्ड भी किया जा सकेगा। परदेशी कर्मचारी का टैक्स कम दर से भी काटा जा सकता है यदि इनकमटैक्स अफसर इस प्रकार का सर्टिफिकेट उसे दे देवे। यह टैक्स काटते समय प्रोविडैण्ट फण्ड के चन्दे, जीवन बीमा के चन्दे, कमाई हुई आय की छूट आदि का भी ध्यान रखा जावेगा, परन्तु मालिक को पुण्यार्थ दान (Charitable Purposes) आदि में दी हुई रकम पर कर्मचारी को छूट देने का अधिकार नही है। यदि वेतन करक्षेत्र के बाहर दिया जा रहा हो तो भारत में उसपर टैक्स अवश्य काट लेना चाहिए। मासिक टैक्स मालूम करने के लिए रुपये से कम की आय को छोड दिया जाता है और टैक्स निकटतम आनो मे निकाला जाता है।

वार्षिक नक्शा (Annual Return)—धारा २१ के अनुसार प्रत्येक मालिक को ३१ मार्च के ३० दिन के अन्दर इनकमटैक्स अफसर के पास उन व्यक्तियो के नाम-पते भेजने पडते है, जिन्हे गत वर्ष में १६००) से अधिक वेतन दिया गया है।

उदाहरण:—एक व्यक्ति को ७५०) मासिक वेतन मिलता है। उसको मालिक की ओर से ७२०) वार्षिक मूल्य का मकान मुफ्त में मिल रहा है। उसके वार्षिक वेतन मे से १० प्रतिशत स्वीकृत प्रोविडैण्ट फड के चन्दे के लिए काट लिया जाता है और उसका मालिक भी उतनी रकम स्वीकृत प्रोविडैण्ट फण्ड मे चन्दे की दे देता है। उसको ५) प्रतिशत ब्याज की दर से १०००) वार्षिक ब्याज अपने फड पर मिलता है। उसने अपनी बीमा पॉलिसी पर ५००) प्रीमियम दिया हो तो निम्न बातें बताओ —

(क) उसको कुल कितना कर देना पडेगा ?

(ख) कर की औसत दर (Average Rate) क्या होगी ?

(ग) उद्गम स्थान पर प्रतिमास कर के लिए कितनी कटौती होगी ?

वेतन	९०००)
मकान का मूल्य	७२०)
मालिक का चन्दा	९००)
प्रोविडेण्ट फड का ब्याज	१०००)
कुल वेतन की आय	११६२०)
कमाई हुई आय की छूट $\frac{1}{5}$	२३२४)
शेष कुल आय	९२९६)

९२९६) पर सकल आय-कर इस प्रकार होगा —

१५००) पर	०- ०-०
३,५००) पर ९ पाई प्रति रुपये की दर से	१६४- १-०
४,२९६) पर -।१।९ की दर से	४६९-१४-०
	६३३-१५-०
सरचार्ज $\frac{1}{20}$ (Surcharge)	३१-११-२
	६६५-१०-२

इसलिए औसत दर $= \frac{६६५\text{-}१०\text{-}२}{९,२९६}$ रु०

= १३ ७५ पाई प्रति रु०

कर-मुक्त आय —

मालिक और कर्मचारी दोनो के चन्दे	१५००)
जीवन बीमा प्रीमियम	१२०)
ब्याज, प्रोविडेंट फण्ड पर प्राप्त	१०००)
	२,६२०)

२६२०) पर १३ ७५ पाई प्रति रु० की दर से १८७-१०-१

कुल सकल आय-कर	६६५-१०-२
घटाई आय-कर की छूटें	१८७-१०-१
शुद्ध आय-कर जो देना है	४७८- ०-१

इस लिए प्रतिमास उद्गम स्थान पर
आय-कर की कटौती होगी

$$= \frac{\text{४७८ रु० ० आ० १ पा०}}{\text{१२}}$$

= ३६ रु० १३ आ०

नोट —वेतन, लाभाश तथा सिक्योरिटियो पर मिलनेवाले ब्याज पर दिया जानेवाला कर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है। कर निकालने के लिए इन तीनो साधनो की आयो पर वे ही दर प्रयुक्त होती है जो उस वर्ष में, जब कि ये आय हुई है, प्रचलित रही हो।

अध्याय ८

(२) सिक्योरिटियों का ब्याज

(INTEREST FROM SECURITIES)

धारा ८ के अनुसार सिक्योरिटियो से प्राप्त ब्याज पर कर लगाया जाता है। सिक्योरिटियो का अर्थ केवल उन सिक्योरिटियो से है जो केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारो तथा स्थानीय सत्ताओ (Local Authorities) द्वारा वोण्ड्स (Bonds) के रूप मे या सार्वजनिक कपनियो (Public Companies) द्वारा ऋण-पत्रो (Debentures) के रूप मे प्रचलित की जाती है। इन सिक्योरिटियो मे सरकारी हुण्डियो (Treasury Bills) और कपनियो के हिस्सो (Shares) को सम्मिलित नही किया जाता है। हिस्सो का लाभाश (Dividend) तथा सरकारी हुण्डियो का वट्टा (Discount) धारा १२ के अनुसार टैक्स किया जाता है।

सिक्योरिटियो के भेद :—सिक्योरिटियो को आय-कर के लिए निम्न तीन भागो मे विभाजित किया जाता है —

१ कर-मुक्त सरकारी सिक्योरिटियां (Tax-free Government Securities)—यदि इस प्रकार की सिक्योरिटिया केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारो द्वारा प्रचलित की गई है तो इनका ब्याज कुल आय में केवल आय-कर की दर निकालने के लिए जोडा जाता है अन्यथा यह ब्याज की रकम आय-कर से मुक्त है, परन्तु अतिरिक्त-कर (Super-Tax) से मुक्त नही है। ऐसी कर-मुक्त सिक्योरिटियां, जो कि प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रचलित की गई है, उनका आय-कर प्रान्तीय सरकार देती है।

२. कर-मुक्त व्यापारिक सिक्योरिटियां (Tax-free Commercial Securities).—यदि कोई कपनी कर-मुक्त हिस्से (Tax-free Shares) या कर-मुक्त ऋण-पत्र (Tax-free Debentures) प्रचलित करती है तो ये वास्तव में कर-मुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की सिक्योरिटियो पर कपनी अपने अविभाजित लाभ में से कर-दाता के एवज मे सरकार को आय-कर दे देती है। इसलिए हिस्सेदारो को जो कर-मुक्त लाभाश (Tax-free Dividend) या ऋण-पत्रो के वाहको को जो कर-मुक्त ब्याज (Tax-free Interest) प्राप्त होता है वह शुद्ध आय (Net Income) होती है और उनकी सकल आय (Gross Income) मालूम करने के लिए इस लाभाश या ब्याज मे आय-कर (जो कपनी ने दिया है) की रकम भी जोडनी पडती है अर्थात् उसे आय-कर की रकम से बढाना (Gross up) पडता है।

३ कर-घटाई सिक्योरिटियां (Less-Tax Securities) — ये वे सिक्योरिटिया है जिनके ब्याज की कुल रकम मे से आय-कर काटने के बाद जो शेष ब्याज की रकम बचती है वह सिक्योरिटी-वाहक को दी जाती है। कर-घटाई और कर-मुक्त सिक्योरिटियो मे यह भेद है कि कर-घटाई सिक्योरिटियो के ब्याज मे से आय-कर काटकर वाहक को शेष शुद्ध ब्याज दिया जाता है परन्तु कर-मुक्त सिक्योरिटियो मे कपनी अपने अविभाजित लाभ मे से सिक्योरिटी-वाहको (Securityholders) की एवज मे स्वय आय-कर देती है और उनको निश्चित दर पर ब्याज मिलता रहता है—इसमे कोई कमी नही होती।

यह बात नीचे लिखे हुए उदाहरणो से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

उदाहरण :—

(१) 'अ' को एक कपनी से ७०००) कर-मुक्त (Free of Tax)

व्याज मिला तथा दूसरी कपनी से ७०००) कर घटा (Less Tax) व्याज मिला। आय की दृष्टि से इन दोनो का एक ही अर्थ होगा। अर्थात् दोनो विनियोगो से जो व्याज मिली है वह शुद्ध व्याज (Net-Interest) है। पहिली कपनी से मिलनेवाली रकम मे वह राशि और जोडी जायगी जो कपनी ने कर के रूप मे 'अ' की ओर से अपने पास से चुका दी है और तब यह राशि सकल व्याज की रकम समझी जायगी। दूसरी कपनी से मिलनेवाली रकम मे वह रकम और जोडनी होगी जो व्याज मे से कम कर दी गई है और तब वह राशि सकल व्याज की राशि होगी।

(२) 'अ' ने एक कम्पनी के ५५०००) के ६% आय-कर मुक्त डिबेंचर खरीदे और दूसरी कम्पनी ने भी ५५०००) के ६% के कर-घटाए डिबेचर खरीदे। यद्यपि दोनो कम्पनियो के एक ही राशि के तथा उतनी ही व्याज दर के डिबेचर है, परन्तु पहिली कम्पनी से मिलनेवाली व्याज की रकम ३३००) होगी। इसमे १५००), जो कपनी ने आय-कर के 'अ' की ओर से अपने पास से दिये है, मिलाकर सकल व्याज ४८००) समझी जायगी। दूसरी कपनी से मिलनेवाली सकल व्याज ३३००) ही होगी।

सिक्योरिटियो के व्याज से कर-योग्य आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित कटौतिया (Deductions) दी जाती है :—

१ व्याज को वसूल करने के लिए दिया गया बैंक कमीशन।

२ सिक्योरिटियो के खरीदने के हेतु लिए हुए ऋण का व्याज।

परन्तु यदि सिक्योरिटिया १ अप्रैल सन् १९३८ के बाद प्रचलित की गई हो और उन्हे खरीदने के लिए लिये हुए ऋण का व्याज किसी परदेशी (Non-Resident) को दिया गया हो तो इस व्याज की रकम को तब तक कर-दाता की इस आय मे से कम नही किया जायगा जब तक उस परदेशी के व्याज पर उद्गम स्थान पर आय-कर न काट लिया जाय, या

धारा ४३ के अनुसार उस परदेशी का आय-कर देने के लिए भारत में कोई एजेण्ट न हो।

३ यदि ऋण कर-मुक्त सिक्योरिटिया खरीदने के लिए लिया गया है तो इसका ब्याज कर-मुक्त ब्याज में से ही कम किया जा सकेगा।

४ यदि इस शीर्षक में नुकसान रहे अर्थात् ऋण का ब्याज व बैंक कमीशन आदि की रकम सिक्योरिटी पर प्राप्त होनेवाले ब्याज की रकम से अधिक हो तो इस प्रकार का नुकसान कर-दाता की अन्य आय मे से उसी वर्ष बाद दिया जा सकेगा परन्तु यह नुकसान आगामी वर्षों मे आगे ले जाकर परिशोधित (Set off) नही किया जा सकेगा।

ब्याज सहित और ब्याज रहित लेन-देन (Cum-dividend and Ex-dividend Transactions)—इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार ब्याज की रकम उसी व्यक्ति की आय मानी जाती है जो कि उस दिन उन सिक्योरिटियो का मालिक है। यदि किसी सिक्योरिटी को ब्याजसहित वेचा गया है तो उसका खरीदनेवाला ब्याज का मालिक समझा जावेगा न कि वेचनेवाला।

उद्गम स्थान पर टैक्स काटना:—इनकमटैक्स ऐक्ट के अनुसार सिक्योरिटियो पर ब्याज देनेवाले व्यक्ति को ब्याज की रकम मे से सर्वोच्च दर (Maximum Rate) से आय-कर, न कि अतिरिक्त-कर (Super-Tax), काट लेना चाहिए, परन्तु यदि सिक्योरिटियो का स्वामी इनकमटैक्स अफसर से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले कि उसकी कुल आय या कुल विश्व-आय कर योग्य नही है या कम दर से टैक्स लगने योग्य है तो उस ब्याज की रकम मे से या तो टैक्स काटा ही नही जावेगा और यदि काटा भी जावेगा तो नीची दर से। उद्गम स्थान पर टैक्स काटनेवाले व्यक्ति को कर-दाता को एक सर्टिफिकेट भी देना पडता है और उसका एक लेखा इनकमटैक्स अफसर को भेजना पडता है।

सिक्योरिटियो के खरीदने और बेचनेवाले व्यक्ति को यदि उनके बेचने पर नुकसान हो जावे तो वह रेवेन्यू नुकसान समझा जावेगा, परन्तु यदि कर-दाता विनियोग (Investment) के रूप मे सिक्योरिटियो को रखता है तो उनके बेचने पर जो नुकसान होगा वह पूजीगत नुकसान (Capital Loss) समझा जावेगा और उसपर टैक्स की कटौती नही दी जावेगी।

उदाहरण :—

(१) 'क' के विनियोग १९४९-५० मे निम्नलिखित थे —

(क) ४०,०००) तीन प्रतिशत सरकारी ऋण।

(ख) १०,०००) छ प्रतिशत कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट डिबेचर्स।

(ग) ३०,०००) पाच प्रतिशत म्युनिसिपल बोण्ड्स।

'क' के बैंक ने ब्याज सग्रह करने के लिए १०) कमीशन के लिए। 'क' को ६००) उस ऋण के ब्याज के देने पडे जो उसने म्युनिसिपल बोण्ड्स को खरीदने के लिए लिया था। 'क' की सिक्योरिटियो के ब्याज से प्राप्त होनेवाली कर-योग्य आय निम्न होगी :—

सिक्योरिटियो के ब्याज की आय —

(क)	सरकारी ऋण	१२००)	
(ख)	पोर्ट ट्रस्ट डिबेचर्स	६००)	
(ग)	म्युनिसिल बोण्ड्स	१५००)	३३००)

कटौतिया (Deductions allowed) :—

(क)	बैंक कमीशन	१०)	
(ख)	ऋण पर ब्याज	६००)	६१०)

ब्याज से कर-योग्य आय रु० २६९०)

सन् १९४९-५० में ३३००) की ब्याज की रकम पर उद्गम-स्थान पर पाच आने की दर से आय-कर काटा जावेगा।

(२) १ अप्रैल सन् १९४९ को 'ख' के पास निम्नलिखित सिक्योरिटिया थी .—

(क) २००००) ५ प्रतिशत सरकारी आय-कर-मुक्त ऋण (Tax-free Loan) सन् १९४५-५५ ।

(ख) ५५०००) ६ प्रतिशत आय-कर-मुक्त डिबेचर्स (Tax-free Debentures)।

(ग) २५०००) ६ प्रतिशत कर-घटाए (Less Tax) डिबेंचर्स ।

'ख' ने ५०) बैंक को ब्याज सग्रह करने का कमीशन दिया और ११००) ब्याज के ५५०००) के डिबेचर्स को खरीदने के लिए उधार लिये हुए रुपये पर दिये। बतलाओ 'ख' की ब्याज से क्या कर-योग्य आय होगी ?

ब्याज की आय		उद्गमस्थान पर कटौती
(क) आयकर-मुक्त ऋण का ब्याज	१०००)	——
(ख) आय-कर-मुक्त डिबेंचर्स का कुल ब्याज $\frac{(३३०० \times १६)}{११}$	४८००)	१५००)
(ग) कम आय-कर डिबेंचर्स का ब्याज	१५००)	४६८।।।)
योग	७३००)	१९६८।।।)

— कटौतिया —

(क) बैंक कमीशन	५०)	
(ख) ऋण पर ब्याज	११००)	११५०)
ब्याज से कर-योग्य आय		६१५०)

सन् १६४६-५० में ६३००) की ब्याज की रकम पर उद्गम-स्थान पर पाच आने की दर से १६६८।।।) आय-कर काटा जावेगा। परन्तु १६४५-५५ सरकारी आय-कर-मुक्त ऋण पर उद्गम-स्थान पर कोई टैक्स नही काटा जावेगा क्योकि यह वास्तविक रूप में आय-कर से मुक्त है।

अध्याय १

(३) जायदाद की आय

(INCOME FROM PROPERTY)

धारा ६ के अनुसार कर-दाता को अपनी जायदाद के उचित वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर आय-कर देना पडता है। जायदाद की परिभाषा मे मकान या उससे लगी हुई जमीन को सम्मिलित किया जाता है, जिसका कर-दाता स्वयं मालिक है। यदि कर-दाता मकान या जमीन को अपने उस निजी कारवार, पेशा या व्यापार के काम मे लावे, जिसके लाभ पर कर लगता हो तो उस प्रकार की जायदाद की आय पर आय-कर नही लगता है। ठेके (Lease) पर लिये हुए मकान या जायदाद से होनेवाली आय पर आय-कर धारा ६ के अनुसार न लगकर धारा १२ के अनुसार लगता है। परन्तु यदि जायदाद अन्य देशो में स्थित है तो उससे प्राप्त होनेवाली आय पर आय-कर धारा ६ के अनुसार ही लगता है।

संयुक्त जायदाद (Property Owned Jointly) :—यदि कोई जायदाद कई व्यक्तियो द्वारा सम्मिलित रूप मे रखी जाती हो और यदि प्रत्येक व्यक्ति का जायदाद का हिस्सा निश्चित (Definite) और मालूम करने योग्य (Ascertainable) हो तो उन व्यक्तियों पर आय-कर जन-मडल (Association of Persons) की भाति न लगकर व्यक्तिगत रूप से (Individually) लगेगा।

अविभाज्य एस्टेट (Impartible Estate) .—धारा ६ (४) के अनुसार अविभाज्य एस्टेट का उत्तराधिकारी अपनी तमाम जायदाद

का स्वय अकेला मालिक समझा जाता है। इसलिए सन् १९४८-४९ के असेसमैंट साल और उससे आगामी सालो से अविभाज्य एस्टेट के मालिक की कुल आय मे जायदाद की आय भी सम्मिलित कर ली जावेगी।

कर-मुक्त जायदाद की आय (Exempted Property Income) —वह मकान, जिसका बनना १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९५२ के वीच प्रारभ तथा समाप्त हुआ हो, उसके समाप्त होने के दो वर्ष तक की आमदनी टैक्स से सर्वथा बरी (मुक्त) है।

वार्षिक मूल्य (Annual Value) —धारा ९ के अनुसार कर-दाता को अपनी जायदाद के वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर देना पडता है। वार्षिक मूल्य का अर्थ उस वार्पिक किराये की रकम से है जिसपर जायदाद को प्रति वर्ष किराये पर दिया जा सके। यदि कर-दाता स्वय अपने रहने के लिए जायदाद को काम मे ले तो इसका वार्षिक मूल्य मकान-मालिक की कुल आय के दसवे भाग से अधिक नही हो सकेगा। परन्तु यदि किसी कर-दाता का केवल एक ही मकान है और वह अपनी नौकरी, व्यापार या पेशा किसी दूसरी जगह होने के कारण उस मकान मे न रहता हो और अपने काम करने की जगह किसी किराये के मकान मे निवास करता हो और उसका निजी मकान किराये पर न दिया गया हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कुछ भी नही माना जायगा। यदि वह उस वर्ष मे किसी समय के लिए अपने निजी मकान मे रहा है तो मकान का वार्षिक मूल्य उसी अनुपात मे उसकी आय समझा जायगा परन्तु किसी भी अवस्था मे ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य नफी (Loss) मे नही माना जायगा।

वास्तव मे देखा जाय तो वार्षिक मूल्य एक कल्पित रकम है जो प्राप्त हुए किराये से कम या अधिक हो सकती है। परन्तु यह वात ध्यान देने योग्य है कि यदि जायदाद किसी किरायेदार के पास है और स्थानीय सत्ता

(Local Authority) द्वारा लगाये हुए टैक्स पूर्ण रूप से मालिक द्वारा दिये जाते है या कुछ मालिक द्वारा और कुछ किरायेदार द्वारा तो जायदाद का उचित वार्षिक मूल्य मालूम करने के लिए इस प्रकार के टैक्सों की आधी रकम, जो किसी भी अवस्था मे जायदाद के वार्षिक मूल्य के आठवे भाग से अधिक नही हो सकेगी काट ली जावेगी। यह कटौती सन् १९५१-५२ के असेसमेंट साल से ही लागू किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से यह भली भाति समझ मे आ जावेगा।

(१) एक किरायेदार जायदाद का किराया प्रति वर्ष १००००) देता है। इस जायदाद पर कुल स्थानीय टैक्स (Local Taxes) ८००) है जिसमे से किरायेदार स्वय ने ३००) टैक्स के स्थानीय सत्ता को अपने किराये के अलावा दे दिये है। बतलाओ जायदाद का वार्षिक मूल्य क्या होगा ?

	रु०
मालिक द्वारा प्राप्त किया हुआ किराया	१००००)
मालिक की एवज में किरायेदार द्वारा दिये हुए स्थानीय टैक्स	३००)
	१०३००)
बाद दिया :—स्थानीय टैक्सो का आधा भाग	४००)
वार्षिक मूल्य	९९००)

(२) जायदाद से प्राप्त हुआ किराया १७६००) है और किरायेदार ने मालिक की एवज में इस किराये के अलावा ४००) स्थानीय टैक्स के

स्वय दिये है। यदि कुल स्थानीय टैक्सो की रकम ४५००) है तो वतलाओ जायदाद का वार्षिक मूल्य क्या होगा ?

	रु०
मालिक द्वारा प्राप्त किया हुआ किराया	१७६००)
मालिक की एवज मे किरायेदार द्वारा दिये हुए स्थानीय टैक्स	४००)
	१८०००)
बाद दिया :—स्थानीय टैक्स (कुल वार्षिक मूल्य (Annual Value) के आठवे हिस्से तक)	२०००)
वार्षिक मूल्य	१६०००)

जायदाद का वार्षिक मूल्य १६०००) निम्न प्रकार से मालूम किया गया है —

मान लीजिए वार्षिक मूल्य है = अ

इसलिए अ होगा = $१८०,००० - \frac{अ}{८}$

८ अ = १४४,००० – अ

या ९ अ = १४४०००

इसलिए अ = १६०००

कटौतियां (Deductions) —किसी जायदाद की कर योग्य आय को मालूम करने के लिए निम्नलिखित कटौतिया उचित वार्षिक मूल्य में से वाद दी जाती है —

१. धारा ए की उपधारा १ के अनुसार मकान चाहे खाली रहे या किराये

पर दिया जावे या मकान-मालिक मरम्मत (Repairs) के लिए खर्च करे या न करे, अधिक करे या कम करे, प्रत्येक अवस्था में मकान-मालिक को वार्षिक मूल्य की आय मे से छठा हिस्सा उस मकान की मरम्मत के लिए बाद दे दिया जायगा।

१. (अ) १९५३ के सशोधन ऐक्ट के अनुसार यदि किसी करदाता की जायदाद को १९५० के आसाम भूकम्प से हानि पहुची हो तो उस जायदाद की मरम्मत की कटौती १९५१-५२ असेसमेंट वर्ष मे निम्न दो रकमो में से, जो भी कम हो, उस तक हो सकती है—(१) वार्षिक मूल्य का आधा, (२) वास्तविक खर्चा जो मरम्मत पर किया गया हो।

२ जायदाद की बरबादी या नुकसानी से बचने के लिए बीमा कम्पनी को दिया हुआ चन्दा भी बाद दिया जावेगा।

३. यदि जायदाद रेहन (Mortgage) हो, उसपर अन्य पूजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके व्याज की रकम भी बाद दी जाती है।

४ यदि जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार (Annual Charge) हो जो पूजीगत भार नही है तो इस वार्षिक भार की रकम भी बाद दी जाती है।

५. जायदाद को बनाने, खरीदने या मरम्मत करने के लिए कर्ज लिए हुए रुपये का व्याज भी बाद दिया जाता है।

६ जायदाद के आधीन जमीन का किराया या मालगुजारी जो दी गई है।

७. जायदाद की मालगुजारी जो दी गई है।

८ जायदाद की आमदनी को वसूल करने में जो सग्रह-व्यय (Collection charges) हुए है उनकी रकम, परन्तु यह रकम किराया वसूल करने का खर्चा व मुकदमे आदि का खर्चा सम्मिलित करके

जायदाद के वार्षिक मूल्य की ६ प्रतिशत से किसी भी अवस्था में अधिक नही होनी चाहिये ।

९ यदि जायदाद पूर्ण रूप से या उसका कुछ भाग किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदाद के वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्त-स्थान छूट (Vacancy Allowance) मे दे दिया जावेगा ।

१० यदि किराये की रकम वसूल नही की जा सके तो यह रकम भी वार्षिक किराये की आय मे से बाद दे दी जावेगी बशर्ते मकान उचित रूप से (Bonafide) किराये पर दिया गया हो, किरायेदार से मकान खाली करवा लिया गया हो या खाली करवाने के लिए उचित कार्यवाही कर दी गई हो, किरायेदार उस मकान के किसी दूसरे हिस्से मे या उसी मालिक के दूसरे मकान मे न रहता हो तथा मकान-मालिक ने न दिये हुए किराये को प्राप्त करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही कर दी हो ।

यदि इन सब उपर्युक्त कटौतियो की रकम जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो मकान-मालिक उसी वर्ष की अन्य आय मे से यह नुकसान बाद दे सकता है परन्तु वह इस नुकसान की रकम को आगामी वर्षों मे कभी भी बाद नही दे सकेगा ।

उदाहरण.—(१) राम की सन् १९५०-५१ की आय निम्न प्रकार है —

(क) वेतन की आय ३०००), (ख) कर-मुक्त सरकारी ऋण की आय १०००), (ग) जायदाद से प्राप्त किराया ६०००) जिसके किरायेदार ने ३००) स्थानीय टैक्स के इस किराये के अलावा कर-दाता की एवज मे दिये है, कुल स्थानीय टैक्स १५००) है । राम इस मकान के आधे भाग मे स्वय रहता है । मकान का स्थानीय मूल्याकन १५०००) है । राम ने यदि

मकान बीमा के चन्दे के २००) दिये हो तो उसकी जायदाद की आय तथा कुल आय क्या होगी ?

		रु०	रु०
किरायेदार से प्राप्त किराया		६०००)	
किरायेदार द्वारा मालिक के एवज में दिये हुए स्थानीय टैक्स		३००)	
कुल किराया		६३००)	
बाद दिया —स्थानीय टैक्स (कुल वार्षिक मूल्य के आठवे हिस्से तक)		७००)	
किराये पर दिये हुए हिस्से का वार्षिक मूल्य		५६००)*	
बाद.—छठा हिस्सा मरम्मत	९३३)		
बीमा का चन्दा (आधा)	१००)	१०३३)	४५६७)
स्वय के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य (कुल आय के दसवे हिस्से तक)		९२३)†	
बाद —छठा हिस्सा मरम्मत	१५३)		
बीमा का चन्दा	१००)	२५३)	६७०)
जायदाद से कर योग्य आय			५२३७)

* जब किराया स्थानीय टैक्स काटने के बाद प्राप्त हो और वार्षिक मूल्य के आठवें हिस्से तक स्थानीय टैक्सों को बाद देना हो तब कुल किराया की रकम [यहां ६३००)] को आठ से गुणा करके और नौ से भाग देने से वास्तविक वार्षिक मूल्य मालूम किया जा सकेगा ।

† मालिक के स्वय के रहनेवाले भाग का वार्षिक मूल्य (जो कि कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता) निम्नप्रकार से निकाला जा सकता है :—

मान लीजिये उस हिस्से का वार्षिक मूल्य है = अ

तब उसकी कुल आय होगी= ३०००) + १०००) + ४५६७) +

राम का सन् १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष का कुल आय का लेखा

१. वेतन	३०००)
२ करमुक्त सरकारी ऋण का व्याज	१०००)
३. जायदाद की आय	५२३७)
कुल आय	९२३७)

$$\left(\text{अ} - \frac{\text{अ}}{६} - १००\right)$$

या $$=८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६}$$

इसलिए $$\text{अ} = \frac{१}{१०}\left(८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६}\right)$$

$$१०\text{अ} = ८४६७ + \frac{५\text{अ}}{६}$$

या $$६०\text{अ} = ५०८०२ + ५\text{अ}$$

या $$५५\text{अ} = ५०८०२$$

इसलिए $$\text{अ} = ९२३$$

मालिक के स्वयं के रहनेवाले हिस्से का उचित वार्षिक मूल्य निकालने के लिए दूसरा सरल तरीका यह है कि कर-दाता की अन्य कुल आय में से जायदाद-सम्बन्धी सब खर्चा घटाकर (केवल मालिक के स्वयं के निवासस्थान के छठे हिस्से की मरम्मत को छोड़कर) जो शेष बची हुई रकम है उसे ६ से गुणा करने और ५५ का भाग देने से जो रकम आवेगी वही उस जायदाद का उचित वार्षिक मूल्य होगा। इस रकम में से मरम्मत, बीमा, ब्याज आदि के खर्चे बाद दिये जावेंगे। यह तरीका उपर्युक्त तरीके से अधिक सरल और उपयुक्त है। जैसे निवासस्थान का वार्षिक मूल्य निम्न होगा :—

$$\frac{६}{५५}(३००० + १००० + ४५६७ - १००)$$

$$= ९२३)$$

अध्याय १०

(४) व्यापार, पेशा और व्यवसाय-की आय

(INCOME FROM BUSINESS, PROFESSION AND VOCATION)

धारा १० के अनुसार कर-दाता अपने व्यापार, पेशा और व्यवसाय की आय व लाभ पर कर देता है। धारा २ (४) के अनुसार व्यापार में हर प्रकार की तिजारत, वाणिज्य, वस्तु-उत्पादन का कार्य सम्मिलित किया जाता है। पेशे का सबध उस कार्य से है जिसमे मस्तिष्क की योग्यता तथा हाथ की दक्षता की आवश्यकता होती है, जैसे डाक्टरी, वकालत आदि। व्यवसाय का अर्थ उन सब कार्यों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन करता है, जैसे बीमा एजेंसी, दलाली, सगीत, नृत्य आदि।

कटौतियां (Deductions) —व्यापार, पेशा और व्यवसाय की वास्तविक आय मालूम करने के लिए धारा १० (२) के अनुसार निम्न-लिखित खर्चे कच्ची आय वा कच्चे लाभ मे से बाद दिये जाते है —

(१) जायदाद का किराया :—जिस जायदाद या मकान मे व्यापार, पेशा आदि सचालित होते है उसका किराया व्यापारिक लाभ मे से घटाया जाता है। यदि मकान का कोई हिस्सा निवास आदि के लिए काम आता है तो केवल उस हिस्से का किराया, जो व्यापार के काम मे आता है, बाद दिया जावेगा। यदि फर्म द्वारा साझेदार को किराया दिया जाता है तो वह भी व्यापारिक लाभ में से बाद दिया जावेगा। परन्तु यदि कर-दाता अपने ही मकान मे व्यापार करता है तो उसका किराया लाभ में से नहीं घटाया जावेगा।

(२) उधार ली हुई पूंजी का ब्याज :—व्यापार आदि के लिए उधार ली हुई पूजी का ब्याज भी व्यापारिक खर्च मानकर कुल लाभ में से घटा दिया जाता है। यदि उस ब्याज की रकम किसी परदेशी (Non-resident) को दी गई है तो यह रकम तब तक बाद नही दी जा सकेगी जब तक इस ब्याज की रकम में से धारा १८ के अनुसार कर न काट लिया जावे या जब तक उस परदेशी का भारत मे कोई ऐसा एजेट न हो जिससे यह कर वसूल किया जा सके। फर्म के साझेदार को दिया हुआ ब्याज बाद नही दिया जाता है।

(३) बीमा का चन्दा :—यदि व्यापार आदि के काम आनेवाले मकानात, मशीनरी, गोदाम आदि का बीमा कराया गया हो तो जो रुपया बीमा के चन्दे के रूप मे दिया गया है वह भी व्यापारिक लाभ मे से कम किया जा सकेगा। यदि रुपया बीमा के चन्दे मे न दिया जावे, परन्तु केवल बीमा फड (Insurance Fund) मे रख लिया जावे तो यह रकम लाभ मे से नही घटाई जा सकेगी।

(४) चालू मरम्मत खर्च :—व्यापार के काम मे आनेवाले मकानात, मशीनरी, प्लांट, फरनीचर आदि को उचित रूप मे रखने के लिए जो चालू मरम्मत का खर्चा करना पडता है वह व्यापारिक लाभ मे से घटाया जा सकेगा। यदि पुरानी मशीनरी, प्लाट आदि को खरीदने के समय ठीक करने के लिए खर्च किया गया है तो वह खर्च पूजीगत खर्च होगा और यह बाद नही दिया जावेगा।

(५) स्थानीय टैक्स :—मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्युनिसिपल टैक्स, जो व्यापार के काम आनेवाली जायदाद पर लगते है, वे भी व्यापारिक लाभ मे से बाद दे दिये जाते है।

(६) कर्मचारियो को बोनस :—यदि कर्मचारियो को उनकी सेवाओ के बदले मे वेतन के अलावा कोई रकम बोनस या कमीशन के रूप मे दी गई हो तो वह रकम व्यापारिक लाभ मे से कम कर दी जावेगी बशर्ते यह रकम कर्मचारी को लाभाश या लाभ के रूप मे नही दी जाती और यह रकम

कर्मचारी व व्यापारी मालिक व व्यापार की अवस्था को ध्यान मे रखते हुए उचित जान पड़े।

(७) डूबत खाते :—वे व्यापारिक ऋण जो डूब गये हो या सदेहजनक हो निम्नलिखित अवस्थाओ में बाद दिये जा सकेगें.—(१) यदि कर-दाता अपना हिसाब किसी वैधानिक पद्धति के अनुसार रखता हैं, (२) केवल उस रकम को जिसको इनकमटैक्स अफसर ने प्राप्त न होने योग्य मान लिया हो, (३) यह रकम बट्टे खाते लिखी हुई रकम से कभी अधिक नही हो सकेगी, (४) यदि बट्टे खाते लिखी हुई रकम किसी वर्ष वसूल हो जावेगी तो यह उस वर्ष की आय समझी जावेगी और उसपर टैक्स लगेगा।

(८) मृतक व बेकार पशु :—यदि व्यापार के काम आनेवाले जानवर मर जाएँ या वे सदैव के लिए बेकार हो जाएँ तो उनके चमडे से प्राप्त हुई रकम को उनकी कीमत में से कम करने के बाद जो रकम बचे वह व्यापारिक लाभ मे से बाद दी जा सकेगी।

(९) घिसाई आदि :—व्यापार मे काम आनेवाली बिल्डिग, मशीनरी, प्लाट व फरनीचर आदि पर एक निश्चित दर से घिसाई (Depreciation) और मूल्यसतुलन बट्टा (Obsolescence Allowance) भी दिया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या एक पृथक् अध्याय में की जायेगी।

(१०) वैज्ञानिक खोज का व्यय:—व्यापार सबधी वैज्ञानिक खोज के लिए किया हुआ रेवेन्यू खर्चा व्यापारिक खर्चा माना जाता है और यह व्यापारिक लाभ मे से बाद दे दिया जाता है।

(११) वैज्ञानिक खोज के लिए चन्दा :—यदि चन्दा इस प्रकार की सस्था, विश्वविद्यालय, कालेज या अन्य सस्था को दिया गया है, जो निश्चित अधिकारी द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान के लिए स्वीकृत है और जो सस्था कर-दाता के व्यापारसबधी वैज्ञानिक खोज करने के लिए तैयार है या कर रही है तो इस चन्दे की रकम भी व्यापारिक लाभ में से बाद दे दी जावेगी।

(१२) वैज्ञानिक खोज पर पूंजीगत व्यय :—यदि व्यापार सबधी वैज्ञानिक खोज के लिए पूजीगत व्यय किया गया हो तो यह व्यय पाच बराबर के हिस्सो मे व्यय करने के वर्ष से लगातार ५ वर्षो तक प्रत्येक वर्ष व्यापारिक खर्चा मानकर बाद दे दिया जावेगा।

विविध खर्चे :—वह व्यय जो पूजीगत व्यय नही है या करदाता का निजी व्यय नही है परन्तु जो केवल व्यापार, पेशा व कारबार के लिए पूर्ण रूप से खर्च किया गया है वह व्यापारिक व्यय माना जावेगा और व्यापारिक लाभ मे से घटा दिया जायगा। विशेषकर निम्नलिखित व्यय व्यापारिक खर्चे माने जाते है—

(क) कर्मचारियो का वेतन, मजदूरी, भत्ता, पेशन आदि का खर्च।

(ख) विज्ञापन का वह खर्च जो पूजीगत नही है।

(ग) मुकदमे से सवधित खर्चा यदि मूलधन की रक्षा के लिए खर्च नही किया गया है, आय-कर का उत्तरदायित्व दूर करने के लिए लगा हुआ खर्चा बाद नही दिया जावेगा।

(घ) माल बेचने के लिए दिया हुआ कमीशन या दलाली भी बाद दी जायगी, परन्तु यदि कमीशन या दलाली आदि ऋण प्राप्त करने के लिए दी गई है तो बाद नही दी जावेगी।

(ङ) स्वीकृत प्रोविडैण्ट फण्ड का चन्दा भी बाद दिया जा सकेगा परन्तु अस्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड का नही।

(च) मजदूरो के हित (Employee's Welfare) मे लगाया हुआ खर्चा भी बाद दिया जावेगा।

(छ) श्रम क्षतिपूर्ति कानून (Workmen's Compensation Act) के अनुसार दिये जानेवाले हर्जाने को पूर्ण करने के लिए दिया गया चन्दा भी बाद दिया जावेगा।

(ज) वार्षिक हिसाब को आय-कर के लिए तैयार करने का खर्चा तथा उसकी ऑडिट फीस भी बाद दी जाती है ।

(झ) व्यापारिक काण्ट्रैक्ट (Contract) को रद्द करने पर जो हरजाना देना पड़े वह भी बाद दिया जावेगा ।

(ञ) किसी पेटेण्ट या कापीराइट की जो रायल्टी दी जाय वह भी बाद दी जावेगी ।

(ट) बिक्री-कर (Sales Tax) भी कुल व्यापारिक लाभ मे से बाद दिया जाता है ।

(ठ) कच्चे माल को प्राप्त करने का समस्त खर्चा बाद दे दिया जावेगा ।

(ड) सवारी खर्च, गाडी भाडा, लदाई, तुलाई, मजदूरी, आदि सब खर्चे बाद दिये जावेंगे ।

(ढ) अपने ट्रेड मार्क को दूसरी कपनी के द्वारा काम में न लाने दिये जाने के लिए किया हुआ कानूनी खर्चा भी बाद दिया जा सकेगा ।

(ण) स्टेशनरी, छपाई व अन्य डाक खर्चे भी बाद दिये जाते हैं ।

(त) ग्राहको के मनोरजन और आदर-सत्कार का खर्चा बाद दिया जाता है ।

(थ) व्यापारिक एसोसियेशन का चन्दा, यदि व्यापारी के हितार्थ है तो बाद दे दिया जाता है ।

(द) मुहूर्त, उत्सव या दीवाली-पूजन का ४००) तक का खर्चा बाद दिया जाता है ।

(ध) डाइरेक्टरो का वेतन, फीस, सवारी खर्चा, व्यापारिक खर्च है ।

(न) यदि व्यापार के कार्य में कोई कर्मचारी गबन कर ले तो वह रकम भी बाद दे दी जायगी ।

(प) यदि किसी कर्मचारी को रखना व्यापार के हित में न हो तो उसे

नौकरी से पृथक् करने पर जो हर्जाना दिया जावेगा वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जावेगा।

(फ) माल तैयार करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और उसे बिक्री योग्य बनाने का समस्त व्यय व्यापारिक व्यय माना जाता है।

(ब) मिलमालिक द्वारा सस्ते अनाज की दूकान अपने कर्मचारियो के लिए रखने पर जो हानि हो वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जावेगा।

(भ) व्यापार के नुकसान की जोखम को दूर करने के लिए जो बीमा चन्दा दिया जाता है वह भी व्यापारिक खर्चा ही माना जाता है।

(म) प्रबन्धकर्त्ताओ (Managing Agents) को जो लाभ पर कमीशन दिया जाता है वह भी व्यापारिक खर्चा है।

न काटे जानेवाले व्यय (Inadmissible Expenses).—निम्नलिखित व्यय व्यापार, पेशा व व्यवसाय की आमदनी मालूम करते समय नही घटाये जाते हैं.—

(१) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लाभ पर दिया हुआ महसूल, चुगी, टैक्स, व्यापारिक लाभ मे से घटाये नही जायेगे। आय-कर और अतिरिक्त-कर भी नही बाद दिये जाते हैं।

(२) यदि वेतन भारत के बाहर किसी परदेशी को दिया गया है तो जब तक इस वेतन पर उद्गम स्थान पर टैक्स न काटा गया है तब तक वह बाद नही दिया जा सकता है।

(३) फर्म के किसी भी साझेदार को दिया हुआ ब्याज, वेतन, कमीशन भी व्यापारिक लाभ मे से बाद नही दिया जाता है।

(४) अस्वीकृत प्रोविडेट फड मे दिया हुआ चन्दा भी बाद नही दिया जावेगा।

(५) मालिक या साझेदार के निजी खर्चे या उनकी ड्राइंग्स (Drawings) भी बाद नही दी जावेंगी।

(६) डूबत व सदेहपूर्ण खातो के रिजर्व (Reserve for Bad and Doubtful Debts) या और भी किसी प्रकार के रिजर्व की रकम भी व्यापारिक लाभ मे से बाद नही दी जाती है। रिजर्व पर दिया हुआ व्याज भी बाद नही दिया जाता है।

(७) वह धर्मादा खर्च, जो धारा १५ के अनुसार स्वीकृत सस्थाओं को नही दिया गया है, बाद नही दिया जाता है।

(८) गत वर्ष का नुकसान भी चालू वर्ष के लाभ मे से कम नही किया जा सकता है।

(९) कानून द्वारा निश्चित दरो से अधिक घिसाई (Depreciation) भी बाद नही दी जाती है।

(१०) ऋण-पत्रो (Debentures) को प्रचलित करने पर जो व्यय हो या ऋण प्राप्त करने पर जो खर्चे लगे वे भी लाभ मे से बाद नही दिये जाते है।

(११) नई कपनी द्वारा अपने हिस्सो (Shares) को बेचने के लिए दिया गया अभिगोपन कमीशन (Underwriting Commission) भी बाद नही दिया जाता है।

(१२) हिस्सो और ऋण-पत्रो को बेचने के लिए दी गई दलाली भी बाद नही दी जाती है।

(१३) कम्पनी का सस्थापन करने के समय जो प्रारभिक खर्चे (Preliminary Expenses) लगते है वे भी बाद नही दिये जाते है।

(१४) किसी भी व्यापारिक जायदाद की बढोतरी करने, बदलने या

परिवर्तन करने या सुधार करने मे जो खर्च होता है वह भी वाद नही दिया जाता है ।

(१५) अन्य वे समस्त खर्चे जो पूजीगत हो और जो पूर्ण रूप से और पृथक रूप से व्यापार के लिए व्यय नही किये गये हो व्यापारिक लाभ में से वाद नही दिये जाते है।

चाय की कम्पनियां (Tea Companies) —चाय की कपनियो की आय भी व्यापारिक लाभ की ही भाति मालूम की जाती है, परन्तु इन कपनियो की केवल ४० प्रतिशत आय ही कर योग्य मानी जाती है और ६० प्रतिशत आय कृषि आय मानी जाती है और इस पर कर नही लगता है। पौधो को लगाने, उनकी वदली करने तथा उनकी रक्षा करने पर जो खर्च लगता है वह भी बाद दिया जाता है, परन्तु किसी भी प्रकार का पूजीगत व्यय व्यापारिक लाभ मे से कम नही किया जाता है।

शकर की कम्पनियां (Sugar Companies) —जो शकर की कपनिया अपने कृषि फार्म पर गन्ना तैयार करके उससे चीनी तैयार करती है उन्हे इस गन्ने की बाजार भाव से कीमत व्यापारिक लाभ से कम करने का अधिकार है, परन्तु फार्म पर लगनेवाले अन्य खर्चो को कम करने का नही ।

व्यापार-मडल (Trade Associations) —यदि कोई व्यापार मडल या इसी प्रकार की अन्य सस्थाए उन कार्यो से लाभ प्राप्त करती है जिनको इन्होने अपने सदस्यो के हित के लिए किये है तो इनका वह लाभ भी व्यापारिक लाभ की भाति कर योग्य है।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) — यदि व्यापार, पेशा व व्यवसाय की आय व लाभ करदाता के शारीरिक या मानसिक परिश्रम के कारण हुआ है तो उसपर २० प्रतिशत तक या अधिक से अधिक ४०००) तक कमाई हुई आय की छूट मिलती है।

उदाहरण :—(१) श्रीगणेश कॉटन मिल्स के सन् १९५० के दिस-

म्बर तक के निम्नलिखित हानि-लाभ खाते से कंपनी की कर योग्य आय मालूम कीजिये —

कॉटन खाता	५०,००,०००)	सूत खाता	६१,००,०००)
स्टोर्स खाता	१०,००,०००)	कपडा खाता	३१,००,०००)
मजदूरी और वेतन	२०,००,०००)	वेस्ट खाता	२,४७,०००)
साधारण खर्चे	१०,०००)	ट्रान्सफर फीस	३,०००)
दान और धर्मादा (½ रकम स्वीकृत धर्मादा के लिए दी)	१०,०००)		
महसूल और बीमा	५,०००)		
दलाली (½ ऋण लेने के लिए दी गई)	५,०००)		
ऑफिस खर्च	१,१०,०००)		
डाइरेक्टर्स फीस	३,०००)		
आडिट फीस	२,०००)		
व्याज (½ रकम रिजर्व के लिए सम्मिलित है)	१,०५,०००)		
खोज का पूजीगत खर्च	५०,०००)		
प्रवन्धकर्त्ताओ का कमीशन	१,००,०००)		
घिसाई १०% (कानूनी दर ५%)	५०,०००)		
नफा	१०,००,०००)		
	९४,५०,०००)		९४,५०,०००

श्री गणेश काटन मिल्स का १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष का आय-लेखा

लाभ हानि-लाभ खाते से		१०,००,०००)
जोडो —खर्चे जो बाद नही दिये जा सकते है		
धर्मादा-दान (½)	५,०००)	
दलाली (½ ऋण लेने के लिए दी गई)	२,५००)	
खोज का पूजीगत खर्च (⅘)	४०,०००)	
घिसाई (५% से अधिक)	२५,०००)	
रिजर्व की रकम	५२,५००)	१,२५,०००)
कर योग्य कम्पनी की आय		११,२५,०००)

नोट —कम्पनी को कमाई हुई आय की छूट नही मिलती है।

(२) आसाम की कपनी लिमिटेड के सन् १९५१ के मार्च तक के निम्न हानि-लाभ खाते से कपनी की कर योग्य आय मालूम कीजिये —

प्रारभिक स्टॉक	२,५०,०००)	चाय की बिक्री	८,५०,०००)
कृषि और उत्पादन खर्च	५,००,०००)	चाय का स्टॉक	२,२०,०००)
किराया और महसूल	२५,०००)		
साधारण खर्च	१५,०००)		
कमीशन और दलाली	३०,०००)		
धर्मादा (अस्वीकृत आधा)	५,०००)		
आयकर और अतिरिक्त कर	१५,०००)		

रिजर्व	१०,०००)	
डाइरेक्टर्स फीस	१,०००)	
आडिट फीस	१,०००)	
व्याज (ऋण-पत्रो पर)	१३,०००)	
कर्मचारियो को बोनस	५,०००)	
घिसाई (आधी स्वीकृत)	५०,०००)	
नेट लाभ	१,५०,०००)	
	१०,७०,०००)	१०,७०,०००)

आसाम टी कपनी लिमिटेड का १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष का आय-लेखा

लाभ हानि-लाभ खाते से		१,५०,०००)
जोडो.—अस्वीकृत खर्चे —		
धर्मादा ($\frac{1}{2}$ अस्वीकृत)	२,५००)	
आय-कर और अति-रिक्त-कर	१५,०००)	
रिजर्व	१०,०००)	
घिसाई (आधी)	२५,०००)	५२,५००)
		२,०२,५००)
कम करो.—६० प्रतिशत कृषि आय		१,२१,५००)
कम्पनी की कर योग्य व्यापारिक आय		८१,०००)

अध्याय ११

(५) अन्य साधनो से आय

(Income from Other Sources)

धारा १२ (१) के अनुसार कर-दाता को उस सब प्रकार की आय व लाभ पर कर देना पड़ता है जो उसे प्रथम चार आय के शीर्षको के अलावा होती है। अन्य साधनो से प्राप्त आय में विशेषकर निम्नलिखित आय सम्मिलित की जाती है:—

(१) विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन या पेंशन

(२) अन्य सब प्रकार का व्याज, केवल सिक्योरिटियो के व्याज को छोड़कर

(३) कम्पनी के डाइरेक्टरो की फीस

(४) किसी प्रकार की फीस या कमीशन जो वेतन से सम्बन्धित न हो

(५) किसी विशेषाधिकार शुल्क (Royalty) के रूप मे प्राप्त आय

(६) मकान से पृथक् जमीन से प्राप्त किराये की आय

(७) भूमि से प्राप्त किराया

(८) वह सब प्रकार की आय जो मेले लगवाने से या मछली पकड़ने के घाटो से होती है

(९) किराये की जायदाद का कुछ हिस्सा किराये पर देने से जो आय हो

(१०) वह कृषि आय जो कर योग्य है

(११) इमारत, मशीनरी, प्लाट व फरनीचर के किराये से प्राप्त आय

(१२) कम्पनियो के हिस्सो पर प्राप्त लाभाश (Dividend) की आय

(१३) आय उन एन्यूइटियो (Annuities) पर जो विल (Will) या वसीयत के अनुसार दी गई है

(१४) किसी परदेशी (Non-resident) द्वारा अपनी भारतीय निवासी (Resident) धर्मपत्नी को भेजी हुई रकम

(१५) अन्य आय जो प्रथम चार शीर्षको में सम्मिलित नही की जा सकती है ।

कटौतियां (Deductions):—अन्य साधनो से कर योग्य आय मालूम करने के लिए उन समस्त खर्चो को वाद दिया जाता है जो उस विशेष आय व लाभ को उत्पन्न करने के उद्देश्य से व्यय किये गये है और जो पूजीगत व्यय नही है ।

बाद न दिये जानेवाले व्यय :—अन्य साधनो से आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित व्यय बाद नही दिये जाते है —

(१) कर-दाता का व्यक्तिगत या निजी व्यय

(२) वह व्यय जो पूजीगत व्यय है

(३) अन्य साधनो की आय में उस वेतन या ब्याज की रकम जो भारत के बाहर धारा १८ के अनुसार कर उद्गमस्थान पर काटे बिना भेजी गई हो ।

कमाई हुई आय की छूट (Earned Income Allowance) - यदि कर-दाता ने अन्य साधनो से शारीरिक या मानसिक मेहनत करके आय प्राप्त की हो तो उस आय पर २० प्रतिशत तक या अधिक से अधिक ४०००) तक की कमाई हुई आय की छूट दी जाती है ।

वास्तविक लाभाश को मालूम करना (Grossing up of Dividends)·—लाभाश की विस्तृत परिभाषा तो पहले ही बतलाई जा चुकी है । यहा पर यह बतलाना ही काफी है कि लाभाश की वास्तविक आय

कैसे मालूम की जाती है। हिस्सेदारो को जो रकम लाभाश के रूप में मिलती है वह उनकी लाभाश की वास्तविक आय (Gross Income) नही है क्योकि कम्पनी को लाभाश देने से पहले अपनी समस्त आय पर सर्वोच्च दर (Maximum Rate) से आय-कर देना पडता है। इसलिए हिस्सेदार के लाभाश की वास्तविक आय मालूम करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किये हुए लाभाश मे आय-कर की रकम और जोडी जानी चाहिए, परन्तु यहा पर प्रश्न उठता है कि इस आय-कर की रकम किस वर्ष की दर से लाभाश मे जोडी जावे ? इसका धारा १६ (२) के अनुसार सीधा-सादा उत्तर यही है कि लाभाश की रकम का ग्रोस-अप (Gross up) उस दिन की दर से ही किया जावेगा जिस दिन लाभाश की रकम दी गई है या जमा की गई है या बाटी गई है या ऐसा करना माना गया है। लाभाश की रकम को उस आय-कर की रकम के अनुपात से बढाया जावेगा जो कि कपनी की कुल आय पर उस आर्थिक वर्ष (Financial year) की दर से लागू होती है जिस वर्ष मे हिस्सेदार को लाभाश दिया गया है या उसका लेखा किया है या बाटा गया है या ऐसा करना माना गया है। यदि कपनी की आय का कुछ भाग ऐसे साधनो से प्राप्त किया गया हो जो कर-मुक्त हो जैसे कर-मुक्त सिक्योरिटियो (Tax-free Securities) से, कृषि से, तो लाभाश की वास्तविक आय (Gross Income) मालूम करने के लिए उसी अनुपात से आय-कर की रकम बढाई जाती है। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कंपनी को अपनी कुछ आय पर, जो कर-मुक्त साधनो से प्राप्त हुई है, कर नहीं देना पडता है, परन्तु हिस्सेदार के हाथो में ऐसी आय से प्राप्त लाभांश की रकम पूर्णतया कर योग्य है।

परन्तु १९५३ के आय-कर सशोधन ऐक्ट मे यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कपनी की कृषि आय पर प्रातीय कृषि-कर लग चुका है तो ऐसा कृषि-कर हिस्सेदारो द्वारा ही दिया समझा जायगा, और ऐसी

कपनी के हिस्सेदारो को जो कर आय-कर विधान के अनुसार देना पड़ेगा उसमे कुछ कटौती कर दी जायगी ।

इस कटौती की रकम निम्न दो रकमो में से जो भी कम होगी उसी के बराबर हो सकती है :—

(१) वह राशि जिसका कम्पनी द्वारा दिये गये कृषि-कर के साथ वही अनुपात है जो लाभाश (जो कि धारा १६ (२) के अनुसार बढाया नही गया है) का कम्पनी की कुल कृषि-आय के साथ है । या

(२) वह राशि जिसका हिस्सेदार द्वारा दिये जानेवाले आय-कर के साथ वही अनुपात है जो लाभाश (जो कि धारा १६ (२) के अनुसार बढाया नही गया है) का हिस्सेदार की कुल आय के साथ है ।

नेट लाभाश (Net Dividend) को वास्तविक लाभाश (Gross Dividend) में निम्न प्रकार से परिणत किया जाता है —

(१) यदि कपनी का समस्त लाभ कर योग्य है तो नेट लाभाश को ग्रोस लाभाश मे निम्न तरीके से परिणत किया जाता है·—

$$\text{ग्रोस लाभांश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{१}{१-\left(\frac{द}{१९२}\right)}$$

जब कि 'द' का अर्थ है कम्पनी द्वारा प्रति रुपये में दी गई आय-कर की दर पाइयो में ।

उदाहरणार्थ, यदि कपनी की कुल आय १९२) हो और कपनी की आय-कर की दर ६० पाई प्रति रुपया हो तो हिस्सेदार को नेट लाभांश १३२) मिलेगा और कपनी द्वारा दिये हुए आय-कर की रकम ६०) होगी । इसलिए

प्रत्येक १३२) के नेट लाभांश का ग्रोस लाभाश १६२) होगा। इसी नियम के आधार पर उपर्युक्त तरीका निकाला गया है ।

(२) यदि कपनी के लाभ का कुछ भाग ही कर योग्य है तो नेट लाभाश को ग्रोस लाभाश मे निम्न तरीके से परिणत किया जावेगा :—

$$\text{ग्रोस लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{१}{१ - \left(\frac{द}{१९२} \times \frac{अ}{१००}\right)}$$

जब कि 'द' का अर्थ है कपनी द्वारा प्रति रुपये मे दी गई आय-कर की दर पाइयो मे और 'अ' का अर्थ है कपनी के लाभ के उस प्रतिशत से जिस पर कर लगा है ।

उदाहरणार्थ, यदि कपनी की कुल आय १००) है और उसका ३२ प्रतिशत करयोग्य भाग है तो कपनी को ३२) पर ६० पाई प्रति रुपया कर की दर से १०) आय-कर के देने पडेंगे और हिस्सेदार को इस प्रकार नेट लाभाश ९०) मिलेगा। इसलिए प्रत्येक ९०) के नेट लाभाश का ग्रोस लाभांश १००) होगा जब कि कपनी का ३२) प्रतिशत लाभ कर योग्य है और आयकर की दर ६० पाई प्रति रुपया है। इसी नियम के आधार पर उपर्युक्त तरीका निकाला गया है।

अध्याय १२

घिसाई

(DEPRECIATION)

धारा १० (२) (vi) के अनुसार घिसाई कर-दाता की उस बिल्डिग, मशीनरी, प्लाट व फरनीचर के लिखित मूल्य (Written down value) पर नियमित दरो के अनुसार दी जाती है जो उसकी सम्पत्ति है और जो व्यापार, पेशा या व्यवसाय के काम में आते है। सामुद्रिक जहाजो की घिसाई उनकी लागत (Original Cost) पर दी जाती है और उनके लिखित मूल्य (Written down value) पर नही। घिसाई सदैव जायदाद के मालिक को ही दी जाती है और ठेकेदार को कभी नही।

लिखित मूल्य (Written Down Value).—किसी सम्पत्ति (Asset) के लिखित मूल्य का अर्थ है—(१) यदि सपत्ति को गत वर्ष मे खरीदा गया है तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से, और (२) यदि सपत्ति गत वर्ष से पहले खरीदी गई है तो उसकी वास्तविक लागत में से कर-दाता

को भी घिसाई की रकम पहले मिल चुकी है उसको घटाने के वाद जो रकम वचती है उससे । यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिए प्रारम्भिक घिसाई(Initial Depreciation) तथा सशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) को नही घटाया जाता है। यदि कर-दाता किसी विल्डिग का पहिले से ही मालिक हो और वह विल्डिग २८ फरवरी सन् १६४६ के वाद व्यापार, पेशा या व्यवसाय के काम मे लाई जावे तो उस विल्डिग का लिखित मूल्य वह रकम होगी जो लागत से कानून के अनुसार घिसाई की रकम घटाने के उपरान्त शेष रहती है ।

प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation):—धारा १० (२) (vi) के अनुसार नई बिल्डिग, नई मशीनरी और प्लांट पर निम्न प्रकार से प्रारम्भिक घिसाई प्रथम वर्ष मे दी जाती है :—

(१) यदि बिल्डिग १ अप्रैल सन् १६४६ और ३१ मार्च सन् १६५४ की अवधि मे वनाई गई है तो कर-दाता को लागत का १५ प्रतिशत दिया जावेगा ।

(२) यदि विल्डिग ३१ मार्च सन् १६४५ के वाद और १ अप्रैल सन् १६४६ के पहिले वनाई गई हो या विल्डिग ३१ मार्च सन् १६५२ के वाद बनाई जावे तो कर-दाता को लागत की १० प्रतिशत प्रारम्भिक घिसाई दी जावेगी ।

(३) यदि नई मशीनरी या नया प्लाट ३१ मार्च सन् १६४५ के वाद लगाया गया हो तो कर-दाता को उसकी लागत का २० प्रतिशत दिया जावेगा ।

यह प्रारम्भिक घिसाई केवल नई विल्डिग, नई मशीनरी व नये प्लाट

पर प्रथम वर्ष में ही दी जाती है। यह पूरी साल के लिए और पूरी दरो के अनुसार दी जाती है चाहे संपत्ति साल के मध्य में ही क्यो न तैयार की गई हो। इस प्रारम्भिक घिसाई को लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए नही घटाया जाता है। परन्तु यदि सपत्ति बेची जाय, या रद्दी की जाय, या नष्ट हो जावे तो उसके वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान में रक्खी जाती और इसको घटाकर यह नुकसान मालूम किया जाता है।

वार्षिक घिसाई (Annual Depreciation)·—धारा १० (२) (vi) के अनुसार प्रतिवर्ष बिल्डिग, मशीनरी, प्लाट और फरनीचर के लिखित मूल्य पर निश्चित दरो से वार्षिक घिसाई दी जाती है। वार्षिक घिसाई की कुछ प्रमुख दरे निम्न प्रकार से है :—

(१) प्रथम श्रेणी की बिल्डिग पर २½%
(२) दूसरी श्रेणी की बिल्डिग पर ५%
(३) तीसरी श्रेणी की बिल्डिग पर ७½%

फैक्टरी बिल्डिग्स पर इनसे दुगुनी दरें दी जाती है, परन्तु उनमे दफ्तर, गोदाम व निवास का मकान सम्मिलित नही किया जाता है।

(४) फरनीचर पर साधारण दर है ६%
(५) होटल व छात्रावास के फरनीचर पर ९%
(६) मशीनरी और प्लांट पर साधारणतया ७%
(७) मशीनरी और प्लाट की विशेष दर १०%
(८) मोटरकार और साइकिल पर २०%

अतिरिक्त चलने का भत्ता (Extra Shift Allowance) :—यदि कोई मशीनरी और प्लाट साधारण अवधि से दुगुनी अवधि तक चलाई जावे तो उनपर साधारण घिसाई की रकम के अतिरिक्त घिसाई की आधी रकम (५० प्रतिशत) और बाद दी जावेगी। यदि मशीन को तिगुने या और भी अधिक समय तक काम मे लाया गया है तो इस अतिरिक्त समय के चलाने की घिसाई शत प्रतिशत (१००%) तक हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक वर्ष ३०० दिन का माना जाता है। इस अतिरिक्त चलने के भत्ते को ही Extra Shift Allowance कहते है।

दुगुनी घिसाई (Double Depreciation) :—धारा १० (२) (vi ए) के अनुसार ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद जो नई बिल्डिग या नई मशीनरी या नया प्लाट व्यापार के काम मे लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जानेवाले वर्ष के बाद ५ असेसमेट वर्ष तक नियमित दरो से दुगुनी घिसाई दी जावेगी, परन्तु यह कटौती ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होनेवाले वर्ष तक ही मिल सकती है। यदि ३१ मार्च १९५९ तक किसी कर-दाता को ऐसी कुल चार या इससे भी कम कटौती मिली है तो उसको इसके बाद कोई कटौती नही मिलेगी। दूसरे शब्दो में केवल साधारण घिसाई (Normal Depreciation) के बराबर की रकम की घिसाई और मिलेगी, परन्तु अतिरिक्त चलने के भत्ते (Extra Shift Allowance) तथा प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation) की दुगुनी घिसाई नही दी जावेगी और कुल घिसाई की रकम वास्तविक लागत (Original cost) से कभी भी अधिक नही हो सकेगी। यदि इस प्रकार की मशीनरी और प्लाट की बाजार कीमत (Market Value) उस असेसमेण्ट वर्ष से पूर्व वर्ष के

३१ मार्च को, जिसमें कि करदाता को इस कटौती की अन्तिम किस्त मिलनी है, इसकी प्रारम्भिक लागत (Original Cost) से कम हो तो कर-दाता को प्रारम्भिक लागत के लिखित मूल्य (Written down value) तथा बाजार मूल्य (Market value) के लिखित मूल्य के अन्तर के बराबर घिसाई की रकम और बाद दे दी जावेगी। यह घिसाई भी लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए घटाई जा सकेगी परन्तु प्रारम्भिक घिसाई (Initial Depreciation) नही।

अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) –धारा १० (२) (vi) के दूसरे प्रोविजो के अनुसार यदि किसी वर्ष व्यापार में लाभ न होने के कारण घिसाई की छूट न मिल सके या थोडा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जावे तो घिसाई की शेष रही रकम को अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) कहते है। यदि उस वर्ष करदाता को वेतन, सिक्योरिटियो के व्याज, जायदाद या अन्य साधनो से आय हुई हो तो इस अशोधित घिसाई की रकम को इस आय से शोधित (Absorb) किया जा सकता है और केवल इसके बाद बची हुई घिसाई ही अशोधित घिसाई मानी जावेगी। अशोधित घिसाई आगामी वर्षों के लाभ में से बिना किसी प्रतिबन्ध के शोधित की जा सकती हैं जब कि व्यापारिक नुकसान केवल आगामी ६ वर्षो के लाभ से ही शोधित किया जा सकता हैं। यदि वह व्यापार किसी वर्ष बन्द हो जावे तो अशोधित घिसाई अन्य व्यापार के लाभ से शोधित नही की जा सकेगी। अशोधित घिसाई को सपत्ति का लिखित मूल्य (Written down value) मालूम करने के लिए बाद नही दिया जाता हैं क्योकि वह घिसाई वास्तव मे स्वीकृत की हुई घिसाई (Actually allowed depreciation) नही है।

संतुलनीय घिसाई (Balancing Depreciation):-धारा १० (२) (vii) के अनुसार यदि व्यापार के काम मे आनेवाली मशीनरी, प्लांट या बिल्डिंग को बेच दिया जावे, या रद्द कर दिया जावे, या गिरा दिया जावे, या नष्ट हो जावे तो इसके लिखित मूल्य [अर्थात् प्रारम्भिक लागत मे से समस्त घिसाई (प्रारम्भिक घिसाई को सम्मिलित करके) को घटाने के बाद जो रकम बचे] मे से बिक्री मूल्य (Sale Price) या शेष मूल्य (Scrap Value) को कम करने के उपरान्त जो नुकसान होता है वह सतुलनीय घिसाई के रूप मे बाद दे दिया जाता है। परन्तु यदि सपत्ति का बिक्री मूल्य (Sale Price) वास्तविक लागत (Original Cost) से या लिखित मूल्य (Written down value) से अधिक हो तो ऐसी वृद्धि वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जावेगा, परन्तु लागत से ऊपर का लाभ पूजीगत लाभ (Capital Profit) समझा जावेगा जो कर से सर्वथा मुक्त रहेगा। इसी प्रकार यदि बीमा कराई हुई सपत्ति नष्ट हो जावे तो टूटे-फूटे टुकड़ो का मूल्य व बीमा की रकम मिल कर उस सपत्ति के लिखित मूल्य से अधिक हो जावे तो ऐसी वृद्धि वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर योग्य है और उस लागत से ऊपर की रकम पूजीगत लाभ है जो कर से सर्वथा मुक्त है। ये सब प्रकार की घिसाइया निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी —

उदाहरण —एक फैक्टरी ने, जिसका व्यापारिक वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, एक नई मशीनरी १ अप्रैल १९४८ मे ५,००,०००J में खरीदी। यह मशीन प्रथम वर्ष मे ६० दिन Double shift और ९० दिनही Triple shift चली। यदि इस मशीन पर घिसाई १० प्रतिशत मिली हो और यह सन् १९५० के मार्च मे क्रमश. (१) १,५०,०००J, (२) ३,००,०००J और (३) ५,२०,०००J मे बेच दी जावे तो सतुलनीय घिसाई (Balancing depreciation), कर-योग्य लाभ (Taxable Profit) और पूजीगत लाभ (Capital Profit) क्या होगा ?

कर वर्ष			(१)	(२)	(३)
१९४९-५०	मशीनरी की लागत		५,००,०००)	५,००,०००)	५,००,०००)
	प्रारम्भिक घिसाई	१,००,०००)			
	साधारण घिसाई	५०,०००)			
	विशेष घिसाई	५०,०००)			
	अतिरिक्त Double shift allowance (१/१० का आधा)	५,०००)			
	(Triple shift allowance) (१/१० का १०० प्रतिशत)	१०,०००)	१,१५,०००)	१,१५,०००)	१,१५,०००)
१९५०-५१	लिखित मूल्य (Written down value)		३,८५,०००)	३,८५,०००)	३,८५,०००)
	साधारण घिसाई	३८,५००)			
	विशेष घिसाई	३८,५००)	७७,०००)	७७,०००)	७७,०००)
	लिखित मूल्य (Written down value)		३,०८,०००)	३,०८,०००)	३,०८,०००)
	कम करो प्रारम्भिक घिसाई		१,००,०००)	१,००,०००)	१,००,०००)
			२,०८,०००)	२,०८,०००)	२,०८,०००)
	बिक्री मूल्य		१,५०,०००)	३,००,०००)	५,२०,०००)
	संतुलनीय घिसाई (१)		(१) ५८,०००)	(२) ९२,०००)	२,९२,०००)
	कर-योग्य लाभ (२)				(३) २०,०००)
	पूजीगत लाभ (३)				

अध्याय १३

हिसाब-पद्धतियां और घाटे की पूर्ति

(ACCOUNTING SYSTEMS & SET-OFF OF LOSSES)

धारा १३ के अनुसार कर-दाता की आय उस हिसाव-पद्धति से ही मालूम की जाती है जिसको वह नियमित रूप से काम मे ले रहा है। परन्तु यदि कर-दाता की हिसाव-पद्धति से उसकी आय का पूरा-पूरा पता न लगाया जा सके या हिसाब-पद्धति ठीक नही हो या कभी हिसाव एक पद्धति के अनुसार रखा गया हो और कभी दूसरी पद्धति के अनुसार तो इनकमटैक्स आफिसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए जिस पद्धति को पसन्द करे उसके द्वारा हिसाब लगा सकता है।

आय-कर कानून के अनुसार हिसाब रखने के लिए कोई पद्धति निश्चित नही की गई है। परन्तु साधारणतया हिसाब को रखने के लिए निम्न-लिखित तीन पद्धतिया अपनाई जाती है —

(१) रोकड़ पद्धति (Cash System)—इस पद्धति के अनुसार केवल रोकडी व्यय और रोकडी आय का हिसाव रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक लेन-देन का दुहरा जमा-खर्च वहियो मे नही किया जाता है। जिस व्यापार मे उधार लेन-देन होता है उस व्यापार का लाभ इस पद्धति के अनुसार ठीक तरह से मालूम नही किया जा सकता है और न हिसाब ही ठीक तरह से रखा जा सकता है। परन्तु यह पद्धति निजी हिसाव व डाक्टर, वकील, क्लव, पुस्तकालय, स्कूल, कालेज आदि का हिसाव रखने के लिए अति उत्तम सिद्ध होती है।

(२) महाजनी पद्धति (Mercantile System) .—इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक लेन-देन का दुहरा जमा-खर्च किया जाता है। एक खाते मे वही रकम नाम लिखी जाती है और दूसरे खाते मे जमा की जाती है। यह पद्धति उधार के लेन-देन का हिसाब रखने के लिए भी अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है। इस पद्धति के अनुसार व्यापार का लाभ ठीक-ठीक प्रकार से मालूम किया जा सकता है। इस पद्धति के अन्तर्गत डूबते खातो (Bad Debts) की छूट भी करदाता को मिल जाती है जो कि रोकड़ पद्धति के अन्तर्गत नही मिलती है।

(३) मिश्रित रीति (Mixed System) —इस पद्धति के अनुसार कुछ लेन-देन तो रोकड पद्धति के अनुसार लिखे जाते है और कुछ अन्य लेन-देन महाजनी पद्धति के अनुसार लिखे जाते है। परन्तु कर-दाता इस मिश्रित पद्धति को तभी अपना सकता है जब कि वह उसको नियमित रूप से काम में लाता रहे। कोई भी कर-दाता बिना आय-कर अफसर की आज्ञा के हिसाब-पद्धति को नही बदल सकता है।

घाटे की पूर्ति (Set-off and Carry Forward of Losses).—धारा २४ (१) के अनुसार यदि कर-दाता को किसी वर्ष मे आय के विभिन्न शीर्षको में से किसी एक मे नुकसान रह जावे तो वह उस घाटे की रकम की पूर्ति उसी वर्ष की अन्य शीर्षको से प्राप्त कर-योग्य आय से कर सकता है। परन्तु यदि किसी करदाता को सट्टे मे हानि हो तो ऐसी हानि की पूर्ति केवल सट्टे ही के लाभ से कर सकता है और अन्य कर-योग्य आय से नही। यदि किसी वर्ष सट्टे में केवल हानि ही हो तो ऐसी दशा में इस हानि की आगामी ६ वर्षो के सट्टे के लाभो से पूर्ति की जा सकती है।

यदि व्यापार आदि मे किसी वर्ष नुकसान हो जावे और वह नुकसान की रकम अन्य कर-योग्य आय में से पूर्ण रूप से वाद नही दी जा सके तो

बचे हुए घाटे की रकम आगामी ६ वर्षो तक उसी व्यापार के लाभ से पूर्ण (Set-off) की जा सकती है ।

यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म को घाटा लग जावे तो वह प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य कर-योग्य आय से उस घाटे की पूर्ति कर सकती है और द्वितीय, शेष घाटे को वह अपने उसी व्यापार के लाभ से आगामी ६ वर्षो तक पूर्ण (Set-off) कर सकती है। परन्तु इस प्रकार की फर्म के साझेदार अपनी अन्य आय मे से इस घाटे की रकम की पूर्ति नही कर सकते है ।

यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म को घाटा लग जावे तो वह प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य कर-योग्य आय से उस घाटे की पूर्ति कर सकती है और द्वितीय, शेष घाटे की रकम को साझेदारो मे विभाजित कर सकते है। साझेदारो को यह अधिकार है कि वे प्रथम तो अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति अपनी उसी वर्ष की अन्य आय से कर सकते है और द्वितीय, यदि फर्म के घाटे की रकम शेष रह जावे तो उसे हर एक साझेदार अपनी उसी फर्म के आगामी ६ वर्षो के लाभ मे से परिशोधन (Set-off) कर सकता है।

यदि अनरजिस्टर्ड फर्म को इनकमटैक्स अफसर धारा २३ (५) (बी) के अनुसार रजिस्टर्ड मान ले तो उस फर्म के साझेदारो को वे ही अधिकार होगे, जो रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारो को प्राप्त है और वे भी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारो की भाति घाटे की पूर्ति कर सकेगे ।

यदि व्यापारिक घाटे के साथ-साथ अशोधित घिसाई (Unabsorbed Depreciation) भी बाकी है तो धारा २४ (२) (बी) के अनुसार पहले व्यापारिक घाटे की रकम की पूर्ति (Set-off) की जावेगी और उसके उपरान्त यदि शेष लाभ रहेगा तो उसमें से अशोधित या शेष घिसाई को बाद दिया जायगा ।

यदि वह व्यापार, जिसमे घाटा हुआ है, बन्द हो जावे तो यह घाटा आगे नही ले जाया जा सकता है और न किसी अन्य व्यापार के लाभ में से ही पूर्ण किया जा सकता है। यह घाटा पूजीगत घाटा मान लिया जाता है।

यदि किसी फर्म की व्यवस्था मे परिवर्तन हो या नया साझेदार लिया जावे तो इस अवस्था मे घाटा सहन करनेवाला साझेदार ही घाटे की पूर्ति कर सकेगा अन्य साझेदार या फर्म स्वय नही कर सकेगी। जो साझेदार फर्म से पृथक् हो जाता है वह भी फर्म से हुए घाटे की पूर्ति अन्य आय से भविष्य मे नही कर सकेगा।

यदि किसी कर-दाता को भारतीय रियासत मे घाटा हो जावे तो वह रियासती आय से ही उसी वर्ष उसकी पूर्ति कर सकता है और शेष घाटे को उसी रियासती व्यापार के लाभ मे से आगामी ६ वर्षो तक उसकी पूर्ति कर सकता है।

यदि कर-दाता आयकर अफसर द्वारा निश्चित किये हुए घाटे की रकम से सतुष्ट न हो तो वह उस आज्ञा (Order) की अपील कर सकता है।

उदाहरण—(१) क, ख और ग एक रजिस्टर्ड फर्म के बराबर के साझेदार है। यदि फर्म को व्यापार मे सन् १९५१-५२ मे कुल हानि ७५०००) रुपये की हो तो इन तीनो साझेदारो को अपनी-अपनी २५०००) की हानि अपनी दूसरी आय से उसी वर्ष पूर्ण (Set-off) करने का अधिकार होगा और वे इस बाकी हानि को आगामी ६ वर्षो तक के इसी फर्म के व्यापार लाभ से पूरा कर सकेगे।

यदि मान लीजिये कि 'क' इस फर्म को छोड दे और 'क' के स्थान पर 'घ' फर्म मे साझेदार हो जा वे तो, 'क' को इस फर्म की हानि को अगले वर्षों मे ले जाने तथा अन्य लाभ में से पूरा करने का अधिकार नही रहेगा।

परन्तु 'घ' उसी वर्ष इस हानि को अपनी अन्य आय मे से पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त ख, ग, घ को भी क का नुकसान अपने फर्म के आगामी वर्षों के लाभ से पूरा करने का अधिकार नही होगा।

(२) यदि ऊपर वाली फर्म अनरजिस्टर्ड है तो केवल फर्म ही इस हानि को अपने आगामी ६ वर्षों के लाभ से पूरा (Set-off) कर सकेगी। साझेदारो को अपनी आय में से उसी वर्ष मे इसे पूर्ण करने का अधिकार नही होगा। यदि क फर्म को छोड़ दे और केवल ख और ग ही फर्म के साझेदार रहे तो फर्म केवल ५००००) का नुकसान ही आगामी ६ वर्षो तक इसे पूर्ण कर सकेगी।

अध्याय १४

विभिन्न कर-दाता और उनका कर-दायित्व

भारतीय आयकर कानून के अन्तर्गत कर-दाताओ को निम्नलिखित श्रेणियो मे विभाजित किया गया है :—

१. व्यक्ति (Individual), २ सयुक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Family), ३. फर्म (Firm), ४ कम्पनी (Company), ५ स्थानीय सत्ता (Local Authority), ६. जन-मडल (Association of Persons)।

इस अध्याय मे प्रत्येक प्रकार के करदाता के कर-दायित्व का वर्णन किया जावेगा ।

(१) व्यक्ति :—प्रत्येक व्यक्ति को उसके निवास-स्थान के अनुसार अपनी कुल आय पर (या परदेशी को कुल विश्व-आय के आधार पर) निश्चित दरो के अनुसार आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पडता है । एक नाबालिग या कभी-कभी पागल होनेवाला व्यक्ति भी यदि अपनी बुद्धिमानी से आय पैदा करता है तो वह भी कर देने के लिए उत्तरदायी है । यदि व्यक्ति की कुल आय ४२००) से कम है तो उसे आय-कर नही देना पड़ता है और यदि २५०००) से कम है तो अतिरिक्त कर भी नही देना पड़ता है ।

यदि किसी व्यक्ति का देहान्त हो जाता है तो धारा २४ वी के अनुसार उसके प्रबन्धक (Administrator), एकजीक्यूटर (Executor) तथा वैधानिक प्रतिनिधि (Legal Representative) को कर देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है । परन्तु इन व्यक्तियो का कर देने का उत्तरदायित्व मृतक व्यक्ति से प्राप्त सपत्ति की रकम तक ही सीमित

है । इन्ही व्यक्तियो को मृतक व्यक्ति के कर की वापिसी (Refund) मागने और आय-कर अफसर की मनाही पर अपील करने का अधिकार है ।

धारा ४० के अनुसार नाबालिग, पागल आदि के सरक्षक (Guardian), ट्रस्टी (Trustee) अपने हिताधिकारी (Beneficiary) की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी हैं । कोर्ट ऑफ वार्ड्स, महाप्रवन्धक (Administrator General) या वैधानिक ट्रस्टी अपने वार्ड की आय पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है (धारा ४१) । एक विवाहिता स्त्री भी अपने पृथक् स्त्रीधन से प्राप्त आय पर पृथक् रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी होती है ।

यदि व्यक्ति ने अपनी आय का कुछ भाग अपने परिश्रम से प्राप्त किया है तो इस भाग पर २०% तक या अधिक से अधिक ४०००) तक कमाई हुई आय की छट (Earned Income Allowance) मिलती है।

(२) संयुक्त हिन्दू परिवार:—सन् १९५० के फाइनेन्स ऐक्ट के अनुसार जब तक हिन्दू परिवार निम्नलिखित दो शर्तो मे से कोई एक शर्त पूरी न कर देवे तब तक वह हिन्दू परिवार नही माना जावेगा और न उसे ८४००) के न्यूनतम सीमा का ही लाभ मिल सकेगा —

(क) उस हिन्दू सयुक्त परिवार मे कम से कम दो सदस्य एसे हो जो विभाजन कराने के अधिकारी हो और उनकी उम्र १८ वर्ष से कम न हो । या

(ख) उस हिन्दू सयुक्त परिवार मे कम से कम दो ऐसे सदस्य हो जो विभाजन कराने के अधिकारी हो परन्तु वे एक दूसरे की सतान न हो और न उस परिवार के किसी जीवित सदस्य की ही सतान हो ।

प्रथम शर्त अधिकतर मिताक्षरा सप्रदाय और दूसरी शर्त दायभाग

सप्रदाय के लिए लागू होती है क्योकि प्रथम सप्रदाय (जो बंगाल को छोडकर समस्त भारत मे प्रचलित है) के अनुसार पूर्वजो की सम्पत्ति में पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है परन्तु दायभाग सप्रदाय के अनुसार पुत्र को जन्म से कोई अधिकार नही मिलता है। उसे पिता की मत्यु पर ही ये सब अधिकार मिल सकते है। मिताक्षरा मे स्त्रियां सहभागी नही हो सकती है परन्तु दायभाग मे एक सहभागी (Coparcener) की स्त्री तथा पुत्री भी सहभागी हो सकती है।

यदि कोई हिन्दू सयुक्त परिवार उपर्युक्त शर्तो मे से एक भी शर्त न पूर्ण कर सके तो उसका कर निर्धारण व्यक्ति की भाति होगा अन्यथा हिन्दू संयुक्त परिवार की हैसियत से। कर निर्धारण सयुक्त परिवार के कर्त्ता के नाम से होता है। यदि सयुक्त परिवार की आय ८,४००) से अधिक है तो आय-कर और २५०००) से अधिक है तो आय-कर और अतिरिक्त कर दोनो लगेंगे।

धारा १४ (१) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या स्त्री को हिन्दू सयुक्त परिवार की आय में से कुछ भाग परिवार का सदस्य होने के कारण मिलता है तो यह आय-कर से सर्वथा मुक्त है।

धारा २५ ए के अनुसार हिन्दू सयुक्त परिवार आय-कर अफसर को बटवारे की प्रार्थना कर सकता है और आय-कर अफसर नोटिस देकर बटवारे की जाच कर सकता है। यदि जाच के बाद आय-कर अफसर पूर्णतया सतुष्ट हो जावे कि हिन्दू सयुक्त परिवार की समस्त सयुक्त जायदाद का विभाजन निश्चित और भौतिक (Metes and bounds) हिस्सो में हो चुका है तो वह विभाजन की स्वीकृति की आज्ञा (Order) दे सकता है। जब तक धारा २५ ए के अनुसार विभाजन की आज्ञा न दी जाए तब तक विभाजन होने पर भी वह सयुक्त परिवार ही समझा जावेगा।

(३) फर्म.—आय-कर के अन्तर्गत फर्म दो प्रकार की होती है—(१) रजिस्टर्ड अर्थात् स्वीकृत फर्म। रजिस्टर्ड फर्म वह फर्म है जो धारा

२६ ए के अनुसार स्वीकृत की जा चुकी है। (२) अनरजिस्टर्ड फर्म वह फर्म है जिसका धारा २६ ए के अनुसार रजिस्ट्रेशन नही हुआ है।

रजिस्टर्ड फर्म को स्वय को अपनी कुल आय पर आयकर और अतिरिक्त-कर नही देना पडता है परन्तु फर्म का लाभ साझेदारो मे विभाजित कर दिया जाता है और साझेदारो की अपनी अन्य आय के साथ फर्म के लाभ के हिस्से पर आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पडता है। यदि रजिस्टर्ड फर्म मे घाटा है तो वह सबसे पहले फर्म की अन्य आय मे से वाद दिया जाता है और उस पर भी घाटे की रकम शेष बच रहती है तो वह साझेदारों में उनके हिस्सो के अनुसार वाट दी जाती है जिसे वे उस वर्ष की अपनी आय में से वाद दिला सकते है। साझेदार धारा २४ (२) के अनुसार शेष घाटे को उस (व्यापारिक नुकसान को) आगामी ६ वर्षो तक उसी फर्म के व्यापार-लाभ मे से वाद दे सकते है। साझेदारो को ही कमाई हुई आय की भी छूट मिलती है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार कोई परदेशी (Non-resident) है तो इसका कर देने का उत्तरदायित्व फर्म का ही होता है और यदि किसी साझेदार का निश्चित कर वसूल न हो सके तो वह फर्म से ही प्राप्त किया जाता है। यदि रजिस्टर्ड फर्म का लाभ साझेदारो के समझौते के अनुसार न वाटा जावे और कोई भी साझेदार अपनी वास्तविक आय से कम आय का नकशा (Return) भेजे तो आय-कर अफसर धारा २८ (२) के अनुसार उस साझेदार पर दड लगा सकता है।

यदि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उस पर कर व्यक्ति की भाति लगाया जाता है। यह कर फर्म की कुल आय पर लगता है। फर्म को ही कमाई हुई आय की छूट दी जाती है, परन्तु प्रत्येक साझेदार का हिस्सा उसकी दूसरी आय पर लगने वाले कर की दरो को मालूम करने के लिए उसकी कुल आय मे जोडा जाता है। परन्तु फर्म से प्राप्त हिस्से पर दुवारा कर नही लिया जाता है। यदि फर्म ने आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो

ही दे दिये है तो साझेदार को फर्म के लाभ के हिस्से पर यह दोनो ही कर नही देने पडेगे। परन्तु यदि फर्म का कुल लाभ न्यूनतम कर-सीमा (Minimum Tax Limit) से कम है तो साझेदारो को अपने-अपने लाभ के हिस्से पर भी अन्य आय के साथ कर देना पडेगा यदि उनकी कुल आय कर-योग्य है। अनरजिस्टर्ड फर्म अपना घाटा प्रथम तो अपनी उसी वर्ष की अन्य आय में से पूर्ण कर सकती है और शेप घाटे को आगामी ६ वर्षो तक के उसी व्यापार के लाभ मे से फर्म पूर्ण (Set-off) कर सकती है, परन्तु अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार अपने हिस्से के नुकसान को अपनी अन्य आय मे से कभी भी बाद नही दे सकता है।

यदि अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा २३ (५) (बी) के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म मान लिया जावे तो उसका कर-निर्धारण भी रजिस्टर्ड फर्म की भाति ही किया जाता है।

धारा १६ (१) (बी) के अनुसार साझेदार का फर्म के लाभ का हिस्सा मालूम करने के लिए साझेदारो को दिया गया वेतन, ब्याज, कमीशन आदि की रकम को फर्म के लाभ या हानि मे क्रमश जोडने या घटाने से जो रकम रहेगी वही मानी जावेगी। फर्म का लाभ या हानि निकालने के लिए किसी भी साझेदार को दिया हुआ वेतन, ब्याज, कमीशन आदि की रकम फर्म के खर्चे मे बाद नही दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि क और ख की फर्म मे प्रत्येक साझेदार को १२००) प्रतिवर्ष वेतन और ५००) कमीशन देने के बाद ४६००) का फायदा रहे तो फर्म की क्या आय होगी और क और ख का क्या हिस्सा होगा यदि क और ख का क्रमश. $\frac{२}{५}$ और $\frac{३}{५}$ हिस्सा है।

फर्म की कुल आय का विवरण

लाभ हानि-लाभ खातें से	४६००)
जोडो ---वेतन दिया क और ख को	२४००)
क और ख का कमीशन	१०००)
कुल आय	८०००)

साझेदारो मे लाभ के विभाजन का लेखा

	क	ख
वेतन	१२००)	१२००)
कमीशन	५००)	५००)
लाभ का हिस्सा	१८४०)	२७६०)
	३५४०)	४४६०)

(४) कम्पनी :—इनकमटैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पनी की परिभाषा बहुत ही विस्तृत रखी गई है। इसके अनुसार भारतीय कम्पनियो के कानून के अन्तर्गत स्थापित की हुई कम्पनिया ही सम्मिलित नही की जाती है परन्तु वे समस्त कम्पनिया और एसोसियेशन भी सम्मिलित कर लिये जाते है जो विदेशो मे स्थापित हुई है परन्तु सैण्ट्रल वोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा आयकर के लिए कम्पनी घोषित कर दिये गये है।

कम्पनी अपने समस्त लाभ पर उच्चतम आय-कर दरो (Maximum Income-tax Rates) से आय-कर देती है। सन् १९५१-५२ के असेसमेंट वर्ष के लिए आयकर की दरे प्रति रुपया चार आने + ५% सर-चार्ज के रूप मे है। परन्तु कम्पनी को इसके न वितरण किये हुए लाभ (Undistributed) पर जो कम्पनी की कुल आय मे से (१) सात आने प्रति रुपया, (२) कुलकर मुक्त आय, तथा (३) लाभाश की रकम कम करने के बाद बचता है, एक आने की छूट दी जाती है; परन्तु यदि लाभाश लाभ की रकम से अधिक घोषित किया जाता है तो उस पर जितना टैक्स गत वर्षो मे कम लगा वह ले लिया जाता है।

कम्पनी अपनी कुल आय पर ही फ्लेट दर (Flat Rate) से अतिरिक्त-कर (Super-Tax) देती है। यह कर हिस्सेदारो की एवज मे नही दिया जाता है। यदि किसी कम्पनी ने दूसरी कम्पनी के हिस्से खरीद रखे हो तो उसे अतिरिक्त-कर इस कम्पनी से मिले हुए लाभाश पर दुबारा

देना पडेगा। परन्तु धारा ६० के अनुसार इनवेस्टमेट ट्रस्ट कम्पनियो को यह अतिरिक्त कर देने से मुक्त-कर दिया गया है। सन् १६५१ के फाइनेंस ऐक्ट के अनुसार कम्पनी अतिरिक्त-कर की दर चार आने नौ पाई प्रति रुपया है, परन्तु कुछ अवस्थाओ मे छूटे दी जाती है :—

उदाहरण :—एक कम्पनी की सन् १६५१ के मार्च तक की आय ६४०००) है जिसमे कम्पनी ने २००००) लाभाश के लिए घोषित कर दिया है तो कम्पनी का कर-दायित्व क्या होगा ?

कम्पनी की कुल आय		६४०००)
कम करो :—सात आने प्रति रुपया	२८०००)	
लाभाश की रकम	२००००)	४८०००)
न वितरण किया हुआ लाभ जिस पर एक आना प्रति रुपया छूट मिलेगी		१६०००)
छूट की रकम	१०००)	
६४०००) पर ४ आना + ५% की दर से आयकर		१६८००)
कम करो—छूट न वितरण किये हुए लाभ पर		१०००)
देने योग्य आयकर		१५८००)
अतिरिक्त कर ६४०००) पर ४¾ आने की दर से		१६०००)
कम करो छूट २ आने की प्रति रुपया		८०००)
देने योग्य अतिरिक्त-कर		११०००)
कुल देने योग्य कर		२६८००)

(५) स्थानीय सत्ता :—स्थानीय सत्ता मे म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट वोर्ड, इम्प्रूवमेट ट्रस्ट आदि सत्ताओ को सम्मिलित किया जाता

है। यदि कोई स्थानीय सत्ता अपनी सीमा (Jurisdiction) से बाहर कोई व्यापार करे और उससे यदि आय प्राप्त हो तो इस आय पर उच्चतम दर (Maximum Rate) से आयकर और अतिरिक्त-कर वसूल किया जाता है। परन्तु यदि स्थानीय सत्ता अपनी सीमा या क्षेत्र के अन्दर आय उत्पन्न करती है तो यह आय-कर से सर्वथा मुक्त है। स्थानीय सत्ता को अपनी कर-योग्य आय के प्रत्येक रुपये की आय पर अतिरिक्त-कर देना पडता है।

(६) जन-मंडल :—जन-मडल का अर्थ उन सस्थाओ, समितियो व कम्पनियो से है जो चाहे इनकॉरपोरेटेड (Incorporated) हो या नही। जन-मडल की कुल आय पर आयकर और अतिरिक्त-कर व्यक्ति की भाति ही लिया जाता है। यदि जन-मडल की कुल आय ३६००) से कम है तो आय-कर नही लगता है और यदि २५०००) से कम है तो अतिरिक्त कर भी नही लगता है। इन सस्थाओ के सदस्यो को उनके हिस्सो पर फिर से कर नही देना पडता है। यदि जन-मडल की कुल आय कर-योग्य आय से कम हो तो उस अवस्था मे सदस्यो की अन्य आय के साथ ही एशोसियेशन के हिस्सो की आय भी सम्मिलित करके कर वसूल कर लिया जाता है। अनरजिस्टर्ड फर्म की भाति जन-मडल को भी कमाई हुई आय पर छूट मिलती है। जब जन-मडल का कार्य बन्द हो जाता है तब वे सब सदस्य, जो जन-मडल के बन्द होने के समय सदस्य थे, टैक्स देने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते है।

कर से बचने पर प्रतिबन्ध:—कभी-कभी कम्पनिया कर से बचने के लिए अपना लाभ हिस्सेदारो मे विभाजित नही करती है और बाद मे इस लाभ को पूजीगत करके हिस्सेदारो को विभिन्न पूजी के रूप मे बाट देती है। इसीलिए लाभाश की परिभाषा अब इन सब उपायो को बन्द करने के लिए इतनी विस्तृत कर दी गई है। परन्तु अब भी यदि कोई कम्पनी

अपने कर-योग्य लाभ के ६० प्रतिशत भाग का (आयकर और अतिरिक्त-कर बाद देने के उपरान्त) साधारण मीटिंग (General Meeting) के ६ महीने तक हिस्सेदारो में वितरण नही करे तो आय-कर अफसर यह समझेगा कि समस्त लाभ ही साधारण मीटिंग के दिन ही बाट दिया गया है और हिस्सेदारो से सीधा उनके हिस्से के कुल लाभ पर कर वसूल कर लेगा। यदि गत वर्षो के सचित लाभ कम्पनी की पूजी से अधिक है तो आय-कर अफसर ६० प्रतिशत के स्थान पर १०० प्रतिशत लाभ बाटा हुआ मान लेगा? परन्तु यह धारा सहायक कम्पनियो (Subsidiary Companies) और उन कम्पनियो पर लागू नही होते है जिनमें साधारण जनता पूर्णतया दिलचस्पी रखती है।

अध्याय १५

कुल आय और कुल विश्व आय

(TOTAL INCOME & TOTAL WORLD INCOME)

कर-दाता की कुल आय का अर्थ उस समस्त आय से है जो कर लगनेवाले साधनो से प्राप्त हुई है और जिस पर निवास-स्थान के आधार पर कर लगनेवाला है।

कुल विश्व आय में सब प्रकार की आय का जो कर-योग्य है, चाहे वह कही पर भी उत्पन्न की गई हो, समावेश किया जाता है। कुल विश्व आय की गणना केवल उन परदेशियो (Non-residents) का कर-दायित्व निश्चय करने के लिए की जाती है जिनके कर की दर कुल विश्व आय के आधार पर निकाली जाती है। परदेशी की कुल विश्व आय को मालूम करते समय कर-क्षेत्र मे न लाई हुई विदेशी आय मे से ४५००) की छूट नही दी जाती है।

किसी कर-दाता की कुल आय मालूम करने के लिए निम्नलिखित आमदनियो को जोडा जाता है —

१. करमुक्त आय .—कोई भी आय जो आय-कर तथा अतिरिक्त-कर से मुक्त है, या जो आय-कर से मुक्त है, उसे कुल आय मे जोडा जाना चाहिए।

२. कमाई हुई आय की छूट '—कमाई हुई आय की छूट भी कुल आय की गणना करने के लिए जोड़नी चाहिए।

३. पुण्यार्थ संस्थाओ में दिया गया दान :—धारा १५ वी के अनुसार धर्मार्थ दिया गया चन्दा कर-मुक्त है परन्तु वह कुल आय मालूम करने के लिए जोडा जाता है।

४. फर्म की आय या नुकसान का हिस्सा :—यदि कर-दाता अन-रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है तो उसका हिस्सा कर से मुक्त है परन्तु उसके हिस्से की प्राय या हानि कुल आय मे जोड दी जाती है।

५. आय का हस्तान्तरण :—यदि कोई कर-दाता अपनी जायदाद या सपत्ति की केवल आय का तोडे जानेवाला या न तोडे जानेवाला हस्तान्तरण करे और वह स्वय जायदाद का मालिक बना रहे तो उस जायदाद की आय को हस्तान्तरण करनेवाले की ही आमदनी माना जावेगा।

६. संपत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण :—जब तक सपत्ति का हस्ता-तरण ६ वर्ष से अधिक अखण्डनीय (Irrevocable) न हो, हस्तातरण करनेवाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ सपत्ति से न हो तथा वह हस्तातरण दूसरे पक्ष (Transferee) के जीवन पर्यन्त अखण्डनीय हो और हस्तान्तरण करनेवाले को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ न हो तब तक इस सम्पत्ति की आय हस्तातरण करनेवाले की ही मानी जावेगी।

७. सपत्ति का अखण्डनीय हस्तान्तरण :—परन्तु जब सपत्ति का हस्तातरण अखण्डनीय (Irrevocable) हो तो इस प्रकार की सपत्ति की आय दूसरे पक्ष की ही मानी जाती है बशर्ते इस प्रकार का हस्तातरण कर-दाता की स्त्री या नाबालिग बच्चे के नाम से न किया गया हो।

८. वेनामी लेन देन :—यदि कोई कर-दाता कर बचाने के लिए कोई सपत्ति किसी दूसरे मनुष्य के नाम से खरीदे या अपनी जायदाद को फर्जी तरीके से बेच देवे या हस्तान्तरण कर देवे तो ऐसी सपत्ति की आय कर-दाता की ही आय मानी जावेगी और उसकी कुल आय मे जोड़ी जावेगी।

९. लाभांश (Dividends) :—हिस्सेदारो को जो लाभाश मिलता है वह उसकी उस वर्ष की आय मानी जाती है जिस वर्ष में लाभाश की

रकम दी गई, जमा की गई, या वितरण की गई हो। इस नेट लाभाग को ग्रोस करके कुल आय मे जोडा जाता है।

१०. पत्नी की आय :—करदाता की स्त्री की निम्नलिखित आय उसकी (पति की) कुल आय मे जोड दी जाती है—

(क) उस फर्म की साझेदारी से जिसमे करदाता (पति) साझेदार है।

(ख) उस सपत्ति से जो कर-दाता (पति) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके हक मे बिना पर्याप्त प्रतिफल (Adequate Consideration) के या पृथक् रहने के विचार से हस्तातरित की है।

११. नाबालिग बच्चे की आय :—करदाता की कुल आय मे उसके बच्चे की निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनो से प्राप्त आय भी जोडी जाती है —

(क) उस फर्म की साझेदारी से जिसमे करदाता (पिता) साझेदार है।

(ख) उस सम्पत्ति से जो करदाता (पिता) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके पक्ष मे बिना उचित प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी है, परन्तु विवाहिता लडकी को दी हुई सपत्ति की आमदनी उसके पिता की कुल आय मे नही जोडी जावेगी।

१२. अन्य व्यक्तियो के पक्ष में हस्तातरण :—यदि कोई कर-दाता अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के हितार्थ बिना उचित प्रतिफल के कोई सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति या सस्था के नाम हस्तातरण कर देवे, तो उस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरण करनेवाले की आय ही मानी जावेगी।

१३. सम्पत्ति का विदेश में हस्तातरण :—धारा ४४ डी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति परदेशी (Non-resident) या कच्चे निवासी (Not Ordinarily Resident) के पक्ष में कर बचाने के हेतु

संपत्ति का विदेश मे हस्तान्तरण कर देवे तो आयकर अफसर ऐसी संपत्ति की आय को हस्तातरण करनेवाले व्यक्ति की आय मानकर उसकी कुल आय मे जोड़ सकता है ।

१४. बनावटी क्रय-विक्रय का लाभ (Bond Washing) :—कभी-कभी कुछ कर-दाता कर से बचने के लिए व्याज सहित सिक्योरिटियो या लाभाश सहित हिस्सो को इस गुप्त समझौते पर वेच देते है कि व्याज मिल जाने के वाद वे कुल व्याज रहित सिक्योरिटियो को वापस खरीद लेगे। इस समझौते के अनुसार ये कर-दाता उन व्याजरहित सिक्योरिटियो को वापस खरीद लेते है जिसका फल यह होता है कि प्रत्यक्ष में व्याज की आय वनावटी खरीदार को मिलती है परन्तु वास्तव में उस व्याज की रकम वेचनेवाले की ही रहती है। इस उपाय से स्वामी तो कर से वच ही जाता है और वनावटी खरीदार ऊंचे भाव से व्याज सहित खरीद कर व्याज रहित सिक्योरिटियो को नीचे भाव से वेचकर उनके व्याज की आय को क्रय-विक्रय के घाटे से वरावर कर देता है। इस उपाय से वह भी कर बचा लेता है। ऐसे अनुचित उपायो को रोकने के लिए अव धारा ४४ इ और ४४ एफ के अनुसार इन सिक्योरिटियो का व्याज उनके वास्तविक मालिक की कुल आय मे जोड दिया जाता है और उनको खरीदकर वेचनेवाले को कोई घाटा वाद नही दिया जाता है। इस सवध में मागी हुई यथार्थ सूचना न देने पर ५००) प्रति दिन जुर्माना आय-कर अफसर कर सकता है।

१५. उद्गम स्थान पर कर कटौती :—कर-दाता की आय मे से जो कर उद्गम-स्थान पर काट लिया जाता है उसकी रकम भी कुल आय मे जोड़ी जाती है।

१६. वार्षिक वृद्धि :—किसी कर्मचारी के स्वीकृत प्रोविडेंट फण्ड की जो वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion) होती है वह भी उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है।

परदेशी का करदायित्व (Tax Liability of a Non-resi-

dent) —सन् १६५१-५२ के असेसमेंट साल से पहले जो परदेशी भारत या ब्रिटेन की जनता समझे जाते थे उनसे आय-कर और अतिरिक्त-कर उनकी कुल भारतीय आय पर कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरो से लिया जाता है। परन्तु सन् १६५१ के फाइनेंस ऐक्ट के अनुसार धारा १७ (१) मे सशोधन कर दिया है और परदेशियो से निम्न प्रकार से कर वसूल किया जाता है —

(क) आयकर (Income-Tax) —सब परदेशियो को सन् १६५१-५२ के असेसमेंट वर्ष से उनकी कुल भारतीय करक्षेत्र की आय पर उच्चतम दरो (Maximum Rates) से आय-कर देना पडेगा जो अब ४ आना + ५% प्रति रुपया है।

(ख) अतिरिक्त-कर (Super-Tax) —सब परदेशियो (कपनियो को छोडकर) को सन् १६५१-५२ के असेसमेंट वर्ष से उनकी कुल भारतीय आय पर एक फ्लेट रेट (Flate Rate) के अनुसार अतिरिक्त-कर देना पडता है परन्तु एक शर्त यह है कि उनके द्वारा दिया गया अतिरिक्त-कर एक निवासी (Resident) के द्वारा दिये गये अतिरिक्त दर से कम नही होगा जिसकी कुल आय भी इतनी ही हो। फ्लेट रेट का अर्थ उस दर से है जो एक व्यक्ति के कर-मुक्तवाले टुकडे (Slab) के बादवाले टुकडे (Slab) पर लागू होती है जो अब ३ आना + ५% प्रति रुपया है। यदि किसी परदेशी की कुल विश्व आय उच्चतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसे अधिकार है कि वह अपनी कुल विश्व आय पर लागू होनेवाली दरो से अतिरिक्त-कर देने की सदैव के लिए घोषणा कर सकता है।

परदेशी का कर निर्धारण या तो स्वय उसी के नाम से या उसके एजट के नाम से किया जा सकता है। धारा ४३ के अन्तर्गत (१) कोई भी व्यक्ति जो उसका कार्य करता हो, (२) जो उससे व्यापारिक सबध रखता हो,

(३) जिस व्यक्ति के द्वारा वह कोई आय, लाभ आदि प्राप्त करता है, परदेशी का एजेंट माना जाता है। एजेंट को आय-कर अफसर परदेशी की एवज में करदाता मान सकेगा। धारा १८ के अनुसार परदेशी को दिये गये समस्त भुगतानो से आवश्यक कर काट लेना चाहिए और वह काटा हुआ कर सरकार को चुका देना चाहिए। यदि कर उद्गम-स्थान पर न काटा गया हो और परदेशी का कोई एजेंट भी ऐसा न हो जिससे कर की रकम वसूल की जा सके तो उस परदेशी की भारत-स्थित किसी भी सपत्ति या पूजी मे से कभी भी कर वसूल किया जा सकता है। इस वसूली के समय की अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नही है।

दोहरे कर की छूट (Double Taxation Relief) —धारा ४९ ए से धारा ४९ डी मे इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी परदेशी को एक बार अपने देश मे और दूसरी बार भारतीय कर-क्षेत्र मे कर देना पडे तो उसे कुछ इस दोहरे कर के लिए छूट दी जाती है। भारत और ब्रिटेन के बीच इस छूट की दर भारतीय कर-दर और ब्रिटेन के कर-दर के अन्तर के बराबर होगी जो इन दोनो मे कम हो। भारत और अन्य देशो के बीच इस छूट की रकम भारतीय कर की आधी रकम या विदेशी कर की आधी रकम, जो इन दोनो मे से कम हो, के बराबर होगी।

उदाहरण :—यदि क की निम्नलिखित आय सन् १९५०-५१ मे उत्पन्न हुई तो बतलाओ उसकी कुल आय, करमुक्त आय और कुल विश्व आय क्या होगी यदि वह भारतीय करक्षेत्र का (१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, और (३) परदेशी हो :—

भारतीय कर-क्षेत्र मे प्राप्त आय —

१. वेतन १२,०००), २ करमुक्त सिक्योरिटियो का ब्याज ५०००), अन्य सिक्योरिटियो का (ग्रोस) ब्याज १०००), ३ जायदाद की आय ५००), ४ लाभ का हिस्सा रजिस्टर्ड फर्म का २०००) और अनरजिस्टर्ड फर्म का ११,०००), ५. वैक जमा का ५००)।

भारतीय करक्षेत्र के बाहर से आय —

१ अफ्रीका से भारतीय क्षेत्र मे भेजी हुई आय	१०००)
२. विदेशी जायदाद से न भेजी हुई आय	५०००)
३. भारत से नियन्त्रित अफ्रीका के व्यापार से न भेजी हुई आय	१००००)
४. जम्मू और काश्मीर मे वेतन की न भेजी हुई आय	६०००)

क ने अपने २५०००) के बीमा पर १५००) बीमा चन्दा दिया।

कुल आय का विवरण

करदेय क्षेत्र की आय	(१)	(२)	(३)
१. वेतन	१२०००)	१२०००)	१२०००)
२ सिक्योरिटियो का व्याज :—			
करमुक्त	५०००)	५०००)	५०००)
कर लगा हुआ	१०००)	१०००)	१०००)
३ जायदाद की आय	५००)	५००)	५००)
४. व्यापार लाभ —			
रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	२०००)	२०००)	२०००)
अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	११०००)	११०००)	११०००)
५. अन्य साधनो से आय :—			
व्याज जमा पर	५००)	५००)	५००)
	३२०००)	३२०००)	३२०००)
विदेशी आय —			
१. भारत मे भेजी हुई आय	१०००)	१०००)	—
२ भारत मे न भेजी हुई विदेशी आय	१०५००)	५५००)	—
३. भारत मे न भेजी हुई भारतीय रियासत की आय	६०००)	—	—
कुल आय	४९५००)	३८५००)	३२०००)
जोडो कुल विदेशी आय			२२०००)
कुल विश्व आय			५४०००)

करमुक्त आय

१.	करमुक्त ब्याज	५०००)	५०००)	५०००)
२.	बीमा चन्दा	१५००)	१५००)	१५००)
३.	अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	११०००)	११०००)	११०००)
४.	रियासत की आय	६०००)	——	——
५.	रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा जिस पर फर्म से टैक्स ले लिया गया है	——	——	२०००)
		२३,५००)	१७५००)	१९५००)

अध्याय १६

उद्गमस्थान पर कर कटौती और कर वापसी

(DEDUCTION OF TAX AT SOURCE AND TAX REFUND)

धारा १८ के अनुसार (१) वेतन, (२) सिक्योरिटियो के ब्याज, और (३) लाभाश (Dividends) पर उद्गमस्थान पर कर काटना आवश्यक है। यदि किसी परदेशी को इन तीनो रकमो के अतिरिक्त कोई ब्याज की रकम या साझेदारी के लाभ का हिस्सा दिया जाता है तो उस पर भी उद्गमस्थान पर कर काटना अनिवार्य है।

१. वेतन :—मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह कमाई हुई आय की छूट देकर अपने कर्मचारी के वेतन की रकम में से कुल वेतन पर लागू होनेवाली कर-दरो से आयकर और अतिरिक्त-कर काट ले और काटी हुई कर की रकम को भारत सरकार के खजाने मे जमा करवा दे। यदि कर्मचारी कोई परदेशी है तो आय-कर अफसर के प्रमाणपत्र के अनुसार कम दरो पर भी आय-कर और अतिरिक्त-कर काटा जा सकता है।

२. सिक्योरिटियो का ब्याज :—यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी सिक्योरिटियो पर ब्याज देता है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम पर उच्चतम दरो से आयकर काट लेवे। इस प्रकार के ब्याज पर अतिरिक्त-कर नही काटा जाता जब तक कि वह ब्याज विदेशी को न दिया जाय। ब्याज देनेवाले के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आय-कर अफसर को नियमित विवरण भेज देवे और सिक्योरिटियो के मालिक को एक सर्टिफिकेट दे देवे जिसमे आय-कर की कटौती की रकम का भी

विवरण हो। यदि आयकर अफसर से करदाता यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेवे कि उसकी कुल आय या विश्व आय करमुक्त सीमा से कम है या कम दरो से आयकर लगने योग्य हो तो कम दर से भी आयकर काटा जा सकता है।

३. लाभांश (Dividends) —लाभाश पर कपनी से ही सीधा कर उच्चतम दर से हिस्सेदारो के एँवज मे ले लिया जाता है। यदि लाभाश किसी परदेशी को दिया गया तो लाभाश की रकम पर लागू होनेवाली दरो के अतिकर भी काट लिया जाता है और इस कटौती का सर्टिफिकेट हिस्सेदार को दे दिया जाता है।

४. परदेशी की ब्याज आदि आय पर:—परदेशियो को दिये जाने वाले वेतन, सिक्योरिटियो के ब्याज, अन्य ब्याज तथा लाभाश की रकम पर आय-कर उच्चतम दरो से और अतिरिक्त-कर उन दरो पर जो उसकी कुल विश्व की आय पर लागू हो या जो दरें आय-कर अफसर निश्चित कर दे या कुल दी जानेवाली रकम पर लागू होनेवाली दरो से काटा जाता है।

धारा १८ के अन्तर्गत जिन आय पर उद्गम स्थान पर कर की रकम नही काटी जा सकती है या जहा पर धारा १८ के अनुसार कर की रकम नही काटी गई है तो इन दोनो अवस्थाओ में करदाता से ही कर की रकम वसूल कर ली जाती है।

कमाते जाओ देते जाओ योजना (Pay as you earn Scheme) —यह योजना, जिन आय पर उद्गमस्थान पर धारा १८ के अनुसार कर नही कटता है, जैसे जायदाद की आय, व्यापार लाभ तथा लाभाश को छोडकर अन्य साधनो की आय आदि, पर लागू होती है। यह केवल उन्ही कर-दाताओ पर लागू होती है जिनकी आय गत वर्ष में ६,७००) से अधिक रही हो या अनुमान हो।

इस योजना के अनुसार धारा १८ ए के अन्तर्गत जिस वर्ष में आय उत्पन्न की जाती है उसी वर्ष आयकर और अतिरिक्त कर चालू दरो से ही वसूल कर लिया जाता है। किस्तो में जो कर की रकम दी जाती है वह कर का पेशगी किया हुआ भुगतान समझा जाता है। वर्ष के अन्त मे जब कुल दिये जानेवाले कर की रकम मालूम हो जाती है तब कमी या वृद्धि की पूर्ति कर दी जाती है। पेशगी कर की किस्ते १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसबर और १५ मार्च को दी जा सकती है। यदि आयकर अफसर किस्त की रकम को जमा कराने का नोटिस उपर्युक्त तारीख मे से एक तारीख निकल जाने के बाद देवे तो करदाता को केवल तीन किस्तो में ही कर देना पडेगा। सरकार इन जमाओ पर २% वार्षिक ब्याज भुगतान की तारीख से असेसमेंट की तारीख तक देती है , परन्तु १ अप्रैल १९५२ के बाद २% ब्याज केवल उतनी रकम पर मिलेगा जितनी वास्तविक कर की रकम से अधिक है। यदि करदाता के किसी व्यापार का वर्ष ३१ दिसबर के बाद और ३० अप्रैल के पहले समाप्त होता हो तो उसे कर तीन किस्तो मे ही, यानी १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को ही देना पडता है।

करदाता को अधिकार है कि जायदाद, व्यापार तथा अन्य साधनो की गतवर्ष की आय (लाभाश को छोडकर) के आधार पर किस्तो मे कर की रकम जमा करा दे या चालू वर्ष की आय के अनुमान के आधार पर कर की रकम चार किस्तो में जमा करा दे। यदि कोई करदाता गत वर्ष की आय के आधार पर कर न दे और चालू वर्ष की आय के अनुमान के आधार पर किस्तो मे कर की रकम दे तो उसको अधिकार है कि १५ मार्च के पहले अपने अनुमान को ठीक करके पिछली किस्तो मे दी हुई रकम की कमी या वृद्धि की पूर्ति कर ले।

यदि करदाता गत वर्ष की आय के आधार पर कर देता है तो चालू वर्ष की आय गत वर्ष की आय से कितनी ही अधिक क्यो न हो तो भी वह

किसी दंड का भागी नही होता ; परन्तु जब करदाता अपने अनुमान के आधार पर कर की किस्तें देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर की रकम नियमपूर्वक कर निश्चित करने पर, कर की वास्तविक रकम के ८० प्रतिशत से कम निकले तो उसको १ जनवरी से नियमपूर्वक कर निश्चित करने के समय तक इस कमी पर ६ प्रतिशत व्याज देना पडता है , परन्तु ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् करदाता को ४% व्याज देना पडेगा। यदि यह सिद्ध हो जावे कि करदाता ने जानकर गलत अनुमान लगाया है तो कर की कमी के अतिरिक्त कम कर (Deficit Tax) की रकम से १½ गुनी रकम तक दण्ड देने का वह उत्तरदायी हो जाता है ।

यदि करदाता नया है और उसकी चालू वर्ष की आय ६,७००) से अधिक होने की सभावना है तो उसे १५ मार्च से पहले ही चालू वर्ष मे ही विना नोटिस मिले ही उस आय का अनुमान, जिस पर धारा १८ लागू नही होती है, भेज देना चाहिए। यदि नियमपूर्वक कर निश्चित करने पर यह मालूम हो कि व्यक्ति ने अपने अनुमान के आधार पर ८० प्रतिशत से कम कर दिया है तो वह व्यक्ति १ अप्रैल से असेसमेट की तारीख तक कर की कमती रकम पर ६ प्रतिशत दड के रूप मे व्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

इसके अतिरिक्त यदि यह आय का अनुमान आय-कर अफसर को १५ मार्च से पहले-पहले नही दिया गया हो और आयकर अफसर को यह सतोष हो गया हो कि अनुमान का न भेजने का कोई उचित कारण नही था, तो ८० प्रतिशत कर की रकम से ड्योढी रकम तक का दण्ड करदाता पर कर सकता है ।

यदि किसी व्यक्ति को कमीशन की रकम मिलनी हो तो वह कमीशन प्राप्त न होने की तारीख तक पेशगी कर की अदायगी स्थगित कर सकता है ; परन्तु कमीशन के मिलने के उपरान्त उसे १५ दिन के अन्दर-अन्दर कर की कुल बाकी किस्ते दे देनी चाहिये अन्यथा उसे कमीशन मिलने

की तारीख से कर देने की तारीख तक ६ प्रतिशत साधारण व्याज कर की रकम के अलावा देनी पडेगी।

कर की वापसी (Refund of Tax) —जैसा पहले वतलाया जा चुका है कि लाभाश पर उद्गमस्थान पर कर सग्रह करने तथा वेतन और सिक्योरिटियो के व्याज पर उद्गमस्थान पर कर काटने की पद्धति के कारण कर की वापसी का प्रश्न उठता है क्योकि उस समय कर काटने वाले को करदाता की कुल आय या विश्व आय पर लागू होनेवाली औसत कर-दर का पता नही होता है।

धारा ४८ के अनुसार जव उद्गमस्थान पर काटे हुए कर की रकम नियमानुसार निश्चित किये हुए कर की रकम से अधिक हो तव करदाता अधिक रकम को वापस लेने का हकदार हो जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओ मे कर वापस लिया जा सकता है—

(१) जव उद्गमस्थान पर काटी हुई कर की रकम उस वर्ष के लगनेवाले उचित कर से अधिक हो तो वह अधिक रकम वापस ली जा सकती है।

(२) धारा ३५ के अन्तर्गत किसी भूल-सुधार के कारण कर की रकम कम हो जावे।

(३) यदि किसी अपील के कारण, जो कर की रकम पहले दी जा चुकी है, कम हो जावे।

(४) जव कोई व्यापार, जो सन् १६१८ के आयकर कानून के अनुसार कर दे चुका हो, वन्द हो जावे तो वापसी का प्रश्न उठ सकता है।

वापसी प्राप्त करने के लिए एक नियमित फार्म मे अर्जी देनी चाहिए। इस अर्जी के साथ कुल आय का नकशा (Return of Total Income) और परदेशी को कुल विश्व आय का नकशा भेजना चाहिए।

कर-कटौती का सर्टिफिकेट (Certificate of Deduction of Tax) भी अर्जी के साथ भेजना चाहिए। वापसी के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की अवधि (मियाद) माली साल (Financial Year) के अन्त से चार साल तक की है। टैक्स वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने का भार करदाता पर ही होता है और उचित प्रमाण और साक्षी न पहुचने से करदाता के वापसी टैक्स का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, या दिवाला निकल जाने पर वह प्रार्थनापत्र न प्रस्तुत कर सके तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि या रिसीवर यह प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी को वापसी की रकम लेनी बकाया है तो शेष वापसी लेने के स्थान पर बकाया टैक्स की रकम से परिशोधन किया जा सकता है। यदि वापसी का प्रार्थना-पत्र नामजूर हो जावे तो उस आज्ञा की अपील की जा सकती है।

अध्याय १७

कर निर्धारण और अपील

(ASSESSMENT AND APPEALS)

कर निर्धारण करने का भार आयकर अफसर पर है। धारा २२ (१) के अन्तर्गत एक साधारण नोटिस समाचार-पत्रो मे प्रकाशित किया जाता है जिसके अनुसार उस क्षेत्र के प्रत्येक करदाता को, जिसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक है, एक आय का नकशा भेजना पडता है। यह आय का नकशा (Return of Total Income) एक नियमित फार्म मे भेजा जाता है। यदि आय का नकशा निश्चित अवधि मे या वढाई हुई अवधि के अन्दर बिना किसी उचित कारण के नही भेजा जाता है तो करदाता पर आयकर और अतिरिक्त-कर की रकम की ड्योढी रकम का दंड लगाया जा सकता है; परन्तु यदि आय ३५००) से कम हो तो उस पर कोई दड नही लगता है।

धारा २२ (२) के अनुसार आयकर अफसर उन सब व्यक्तियो को, जिनकी आय वह करयोग्य समझता है, व्यक्तिगत नोटिस भी भेज सकता है। यदि इस नोटिस के उत्तर मे वह व्यक्ति आय का नकशा न भेजे तो उस पर भी कर की ड्योढी रकम का दंड होता है, परन्तु यदि उसकी आय करयोग्य सीमा से कम हो तो उस पर २५) दड के ही होते है। १९५३ के सशोधन ऐक्ट मे यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी करदाता को किसी वर्ष मे लाभ न हो किन्तु हानि हो तो भी उसको अपनी आय का नकशा भेजना चाहिए। यदि सेसा न किया जायगा तो यह हानि आगामी वर्षो मे पूर्ति के लिए नही ले जाई जा सकेगी।

धारा २२ (३) के अनुसार करदाता को कर निश्चित करने के समय के पहले आय का नकशा या सशोधित आय का नकशा भेजने का अधिकार है।

धारा २२ (४) के अन्तर्गत आय-कर अफसर करदाता को गत वर्ष के पूर्व तीन वर्षो के बहीखाते तथा अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दे सकता है। यदि करदाता इस नोटिस का पालन न करे तो उस पर (१) धारा २३ (४) के अनुसार अति उत्तम निर्णयानुसार (Best Judgement Assessment) कर निश्चित किया जा सकता है। (२) धारा २८ के अन्तर्गत कर से ड्योढी रकम का दड किया जा सकता है, (३) धारा ५१ के अनुसार अपराधी पर अभियोग चलाया जा सकता है।

करदाता पर निम्नप्रकार के असेसमेट किये जा सकते है —

(१) अन्तरिम असेसमेंट (Provisional Assessment)·— धारा २३ बी के अनुसार आयकर अफसर आय के नकशे की प्राप्ति के उपरान्त चाहे जब उस नकशे के अधार पर कर निश्चित कर देता है। इस असेसमेट की कोई अपील नही हो सकती है और टैक्स निश्चित समय मे देना पडता है अन्यथा करदाता पर टैक्स की रकम के बराबर की रकम का दड हो सकता है। जब नियमित असेसमेट हो जाता है तो इस प्रोविजनल असेसमेट की रकम, यदि कम है तो और रकम करदाता से ले ली जाती है और यदि यह रकम अधिक है तो उसे अधिक रकम वापस दे दी जाती है।

(२) नियमित असेसमेंट (Regular Assessment) :—धारा २३ के अनुसार निम्नप्रकार के असेसमेट किये जा सकते है.—

(क) धारा २३ (१) के अनुसार यदि आयकर अफसर आय के नकशे से पूर्णतया सतुष्ट है तो वह उसके आधार पर टैक्स निश्चित कर देता है।

(ख) धारा २३ (३) के अनुसार यदि आयकर अफसर आय के नकशे को अपूर्ण समझे तो वह करदाता को एक निश्चित तारीख को धारा

२३ (२) या ३७ के अन्तर्गत उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। धारा २२ (४) के अनुसार वह करदाता के बहीखाते और दस्तावेज भी मगवा सकता है। इसके उपरान्त यदि आयकर अफसर सन्तुष्ट हो जावे तो वह असेसमेंट कर देता है।

(ग) धारा २३ (४) के अनुसार आयकर अफसर को अति उत्तम निर्णयानुसार कर निर्धारण (Best Judgement Assessment) करने का भी निम्नलिखित अवस्थाओ मे अधिकार है। प्रथम, यदि करदाता व्यक्तिगत नोटिस पर धारा २२ (२) के अनुसार आय का नकशा न भेजे, या धारा २३ (३) के अनुसार नकशे का सशोधन न करे। द्वितीय, धारा २२ (४) के नोटिस के अनुसार करदाता हिसाब-किताब पेश न करे। तृतीय, करदाता धारा २३ (२) के अनुसार उपस्थित न हो सके या साक्षी न दिलवा सके।

यदि Best Judgement Assessment हो जावे तो करदाता या तो धारा २७ के अन्तर्गत इस असेसमेंट को रद्द करने के लिए आयकर अफसर को प्रार्थना कर सकता है या वह अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर से आयकर अफसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(३) तत्कालीन असेसमेंट (Emergency Assessment).—धारा २४ ए के अन्तर्गत यदि आयकर अफसर को यह मालूम हो जावे कि कोई विदेशी चालू वर्ष मे या उसके समाप्त होने के बाद ही भारत छोडकर सदैव के लिए बाहर जानेवाला है तो वह सात दिन का नोटिस देकर उसे अन्तिम गत वर्ष के बाद की आय का नकशा भेजने के लिए बाध्य कर सकता है और चालू वर्ष मे उसके जाने की तारीख तक की आय का अनुमान लगाकर उस पर चालू वर्ष की दरो से कर वसूल कर लिया जावेगा।

मांग का नोटिस (Demand Notice)—कर निश्चित करने के बाद आयकर अफसर धारा २९ के अनुसार कर की रकम निश्चित तारीख तक जमा कर देने के लिए करदाता को नोटिस भेजता है और इस

नोटिस के साथ कर निश्चित करने के निर्णय की एक नकल भी भेजी जाती है। यदि करदाता निश्चित समय में कर न दे तो उस पर धारा ४६ के अन्तर्गत न दिये हुए टैक्स के बराबर की रकम का दड लगाया जा सकता है।

असेसमेंट का रद्द करना (Cancellation of Assessment):— यदि करदाता माग के नोटिस से एक महीने के अन्दर असेसमेट को रद्द करने की प्रार्थना करे और यदि आयकर अफसर सन्तुष्ट हो जावे कि करदाता को उचित कारणो के फलस्वरूप धारा २२ (२) या धारा ३४ के अन्तर्गत आय का नकशा देने मे या धारा २२ (४) या २३ (२) के नोटिसो का पालन करने मे बाधा पैदा हो गई थी, या उसको धारा २२ (४) या २३ (२) के नोटिस तामील नही हुए थे, तो वह अपने असेसमेट को रद्द करके दूसरी बार कर निश्चय कर सकता है।

टैक्स से बची हुई आय (Income escaping Assessment) —धारा ३४ के अनुसार यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जावे कि कर लगनेवाली आय या लाभ पूर्ण रूप से कर से बच गई है, या उस पर कम कर लगाया गया है, या कम दर पर टैक्स लगा है, या अधिक कटौतिया दे दी गई है; तो चार वर्ष तक वह दुबारा जाच कर सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो जावे कि करदाता ने कुछ आमदनी छिपाई है या जानकर आय का नकशा गलत पेश किया है तो वह आठ वर्ष तक जाच करके दुबारा बचाया हुआ कर ले सकता है और इस कर के अतिरिक्त, वह जितना कर बचाया गया है, उससे ड्योढा दड (Penalty) ले सकता है।

गल्ती सुधार (Rectification of Mistake) :—धारा ३५ के अन्तर्गत कमिश्नर, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर या आयकर अफसर ऐसी भूल का सुधार, जो निगरानी, अपील या प्रारम्भिक आज्ञा में साफ-साफ जाहिर हो, निर्णय की तारीख से ४ वर्ष के अन्दर-अन्दर किसी भी समय स्वय या करदाता के प्रार्थनापत्र आने पर कर सकता है। यदि भूल-

सुधार के फलस्वरूप कर की रकम कम हो जावे तो वह करदाता को वापस दे दी जाती है और यदि कर की रकम बाकी रह जाये तो आयकर अफसर नियमित कर वसूली का नोटिस करदाता को भेजेगा और उससे धारा २९ के अनुसार कर वसूल करेगा।

बन्द व्यापार का असेसमेंट (Assessment of Discontinued Business) :—यदि बन्द होनेवाले व्यापार पर सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कर लिया जा चुका था तो इस व्यापार के बन्द होने के वर्ष मे कर नही लिया जायगा क्योंकि सन् १९१८ के आयकर कानून के अन्तर्गत चालू साल की आय पर ही टैक्स लिया जाता था और गत वर्ष की आय पर नही। बन्द किये जानेवाले व्यापार के मालिक को प्रथम यह अधिकार है कि वह गतवर्ष की आय के स्थान पर चालू वर्ष की आय पर कर दे सकता है। यदि वह व्यक्ति गत वर्ष की आय पर कर दे चुका हो तो चालू साल के कर से जितनी रकम उसने अधिक जमा कराई है वह वापस ले सकता है। द्वितीय, उस व्यक्ति के व्यापार की वह आय, जो गत वर्ष की अन्तिम तारीख से व्यापार बन्द करने की तारीख तक हुई है, सर्वथा करमुक्त है और इस आय पर आयकर अफसर को वैधानिक छूट (Statutory Relief) देनी पडती है।

यदि बन्द होनेवाले व्यापार पर सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कभी कर नही लगाया गया हो तो व्यापार के गत वर्ष के लाभ के साथ व्यापार बन्द करने की तारीख तक के चालू साल के लाभ पर भी कर लिया जावेगा। व्यापार बन्द करने का नोटिस आयकर अफसर को १५ दिन के अन्दर-अन्दर मिल जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धारा २५ (२) के अनुसार व्यापार बन्द करने का नोटिस न देवे तो आयकर अफसर को यह अधिकार है कि व्यापार बन्द की तारीख तक जितना कर लेना शेष रहे, उतनी ही रकम का दड कर देवे। धारा २५ (३) के अनुसार कर छूट

का दावा व्यापार बन्द करने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर ही कर देना चाहिए अन्यथा यह दावा नहीं चल सकेगा।

व्यापार के प्रबन्ध में परिवर्तन होने पर असेसमेंट (Assessment on Succession in Business) :—यदि कर निर्धारित करते समय यह ज्ञात हो कि व्यापार या फर्म के संगठन या प्रबन्ध में परिवर्तन हो गया है, तो कर उन व्यक्तियों से ही लिया जावेगा जिन्होंने व्यापार या फर्म का लाभ प्राप्त किया है, या जो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है ; परन्तु यदि फर्म के साझीदार से कर वसूल नहीं किया जा सके तो नई संगठित फर्म से यह कर वसूल किया जा सकेगा और इसी प्रकार व्यापार को बेचनेवाला न मिल सके या उससे कर वसूल न हो सके तो बेचनेवाले का कर भी खरीदनेवाले से वसूल किया जावेगा और उत्तराधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने पूर्वाधिकारी से वह कर की रकम वसूल कर सके।

विभिन्न दंड (Penalties) :—आयकर कानून के अनुसार निम्न धाराओं के अन्तर्गत करदाता पर विभिन्न प्रकार के दंड किये जा सकते हैं:—

१. धारा २५ (२) :—सन् १९१८ के आयकर कानून के अनुसार कर न लगे हुए व्यापार के बन्द करने का नोटिस १५ दिन के अन्दर-अन्दर दिया जाना चाहिए अन्यथा बाद में लगनेवाले कर की रकम के बराबर की रकम का दंड करदाता पर लगाया जा सकेगा।

२. धारा २८ :—इस धारा के अनुसार यदि आयकर अफसर, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर या अपीलेट ट्रिब्यूनल को यह विश्वास हो जावे कि किसी करदाता ने उचित कारण के बिना धारा २२ (१), २२ (२), २२ (३), २२ (४), २३ (२) और धारा २३ (४) के अन्तर्गत कार्य न किया हो तो उस पर बचाये हुए या छिपाये हुए कर से १½ गुने तक की रकम का दंड किया जा सकता है।

३. धारा ४४ ई और ४४ एफ :—यदि कोई करदाता कृत्रिम सिक्यो-

रिटियो का वेचान करे और इसकी आयकर अफसर को सूचना मांगने पर सूचना न देवे तो उस पर ५००) प्रतिदिन दड किये जा सकते है।

४ धारा ४६ :—यदि करदाता निश्चित समय मे कर की रकम जमा नही करावे तो उस पर कर के बरावर की रकम का दड किया जा सकता है।

कर-भुगतान प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) :— यदि कोई व्यक्ति कर-क्षेत्र छोडकर जाता है तो उसको जाने से पहले कर-भुगतान प्रमाणपत्र लेना पडेगा। यह व्यवस्था १९५३ के ऐक्ट मे सरकारी आय को सुरक्षित करने के लिए की गई है।

५. धारा ५१ :— यदि करदाता विना उचित कारण के धारा १८ के अनुसार वेतन मे से कर न काटे, कर काटने का प्रमाण-पत्र न देवे, धारा १८ या २२ (२) के नोटिस पर आय का नकशा न भेजे, धारा २२ (४) के अनुसार वहिया पेश न करे, या धारा ३९ के अनुसार वहियो का निरीक्षण न करने देवे तो उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा १०) प्रति दिन दड किया जा सकता है।

६ धारा ५२ :—यदि कोई करदाता धारा १९ ए, २० ए, २१, २२, २५ ए (२), ३० या ३२ (३) में झूठी तसदीक कर देवे और यदि यह अपराध सिद्ध हो जावे तो मजिस्ट्रेट उसको ६ महीने की सादी जेल या उस पर १०००) तक दड या दोनो कर सकता है।

अपील (Appeals) —अपील करने का अधिकार अन्तर्निहित नही है परन्तु यह कानून द्वारा दिया जाता है। आयकर कानून की ३०वी धारा के अनुसार निम्नलिखित आज्ञाओ (Orders) की अपील की जा सकती है —

१. धारा २३ के अन्तर्गत दिये गये असेसमेट आज्ञा (Assessment Order) की।

२. धारा २३ ए के अनुसार सारे लाभ को बाटा हुआ समझे जाने की आज्ञा की ।

३. धारा २४ के अनुसार कम नुकसान की रकम तय करने की आज्ञा के ।

४ धारा २५ के अनुसार बन्द व्यापार का नोटिस न देने के दड के विरुद्ध ।

५. धारा २५ ए के अनुसार सयुक्त हिन्दू परिवार को विभाजित न घोषित करने पर ।

६. धारा २६ के अनुसार व्यापार के उत्तराधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध ।

७. धारा २६ ए के अनुसार फर्म का रजिस्ट्रेशन न करने की आज्ञा के विरुद्ध ।

८. धारा २७ के अनुसार असेसमेंट को दुबारा न खोलने पर ।

९ धारा २८ के अनुसार दड दिए हुए हुक्म के विरुद्ध ।

१० धारा ४४ ई और एफ की दड की रकम के विरुद्ध ।

११. धारा ४६ के दड के विरुद्ध ।

१२. धारा ४८ के अनुसार वापसी (Refund) की मनाही करने पर ।

१३. धारा ४९ के अनुसार दोहरे टैक्स की छूट न देने पर ।

१४. धारा ३३ ए, बी और ४९ एफ के आज्ञा के विरुद्ध ।

१. **अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर** —करदाता यदि आयकर अफसर की आज्ञा से असतुष्ट हो तो वह ३० दिन के अन्दर-अन्दर उस आज्ञा की अपील अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को कर सकता है । अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को निर्णय को मजूर करने, रद्द करने, या बदलने का पूरा-पूरा अधिकार है । अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अपने आज्ञा की एक नकल करदाता को और दूसरी कमिश्नर को भेजेगा ।

२. अपीलेट ट्रिब्यूनल.—अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के धारा ३१ या २८ की प्रथम अपील के फैसले के विरुद्ध इनकमटैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मे धारा ३३ के अनुसार करदाता १००) फीस के देकर ६० दिन की अवधि में अपील कर सकता है। मियाद मे अपील पेश न होने पर ट्रिब्यूनल उचित कारणो के आधार पर अपील की मियाद बढा सकती है। ट्रिब्यूनल का तथ्य (Facts) प्रश्न का निर्णय अन्तिम और अकाट्य होता है।

३ हाई कोर्ट —धारा ३३ (४) की आज्ञा के नोटिस के ६० दिन के अन्दर-अन्दर करदाता या कमिश्नर, नियमित फार्म मे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कानूनी प्रश्न को हाईकोर्ट के सम्मुख रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ १००) की फीस भेजी जानी चाहिये। इस प्रार्थनापत्र के ९० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकदमे के प्रश्न को हाई कोर्ट के निर्णय के लिए भेज देती है। यदि यह प्रार्थना-पत्र ट्रिब्यूनल द्वारा अस्वीकार कर दिया जावे तो १००) की फीस वापस मिल जाती है। हाई कोर्ट दोनो पक्षवालों को सुनकर कानूनी प्रश्नो का निर्णय करती है और उस फैसले की एक नकल अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती, जो उस आदेश के अनुसार मुकदमे का फैसला दे देती है। जब धारा ७६ के अनुसार ट्रिब्यूनल कानूनी प्रश्न हाई कोर्ट के सम्मुख रखती है तब यह कम से कम दो जजो द्वारा सुना जाता है और यदि एक जज अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत हो और दूसरा असहमत हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ही फैसला मान्य होता है।

४. सुप्रीम कोर्ट :—धारा ६६ ए के अनुसार यदि हाई कोर्ट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट मे ले जाने के योग्य प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है या बदल सकती है और उसका निर्णय ही अन्तिम समझा जावेगा।

५. कमिश्नर द्वारा निगरानी (Revision by Commissioner) .—धारा ३३ ए (१) के अनुसार कमिश्नर स्वय अपने आधीन के मुकदमे के कागजात जाच करके करदाता के पक्ष मे आज्ञा दे सकता है। धारा ३३ ए (२) के अनुसार यदि कोई करदाता ,२५) के फीस के साथ अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस करदाता के कागजात जाच करके वह करदाता के पक्ष में जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर सकता है। जब तक अपील न की जाय तब तक कमिश्नर निगरानी कर सकता है। परन्तु अपील होने के बाद नही।

धारा ३३ बी के अनुसार कमिश्नर को कर की रकम बढाने, परिवर्तन करने, या कर की आज्ञा को रद्द करके नये कर की आज्ञा देने का भी अधिकार दे दिया गया है। यदि कोई करदाता कमिश्नर के ३३ बी की आज्ञा (Order) से असतुष्ट हो तो वह उस आज्ञा के मिलने के ६० दिन के अन्दर-अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल मे १००) की फीस देकर अपील कर सकता है।

परिशिष्ट

प्रश्न (उत्तर सहित)

परिशिष्ट (१)

प्रश्न (उत्तर-सहित)

(Q 1)

K Chandra is employed in a college on a monthly salary of Rs 800 of which 10% he contributes to a Statutory Provident Fund, to which his employer also contributes an equal amount He pays Rs 320 p a as insurance premium on the life of his wife His provident fund is credited with Rs 600 as interest @ 4% p a Find out his tax-liability for the year 1951-52

Solution :—

	Rs
Income from Salary	9,600
Less earned income relief 20%	1,920
	7,680

	Rs	as	p
		Nil	
On Rs 3,500 @ -|-|9	164	1	0
On Rs. 2,680 @ -|1|9	293	2	0
	457	3	0

Exempted Income—	Rs
P F Contribution	960
Insurance Premium	320
	Rs 1,280

Exemption on Rs 1,280

$$= \frac{\text{Rs } 1,280 \times \text{Rs } 457\text{-}3\text{-}0}{7,680} = \text{Rs } 76\text{-}3\text{-}0$$

Tax Payable Rs 457-3-0 — Rs 76 3 0				
	= Rs	381	0	0
Plus 5% Surcharge		19	1	0
Taxation liability	Rs	400	1	0

(Q 2)

Mr Chandra Kant receives a monthly salary of Rs 500, 10% of which he contributes to a Provident Fund towards which his employer also contributes an equal amount He is allotted a rent free quarter worth Rs 600 p a During the year he received two months' salary as bonus Find out the taxable income and exempted income under all the three classes of Provident Fund for the year 1951-52

Solution —

(1) When the Provident Fund Act of 1925 applies.

	Rs
Salary	6 000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
	7 600
Earned Income Relief 20%	1,520
Taxable income	6,080

Exempted income—

P F contribution	600

(2) Recognised Provident Fund

	Rs
Salary	6 000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
Employer's contribution	600
	8,200

Less E I R 20%	1,640
Taxable income	6,350
Exempted income—	
P F contribution	1,000

(3) Un-recognized Provident Fund

	Rs
Salary	6,000
Rent-free quarter	600
Bonus	1,000
Total income	7,600
Less 20% E I R	1,520
Taxable income	6,080
Exemption	Nil

The same will be the position when there is the application of the Superannuation Provident Fund

(Q 3)

As an accountant of a limited concern what tax would you deduct monthly during the assessment year 1951-52 from the salary of Mr A whose total income is as under —

	Rs
Monthly salary	3,000
Car allowance (p m)	100
House allowance (p m)	200
Bonus (two months' salary)	

Mr A contributes 3,000 to a recognised provident fund The company contributes a similar amount The provident fund account is credited with Rs 2,000 being interest on provident fund Mr A pays Rs 1,200 as insurance premium on his life policy worth Rs 15,000

Solution —

Estimated total income under the head salaries—

Salary	36,000
Car allowance	1,200
House allowance	2,400
Bonus	6,000
	45,600
Employer's contribution to P F.	3,000
Interest on P F	2,000
	50,600
Less earned income allowance	4,000
	46,600

Income tax payable on Rs 46,600 at the rates ruling in the Fiscal year 1951-52

Rs 1,500	Nil	Nil
Rs 3,500	-|-|9	164- 1-0
Rs 5,000	-|1|9	546-14-0
Rs 5,000	-|3|-	937- 8-0
Rs 31,600	-|4|-	7,900- 0-0
		9,548- 7-0
Add 5% surcharge on Income-tax		477- 8-0
		10,025-14-0

Exempted Income —

Employer's contribution	3,000	
Employee's contribution	3,000	
Interest on P F	2,000	8,000

Insurance premium is not admissible as employer's contribution plus employee's contribution plus insurance primum exceeds 6,000.

Less rebate on exempted income Rs 8,000

$$= \frac{8,000 \times 10,025\text{-}14}{46,600} = 1,336\text{-}4\text{-}0$$

Income Tax Liability = (10,025-14-0) — (1,336-4)
= 8,689-10-0

Super-tax on Rs 50,600|- at the rate ruling in Fiscal year 1951-52

25,000	Nil	Nil
15,000	-|3|-	2,812- 8-0
10,600	-|4|-	2,650- 0-0
		5,462- 8-0
Add 5% surcharge		273- 2-0
Super tax liability		5,735-10-0
Total yearly tax liability		14,425- 4-0
Monthly deduction		1,202- 1-8

(Q 4)

If an assessee draws a monthly salary of Rs 310, what will be his total income, earned income allowance, taxable income and the amount of tax payable by him for the assessment year 1951-52

Solution —

	Rs
Salary being total income	3,720
Less. Earned Income Allowance	744
Taxable income	2,976

The tax to be paid on Rs 2,976 will be in proportion to the tax payable on his total income of Rs 3,720 The tax to be paid on Rs 3,720 is Rs 60, being one-half of the excess over Rs 3,600 Hence the income tax payable by him for the assessment year 1951-52 on his taxable income of Rs 2,976 would be Rs 48 only (3,720 2,976 60 48) and not Rs 69-3-0, because the former amount is less than the other.

(Q 5)

A s investments for 1949-50 were—

1 Rs 40,000 3½% Government Papers

2 Rs 20,000 5% Municipal Debentures

3 Rs 60,000 4½% Port Trust Bonds

His bank charged Rs 15 as commission for collecting interest He paid Rs 600 as interest on a loan which he had taken for the purchase of Port Trust Bonds Calculate his taxable income from interest on securities

Solution —

		Rs
Interest for the year on all investments		5,100
Less Bank Commission	15	
Interest on loan	600	615
Taxable Income from interest on Securities		4 485

Income tax at 5 annas in the rupee would be deducted at source from Rs 5,100

(Q 6)

Following are the particulars regarding the Taxable Income of Mr Krishna Chandra for the year ended 31-3-1952 Compute the total income and the tax payable on refund due.

1 Salary Rs 400 and dearness allowance Rs 40 p.m and bonus 120 at which 132-3-0 is deducted at source.

2. Interest on Securities —

1st June 1951

Six months' interest on 4% Bombay Port Trusts Debentures 1948-49 for Rs 40,000

Commission -|6|-

Six months' interest on 5% Tata Steel Company Debentures for Rs 10,000

Commission -|3|-

Six months' interest on 5% Bengal Chemical Industries Ltd Debentures for Rs 20,000

Commission -|5|-

1st December 1951

Six months' interest on 4% Bombay Port Trust Debentures 1948-49 for Rs 40,000

Commission -|6|-

Six months' interest on 5% Tata Steel Co Debentures for Rs 20.000

Commission -|5|-

Six months' interest on 6% free of tax Government Loan 1945-55 for Rs 10,000

Commission -|3|-

Interest on Postal Saving Bank A|c Rs 500

Interest from National Savings Certificates 600

Commission -|4|-

Solution :—

Statement of Interest on Securities

Particulars	*Date of Receipt*	*Gross Income*	*Tax deducted at Source*		*Com-mission*		*Net Income*	
		Rs	Rs	as	Rs	as	Rs	as.
4% Bombay Port Trust Debentures of 1948-49 for Rs 40,000	1st June 1951	800	210	0	0	6	589	10
5% Tata Steel Co., Debentures for Rs 10,000	1st June 1951	250	65	10	0	3	184	3
5% Bengal Chemical Debentures for Rs 20,000	1st Dec 1951	500	131	4	0	5	368	7
4% Bombay Port Trust Debentures of 1948-49 for Rs 40,000	1st Dec 1951	800	210	0	0	6	589	10
5% Tata Steel Co., Debentures for Rs 20,000	1st June 1951	500	131	4	0	5	368	7
6% free of tax Govt. 1945-55 Loan for Rs 10,000	1st Dec 1951	300	—		0	3	299	13
		3,150	748	2	1	12	2,408	2

NOTE —Interest on Postal Saving Bank A|c and Interest on National Savings Certificates will not be taken into account as they are totally free from tax and are not included even in total income

Statement of Total Income

Heads of Income		*Gross Income*	*Tax collected at source*
Income from Salaries		5,400| -|-	132| 3|-
Interest on Securities	3,150| -|-		
Less Bank Commission	1|12|-	3,148| 4|-	748| 2|-
		8,548| 4|-	880| 5|-
Less earned Income allowance			
		7,468| 4|-	
1|5 of 5,400		1,080| -|-	
Exempted Income—Net interest on Govt Loan—1945-55		299|13|-	

Income Tax on 7,468|- at 1951-52 rates

1,500	Nil	Nil
3,500	-|-|9	164| 1|-
2,468	-|1|9	263|11|-
		427|12|-
Add 5% Surcharge		21| 6|-
		449| 2|-
Less relief on exempted income		18| 0|-
Tax payable		431| 2|-
Tax refundable =	(748-2-0)—(431-2-0)	=Rs 317|-

(Q 7)

Shri Onkar Nath owns several properties, the annual letting value of which amounts to Rs 25,000, including Rs 7,000 for a bunglow, where he resides He claims the following expen-

ses :—Rs 100 for insurance premium, Rs 700 for interest on mortgage, Rs 500 for vacancy allowance, Rs 25 for ground rent. Rs 10 for land revenue and Rs 1.200 for rent collection charges Ascertain his taxable income for the assessment year 1951-52 assuming that he has no other income.

Annual Rental value of the property let		18,000
Less 1/8 for local taxes		2,000
Annual value of the property let		16,000
Less 1 6th for repair	2.667 0 0	
Less proportionate Fire Ins Premium (18 · 7)	72 0 0	
Less proportionate Int on mortgage 18 : 7)	504 0 0	
Less vacancy allowance	500 0 0	
Less proportionate ground Rent (18 7)	18 0 0	
Less proportionate Land Revenue (18 . 7)	7 0 0	
Less Rent collection charges restricted to 6%	960 0 0	4,728
Assessable income of property let		11,272

Annual value of the property in his own occupation restricted to 1/10th of the total income		1,204
Less 1 6th for repairs	201-0-0	
Less proportionate Fire Ins Premium (7 : 18)	28-0-0	
Less proportionate Int. on mortgage (7 : 18)	196-0-0	
Less proportionate ground rent (7 : 18)	7-0-0	

Less proportionate Land
Revenue (7 18) 3-0-0

435

Assessable income of the residential portion 769

Assessable income form property 12,041

NOTE —(1) By letting value here means rental value not the annual value

(2) Annual value of the portion occupied is calculated thus·

$$\frac{6}{55}\left\{11272-(28+196+7+3)\right\}=\frac{6}{55}(11272-234)$$

$$=\frac{6}{55}\times 11038=\frac{66228}{55}=1204\text{-}0\text{-}0$$

(Q 8)

Mr H Murthy has the following income for the year ending 31st March, 1952 —

(a) Salary Rs 500 per month He has contributed 6¼% of his salary to a recognised provident fund, to which an equal amount has been contributed by the employer The interest at 4½% per annum on his provident fund amounts to Rs 300.

(b) He owns three houses, having municipal valuations of Rs 1,800, Rs 6,000 and Rs 3,000 respectively The following further details are available about these houses —

(i) The first house has been let on a rent of Rs 175 p m and he has incurred the following in respect thereof —Interest on the mortgage of property Rs 1,200 , Land Revenue Rs 40 , Premium for fire insurance Rs 150 , Interest on loan taken to repair the house Rs 600 , Municipal Taxes Rs. 50 The house remained vacant for two months during the year.

(ii) The second house is used by him for his own residence and he has spent Rs 300 on its repair and has paid Rs 100 as fire insurance premium

(iii) The third house is let out on Rs. 200 p m and the construction of this house was completed in March, 1951

Ascertain (a) the taxable income from property, (b) the total income, and (c) the exempted income for the assessment year 1952-53

Solution —

Statement of Total Income

(1) Income from salary			
Salary proper		6,000	
Employer's contribution		375	
Int on P F.		300	
Total income from salary		6,675	
Less Earned Income Relief		1,335	
Taxable income from salary			6,340
(2) Income from property			
I House			
Rental value		2,100	
Less ½ Municipal taxes		25	
		2,075	
Less 1/6th of repairs	346		
,, Int on mort	1,200		
, Land Revenue	40		
,, Premium for fire	150		
,, Int on Loan	600		
,, Vacancy allowance	346		
Loss from 1st House		2,682	607

II House

Annual value restricted to

1/10th of total income		651	
Less 1/6th for repairs	109		
Less Fire Ins premium	100	209	
Assessable income from II House			442

III House

Income from third house is not taxable for two years as it was completed in 1951

Loss from property 165

(a) Taxable income from property is nil as there is already a loss which can be set off against other heads of income

(b) The total income = 6,675 − 165 6,510

(c) Exempted Income

Employer's contribution	375
Employee s contribution	375
	750
Interest on P F	300
	1,050

NOTE —Calculation of annual value of the II House —

$$\frac{6}{55}\left(6675-607-100\right)=\frac{6}{55}\times 5968=\frac{35808}{55}=651$$

(Q 9)

Following is the Profit & Loss A/c of Mr Raja Ram for the year ended 31st March 1951 You are required to compute his total income from business and the amount of tax payable by him on such income Assume that he has no other income

Profit & Loss Account for the year ended 31st March 1951

To Advertisement	250	By Gross Profit	30,300
„ Rent Rates & Taxes	1,700	„ Interest	50

,, Establishment Expenses	4,250	,, Profit on sale of investments	2 000
,, Charity & Gifts	750		
. Fire Insurance Premium	300		
,, Household Expenses	5,000		
,, Subscription & Donation's	400		
,, Reserve for Bad debts	300		
,, Life Premiums (on sum assured 12,000)	1,000		
,, Accounting & Auditing charges	1,250		
,, Income Tax	1,000		
,, Postage and stamps	250		
,, Interest on Capital	350		
,, Discount & Allowances	150		
,, General Expenses	700		
,, Payment to Competitors	300		
,, Repairs	100		
,, Net profit transferred to capital	14,300		
	32,350		32,350

Establishment expenses include a sum of Rs 750 paid as compensation to an employee for premature termination of the services Subscription and donations included a sum of Rs 300 paid in the Gandhi Memorial Fund which is approved for charitable purposes General Charges include a sum of Rs 50 incurred in removal of plant to new premises Payment to competitors represents a certain share in the estimated profits arrived at by a formula irrespective of actual profit & loss Accountancy and Auditing charges include a sum of Rs 300 for drafting a partition deed of the family.

Solution —

Taxable Income from business for the assessment year 1951-52

Net profit as per P & L A|c	14,300
Add inadmissable Expenses —	
Charity and Gifts	750
Household expenses	5,000
Subscription and Donation (considered in exemption)	400
Reserve for bad debts	300
Life insurance premium (considered in exemption)	1,000
Accountancy charges for drafting a partition deed	300
Income Tax	1,000
Interest on capital	350
General expenses (for removal of a plant)	50
	23,450
Less profit on sale of investments being capital profit)	2,000
Total income from business	21.450
Less earned income relief (maximum)	4,000
Taxable income	17,450

Income tax payable on Rs 17,450 at the rates ruling in the Fiscal year 1951-52

Rs 1,500	Nil	*Nil*
Rs 3,500	-|-|9	164| 1|-
Rs 5,000	-|1|9	546|14|-

Rs	5,000	-|3|-	937| 8|-
Rs	2,450	-|4|-	612| 8|-
			2,360|15|-
	Add 5% surcharge		118| 1|-
			2,479| -|-

Exempted Income —

Life Insurance Premium	1,000
Contribution to Gandhi Memorial Fund	300
	1,300

Rebate on exempted income $= \frac{2479}{17450} \times 1300 = \frac{322270}{1745} = 184\text{-}11$

Tax liability of Mr. Raja Ram for the assesment year =(2,479)—(184-11)

= 2,294-5-0

NOTES —(1) Money paid for drafting a partition deed of the family is not deductible as it does not in any way represent a business expense

(2) Money paid for removal of plant to new premises is not an allowable deduction because it is a capital expenditure.

(3) Life premium paid is not allowable as a business expense hence not deductible Rebate at average rate is however, admissible

(4) Payments to competitors as a share in the estimated profits arrived at by a formula irrespective of actual profits or loss is an allowable deduction, because it is incurred wholly and exclusively for the purpose of the business.

(5) Minimum amount of deductions for approved charitable institution to be allowed in Rs 250. In this

case the amount is Rs 300 hence a rebate is given If it would have been 200|-|- no rebate would have been given

(Q 10)

Mr N Narainswami, a pleader, has prepared his Income & Expenditure Account for the year ending 31st March, 1951 Please prepare a statement showing his taxable income from his legal profession for the assessment year 1951-52

Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 1951

To House expenditure	20,000	By Legal fees	50,000
„ Salaries & Wages of the Staff	15,000	„ Income from acting as an arbitrator	500
„ Charity	1,000	„ Gain on race course	5,500
„ Income Tax	5,000	„ Dividends of shares (net)	2 000
„ Loss on shares of X Ltd	4,000	„ Profit on Sale of Govt Securities	1,000
„ Gratuity to one of the disabled clerks	1,600	„ Interest on Fixed Deposits	1,500
„ Net Income	22,000	„ Presents from clients	5,400
		„ Directors' Fees	400
		„ Bank Interest	500
		„ Interest on Postal Savings Bank	800
		„ Dividends from Co-operative Society declared out of profits	1,000
	68,600		68,600

Solution :—

Income as per Income & Expenditure A|c			22,000
Add items disallowed :—			
1 House hold expenditure	20,000		
2 Charity	1,000		
3 Income Tax	5,000		
4 Loss on shares of X Ltd	4,000		30,000
			52,000
Less—			
1 Income from acting as an arbitrator	500		
2 Gain on race cource	5,500		
3 Dividends on shares	2,000		
4 Profit on Sale of Govt Securities	1,000		
5 Presents from clients	5,400		
6 Interest on Postal Savings Bank	800		
7 Dividends from Co-operative Society declared out of profits	1,000		16,200
Income from Profession		Rs	35,800

Mr N Narainswami's Assessment for year 1951-52

1 Income from profession	35,800
2 Income from other sources (Dividends)	2,666
Total Income	38,466
Earned Income Allowance (20% of Rs 35,800, subject to a maximum of Rs 4,000)	4,000
Taxable income	34,466

NOTES

1 Income from acting as an arbitrator and gain on race course are casual incomes, and so not assessable

2 Profit on sale of Govt securities or loss on sale of share are capital profits and capital losses respectively If, however, share dealing is a regular business, they will be taken into account to arrive at the taxable income

3 Present from a client is a casual receipt, hence not taxable

4 Interest on Postal Savings Bank account is not only exempt but it is not to be taken into account to determine the rate of tax on other incomes

5 Dividends from Co-operative societies declared out of profits are exempt from tax but it should be taken into account to determine the rate of tax on other incomes

6 Gratuity to a disabled clerk is a business expense

(Q 11)

A registered firm has three partners Kamal, Vimal and Kranti who share profits and losses in the proportion of 2, 2 and 1 respectively Kamal retired on September 30, 1950 and D (who was previously a salaried assistant in the firm on Rs 300 a month) was admitted as a partner on that date, the shares of Vimal, Kranti and D being 4, 3 and 3 respectively Vimal, Kranti and D further agree not to allow or charge any interest on current accounts The Profit & Loss account for the year ended 31st March, 1951, is as follows —

	Income	Rs
1	Sales	1,50,000
2	Stock on 31-3-1951	15,000
3	Interest on Kranti's current account	320

	Expenditure		
1	Stock on 1-4-1950		20,000
2	Purchases		80,000
3	Salaries		12,000
4	Rent		6,000
5	General Expenses		1,700
6	Subscription	Business	60
		Charitable	80
7	Interest on current account Kamal		560
8	Interest on current account Vimal		440

The other taxable income of the partners was as follows

Kamal—Dividends gross	Rs	5.760
Vimal—Interest on Bank deposit	Rs	500
Kranti		Nil
D—Salary as assistant in the firm		

Show how the assessment would be made for the year 1951-52 if the taxable profits of the business are attributed equally to the two halves of the years

Solution —

Computation of the firms total income		Rs
Profits as per P & L a|c		44,480
Add items disallowed .		
Charitable subscription	80	
Interest on current accounts	1,000	1,080
		45 560
Less interest charged on Kranti's current account		320
Total Income		45,240

Allocation of firm's total income between partners

	Kamal	Vimal	Kranti	D
1. Interest on current account	560	440	—320	—

2	Balance for the first half year (2, 2 and 1)	8776	8776	4388	—
3	Balance for the next half year (4, 3 & 3)	—	9,048	6,786	6,786
		9 336	18,264	10,854	6,786

Statement of Partners total income

		Kam	V.	Kr	D
1	Salary				1.800
2	Profits from registered firm	9,336	18,264	10,854	6,786
3	Dividends gross	5,760			
4	Bank interest	—	500	—	—
	Total income	15,096	18,764	10,854	8,586
	Less Earned Income Allowance	1,867	3,652	2,170	1,717
	Assessable income	13,229	15,112	8,684	6,869

(Q 12)

A, B, C are partners of a registered firm who share profits and losses in the proportion of 2 2 1 respectively, and the following is their profit and loss account for the year ending 31st December, 1951

Salaries & Wages	16,000	Gross profit	50,700
Marketing charges	175	Profit on sale of motor car	800
Advertisement	325		
General charges	11,700	Profit on sale of investments	400
Legal expenses	2,500		
Travelling expenses	1,400		

Interest on Bank Loan	150	
Discount	75	
Reserve for bad debts	125	
Bad debts written off	80	
Payment to retiring partner	1,000	
Interest on capital — A 300, B 400, C 800	1,500	
Net profit	16,870	
	51,900	51,900

Take the following matters into consideration and then compute the total income of the firm and allocate it between the partners .—

(1) Salaries and wages include a partnership salary of Rs 500 per month to B

(2) General charges include a sum of Rs 300 paid to save business reputation.

(3) Legal charges include a sum of Rs 900 spent in defending a suit in connection with assessee's smuggling cloth to Pakistan It also includes a sum of Rs 600 incurred in connection with a suit brought by the firm to retain the use of its trade mark

(4) Motor car was used wholly for business purposes At the time of sale the written down value of the car was Rs 5,000, while it was sold for Rs 5,800

Solution :—

(a) Computation of firm's total income

Net profit as per P & L A|C	16,870	0	0

Add inadmissible expenses

	Rs	As	P
Partner's salary	6,000	0	0
General charges to save business reputation	3,000	0	0
Legal charges for defending a smuggling suit	900	0	0
Reserve for bad debts	125	0	0
Payment to retiring partner	1,000	0	0
Interest on Capital	1,500	0	0
	29,395	0	0
Less profit on sale of investment	400	0	0
	28,995	0	0

(b) Allocation of the firms total income between partners

	A	B	C
Salary	—	6,000	—
Interest on Capital	300	400	800
Share of Profit	8,598	8,598	4,299
	8,898	14,998	5,094

Notes—(1) Payments made to save business reputation are not an allowable deduction

(2) Legal expenses incurred to retain the use of one's trade is an admissible expense

(3) The sum of Rs 900 spent in defending prosecution relating to assessee's smuggling cloth to Pakistan will not be allowed

(4) Payment to a retiring partner is not an allowable expense

(Q 13)

The following is the Profit and Loss account of a Sugar Mill Company for the year ended 31st October, 1950

Dr	Rs
Opening stock of sugar	1,82,300
Cost of cane crushed	12,57,700

Manufacturing expenses	7,98,500
Repairs and Renewals	40,700
Establishment charges	41,600
Commission on sales	63,500
General charges	17,800
Directors' fees	1,600
Auditors' fees	2,000
Managing Agents' Remuneration	78,600
Depreciation	1,30,700
Profit	2,09,200
	28,24,200
Cr	
Sales	24,50,500
Sundry Receipts	7,700
Closing stock of Sugar	3,66,000
	28,24,200

Ascertain the Company's total income for the assessment year 1951-52 after taking the following information into accounts .—

1. Cane crushed includes Rs 1,54,000 the cost of cane grown on the Company's own farm the average market price of the cane being Rs 1,96,000
2. Manufacturing expenses include Rs 4,26,000 for excise duty, Rs 67,000 Capital expenditure on a new Scientific Research Laboratory, and Rs 11,000 on its maintenance charges for the year
3. General Charges include Rs 5,000 for donation to local education institutions and Rs. 2,000 for donation to a public hospital where the Company's employees are treated free

4 Sugar worth Rs 1,000 was given away free to an orphanage.

5 Rs 15,000 cost of additions made to factory buildings in June, 1950, has been charged to repairs and renewals

6 The amount of depreciation agreed is Rs 98,200 which does not include the amount of depreciation on the additions made to factory buildings during the year, such additions being entitled to depreciation at 2½ per cent per annum, but not to any initial depreciation

7. Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards employees' provident fund which is unrecognised

Solution —

Profit & Loss A|c as adjusted for Income-tax purposes

Dr	Rs
Opening stock of sugar	1,82,300
Cost of cane crushed	12,99,700
Manufacturing expenses	7,31,500
Research laboratory (1|5 written off)	13,400
Repairs and Renewals	25,700
Establishment charges	41,600
Commission on sales	63,500
General Charges	12,800
Directors' fees	1,600
Auditors' fees	2,000
Managing Agents' Remuneration	78,600
Depreciation on old assets	98,200
Depreciation on additions for 4 months @ 2½% p a	125
Profits being total income	2,74,175
	28,25,200

Cr.	Rs
Sales (including Rs 1,000 given as charity)	24,51,500
Sundry Receipts	7,700
Closing stock of Sugar	3,66,000
	28,25,200

(Q 14)

Given below is the Profit & Loss Account of the Jai Bharat & Co Ltd, for the year ended 31st December, 1950 —

	Dr	Rs
1	Wages and Salaries	19,15,992
2	Donations	5,000
3	Brokerage	3,862
4	Cotton Account	57,08,975
5	Directors' fees	4,500
6	Research Expenditure	60 000
7	Repairs to Buildings & Machinery	62,278
8	Workmen's Welfare Expenditure	27,592
9	Managing Agents' Commission	1,00,845
10	Stores Account	9,17,824
11	General Charges	14,504
12	Rates & Insurance	20,188
13	Office Expenses	1,20,347
14	Auditors' fees	2,500
15	Interest	1,05,925
16	Law Charges	2,865
17	Contribution to Staff Prov Fund (recognised)	37,500
18	Net profit (subject to depreciation)	12,16,350
	Cr	
1	Transfer Fees	3,108
2	Rent of Bungalows	28,951

3	Waste Account	60,754
4	Sundry Receipts	3,000
5	Cloth Account	48,12,056
6	Yarn Account	54,05,978
7	Dividends (Net)	13,200

Compute the taxable profits and its total income for the year 1950 after taking the following information in account—

1 The amount of depreciation allowance is agreed at Rs 2,75,850

2 Legal charges amounting to Rs 950 were incurred in connection with the purchase of additional land

3 Rates Rs 1,800, Insurance Rs 1,250 and repairs to buildings Rs 2,872 were in respect of bungalows and chawls let to employees.

4 Two-thirds of the research expenditure is capital expenditure

5 Rupees 2,700 of brokerage was paid for cotton and stores purchased and the balance was in respect of loans raised for the Company's business

Solution —

			Rs
	Profit as per Profit & Loss A/c		12,16,350
	Add expenses disallowed		
1	Repairs to buildings	2,872	
2	4/5 of capital expenditure	32,000	
3	Brokerage on loans being capital expenditure	1,162	
4	Rates and Insurance of building	3,050	
5	Legal Charges	950	
6	Donations	5,000	45,034
			12,61,384

Less Depreciation allowance		2,75,850	
Income not taxable under business .			
Rents		28,951	
Dividends		13,200	3,18,001
Taxable profits from business			9,43,383

1.	Rent of bungalows, etc		28,951	
	Deduction for the local taxes		3,216	
	Annual value of property		25,735	
	Less 1/6 for repairs	4,289		
	Insurance	1,250	5,539	20,191
2	Profits from Business			9,43,383
3	Dividends Gross			17,600
	Total Income			9,81,174

If the donations of Rs 5,000 have been given to an approved charity, a rebate of income tax would have been allowed thereon at the average rate of Income-tax

(Q 15)

A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 2 2 1 The Profit & Loss a/c of the firm for the year ended 31st March, 1951 is as follows —

Dr		Rs.
Sundry Trade Expenses		50,000
Interest on Capital	A	3,000
	B	2,000
	C	1,000
Salary to B		6,000
Commission to C		3,000
Net Profit		85,000

Cr

Gross Profit	1,45,000
Dividends Gross	5,000

Compute the assessable income of the firm and allocate it amongst the three partners

Solution —

Computation of firm's total income

1	Business		
	Net profit as per P & L A|c		85,000
	Add Expenses disallowed—		
	Interest on Capital	6,000	
	Partners' salary		
	Partners' Commission	3,000	15,000
			1,00,000
	Less Dividends		5,000
			95,000
2	Dividends Gross		5,000
	Total Income		1,00,000

Its allocation amongst partners

		A	B	C
1	Interest on capital	3,000	2,000	1,000
2	Salary		6,000	
3	Commission			3,000
4	Balance of the firms total income (2 2 1)	34,000	34,000	17,000
	Rs	37,000	42,000	21,000

(Q 16)

From the following Profit & Loss account of The Johnson Colliery Co Ltd, for the year ended 31st March, 1951 Compute its total income for income-tax purposes —

Particulars		Amount	Particulars	Amount
To Salaries		1,50,000	By Gross Profit	6,31,000
,, Bonus to employees		11,500	,, Discounts	1,000
,, Cost of Colliery		10,000		
,, Commission		24,000		
,, Repairs		10,000		
,, Fire Insurance		4,200		
,, Director's Fees		3,000		
,, Interest on Debentures		7,200		
,, Bank Charges		600		
,, Preliminary Expenses written off		10,000		
,, Discount on Issue of Shares		7,000		
,, Hospital Construction		40,000		
,, Research Work		20,000		
,, General Expenses		10,000		
,, Premium for Lease		5,000		
,, Depreciation —				
Buildings	5,000			
Furniture	500	5,500		
,, Bad Debts		2 000		
,, Net profit		3,12,000		
		6,32,000		6,32,000

1. Cost of Colliery amounting to Rs 10,000 is paid in addition to a Commission at a certain rate on every ton of coal raised by the Co
2. Repairs include Rs 2,000 expended on improvements to the Co's property as distinct from repairs It also includes a sum of Rs 400 paid for accumulated arrears of repairs
3. Directors' fees includes a sum of Rs 1,500 paid to any undesirable Director in order to get rid of him
4. Hospital has been constructed for the benefit of employees
5. Expending under the head "Research Work", represents 1|5th of the total amount of Rs 1 lakh paid by the Co to The Delhi University for starting a laboratory for scientific research relating to coal business, two years before the commencement of the business
6. General Expenses include a sum of Rs 2,000 spent on a garden party given to the Minister of Works, Mines & Power of the Government of India It also includes a sum of Rs 200 paid as commission to brokers to raise share capital
7. Depreciation has been calculated at the prescribed rates
8. Premium for lease represents payment made for renewal of a lease

Solution —

Net Profit as per Profit & Loss Account		3,12,000
Add items disallowed—		
1 Cost of Colliery	10,000	
2 Repairs	2,400	
3 Preliminary Expenses	10,000	
4 Discount on Issue of Shares	7,000	

5.	Hospital Construction	40,000	
6.	General Expenses	2,200	
7	Premium for lease	5,000	76,600
			3,88,600

NOTES

1 Cost of colliery paid in addition to a commission at a rate on every ton of coal raised by the Co is not an allowable expense

2. Improvements and accumulated arrears of repairs are not allowable

3 Preliminary expenses are not an allowable deduction

4 Amount paid to an undesirable life director is a revenue expenditure and hence allowable

5 Hospital construction amount is not allowable as it is a capital expenditure

6 Expenses incurred in a garden party given to a Minister are not allowable

7. Commission paid to brokers for raising share capital is not allowable

8 Rent of the lease is allowable, while premium for removal is not allowable.

(Q 17)

Rajender Pershad starts a new business on 1st April, 1950. He purchases new machinery for Rs 50,000 and furniture at a cost of Rs 10,000 He purchases an old machinery at a cost of Rs 20,000 on 1st July, 1950 Calculate the depreciation allowance in 1951-52 assessment supposing that depreciation on machinery is 10% and on furniture 6% Also find out the written down value for 1952-53 assessment

Solution —

Rajender Pershad will be entitled to depreciation as under:

(1) Initial depreciation on Rs 50,000 @ 20%	10,000
(2) Ordinary depreciation on Rs 50,000 @ 10%	5,000
(3) Additional depreciation equal to normal	5,000
(4) Normal, depreciation on Rs 20,000 @ 10% on old machinery for 9 months	1,500
(5) Ordinary depreciation on furniture @ 6%	600
Total Depreciation	22,600

Written down value for 1952-53 assessment	
Machinery original cost 50 000 + 20,000	70,000
Less ordinary and additional depreciation (not initial)	11,500
	58,500
Furniture original cost	10,000
Less normal depreciation	600
	9,400

NOTE —Initial depreciation of Rs 10,000 will not be taken into account for calculating written down value, but it will be taken into account for calculating balancing depreciation

(Q 18)

Followings are the information about the machinery of an engineering company which closes its books on 31st December Find out the amount of admissible depreciation for the assessment year 1951-52

Machinery —Total cost to 31st December, 1950, Rs 5,00,000, which includes the cost of new machinery pur-

chased on 1st January, 1948 Rs 1,00,000 and on 1st January, 1950, Rs 1,00,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this upto and including 1950-51 assessment is Rs. 1,20,000. The rate of depreciation on this asset is 10% In the year 1950 the whole machinery was employed double shifts for 100 days and triple shift for another 100 days.

Solution —

Total cost to 31st December, 1950	5,00,000
Less depreciation already claimed and allowed (excluding initial depreciation of 20,000 i e 20% of 1,00,000)	1,00,000
Written down value for the assessment year 1951-52	4,00,000
Initial depreciation on Rs 1,00,000 @ 20%	20,000
Normal depreciation on Rs 4,00,000 @ 10%	40,000
Further depreciation allowance on machinery of 1,00,000 acquired after 31st March, 1948 equal to its normal depreciation	10,000
Double shift allowance for 100 days being $= \frac{40{,}000 \times 100 \times 1}{300 \times 2}$	666,7
Triple shift allowance for 100 days being $40{,}000 \times \frac{100}{300} \times 1$	13,333
Depreciation allowance for 1951-52 assessment year	90,000

Written down value for 1952-53 (4,00,000— 70,000) = 3,30,000

NOTE —Initial depreciation of 20,000 cannot be taken into account for calculating written down value.

(Q. 19)

A Jute Mill Company, whose accounts are made upto 31st March, purchased new machinery on 31st March, 1950, for

Rs 2,00,000 the prescribed rate of depreciation being 10%. Calculate the amount of depreciation allowance for five assessment years assuming that the market price of similar machinery on 31st March, 1953, is 1,50,000

Tax year		Rs	Rs
1950—51	Cost of machinery		2,00,000
	Depreciation allowance		
	Initial depreciation	40,000	
		40,000	—
			2,00,000
1951—52	Written down value		2,00,000
	Depreciation allowance		
	Normal	20,000	
	Further	20,000	40,000
1952—53	Written down value		1,60,000
	Depreciation allowance		
	Normal	16,000	
	Further	16,000	32,000
1953—54	Written down value		1,28,000
	Depreciation allowance		
	Special depreciation to bring the written down value to 96,000 (i e which would be the written down if the cost were Rs 1,50,000	32,000	
	Normal depreciation on 96,000	9,600	
	Further depreciation equal to normal	9,600	51,200

1954—55	Written down value		76,800
	Depreciation allowance		
	Normal	7,680	7,680
	Written down value for the assessment year 1955-56.		69,120

(Q 20)

Machinery cost Rs 2,00,000 Its written down value 1,00,000 Initial depreciation 40,000 It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs 20,000. What would be the position as regards balancing depreciation, if the insurance money received were 30,000, Rs 40,000, Rs 1,00,000, Rs 1,80,000 and Rs 2,20,000

Written down value	1,00,000
Less initial depreciation	40,000
Written down value for balancing depreciation purposes	60,000

Scrap value 20,000

So the loss = (60,000 — 20,000) = 40,000

(a) When the insurance company gives Rs 30,000 there is a balancing depreciation of Rs 10,000

(b) When the insurance company gives Rs 40,000, there is no balancing depreciation and no taxable surplus

(c) When the insurance company gives Rs 1,00,000 there is a taxable surplus of Rs 60,000

(d) When the insurance company gives Rs 1,80,000 there is a taxable surplus of Rs. 1,40,000

(e) When the insurance company gives Rs 2,20,000, there is a taxable profit of Rs 1,40,000 and a non-taxable capital profit of Rs 40,000

(Q 21)

The income of Mr H. T Dewani, who is an ordinary resident, for the year ended 31st March 1951 is as follows —

1 Share of profits from an unregistered firm in which he is a financing partner Rs 5,000
2 Interest on 3% Government Securities for Rs 50,000
3 Director's fees Rs 500
4 Salary of Rs 6,000 from which appropriate tax has been deducted at source
5 Property income —

Rent received Rs 8,720	
Municipal taxes Rs 1,000	
Interest on mortgage of property	450
Fire Insurance Premium	350
Ground Rent	50
During the year in question he paid as premiums on life policies for 12,000	1,500

Prepare his assessment for the year 1951-52

Solution —

				Gross Income Rs	Incometax deducted at source Rs
1	Salary			6,000	154 11 0
2.	Interest on Securities			1,500	375 0 0
3	Property income—				
	Rent Received		8,720		
	Less 1|2 of local taxes		500		
	Annual Value of		8,220		
	Less 1|6 for repairs	1,370			
	Mortgage Interest	450			
	Fire premium	350			
	Ground rent	50	2,220	6,000	

4.	Profits from an unregistered firm	5,000	
5	Director's fees	500	
	Total income	19,000	529 11 0
	Less earned income allowance on account of salary and director's fees	1,300	
	Assessable income	17,700	

Gross amount of income tax on assessable income calculated as follows :—

(1) On Rs 17,700 at 1950-51 rates :		
On Rs. 1,500		Nil
On Rs 3,500 at -|-|9 per rupee		164 1 0
On Rs 5,000 at -|1|9 per rupee		546 14 0
On Rs 5,000 at -|3|- per rupee		937 8 0
On Rs 2,700 at -|4|- per rupee		675 0 0
	Total	2,323 7 0
Proportionate Income-tax on salary and interest on Securities (Rs 4.800 plus Rs 1,500)		827 0 0
(2) On Rs 17,700 at 1951-52 rates .		
On Rs 1,500		Nil
On Rs 3,500 at -|-|9 per rupee		164 1 0
On Rs 5,000 at -|1|9 per rupee		546 14 0
On Rs 5,000 at -|3|- per rupee		937 8 0
On Rs 2,700 at -|4|- per rupee		675 0 0
	Total	2,323 7 0
Add 5% Surcharge thereon		116 3 0
	Total	2,439 10 0

Proportionate income-tax on the balance of assessable income (Rs 17,700—Rs 6,300)		1,571 4 0
Gross income-tax on assessable income		2,398 4 0

Average rate of income-tax 26 01 pies per rupee

Exempted Income .—

Profits from an unregistered firm which has been taxed	5,000
Life Insurance Premium	1,200
	6,200

Amount of income-tax relief thereon at 26 01 pies per rupee	Rs 839 14 0	
Gross amount of income tax on assessable incomes		2,398 4 0
Less Income-tax already collected	529 11 0	
Relief on exempted income	839 14 0	1,369 9 0
Income-tax payable		1,028 11 0

(Q 22)

From the following particulars of Vimal Dev find out the total income, taxable income, exempted income for the assessment year 1951-52

1 Salary Rs 200 per month

2 8% War Bonds (tax-free) of Rs 25 000

5% Debentures of D C M Ltd of Rs 1,000

6% Victory Bonds (less tax) of Rs 3,000

Bengal Chemicals declared 6% dividend on Rs 5,000 (less tax)

Tata declared 6% dividend on ordinary shares of Rs 2,400 (tax-free)

3 House property let out Rs 6,000

4. Director's fees Rs 800

5. Profits from an unregistered firm Rs 500.
6 Profits from registered firm Rs. 600

He pays Rs 272 as insurance premium on the life of his wife and himself annually.

Solution —

			Rs
1.	Income from salary		2,400
2.	Interest on securities—		
	8% War Bonds	2,000	
	5% Debentures of D C M.	50	
	6% Victory Bonds	180	2,230
3.	Income from property	6,000	
	Less ⅑ Municipal taxes	667	
		5,333	
	Less 1|6 for repairs	889	4,444
4	Profits from an unregistered firm	500	
	Profits from registered firm	600	1,100
5	Income from Other Sources		
	Bengal Chemical dividend	300	
	Tata shares dividend Rs 144 × 4|3	192	492
	Director's fees		800
	Total Income		11,466
	Earned Income Relief		760
	Taxable Income		10,706

Exempted income—

Unregistered firm's profits	500
Tax free war bonds	2,000
Insurance premium	272
Total	2,772

N B —It is assumed that the profits of the unregistered firm have already been taxed

(Q 23)

Salary of Mr Kant is Rs 750 per month He pays Rs 50 per month as his contribution to a Recognised Provident Fund to which the University contributes an equal sum p m He pays Rs 210 p a for life insurance on a policy of Rs 2,000 His other incomes are share from a Joint Hindu Family Rs 6,000 Profits from a business in which he is a sleeping partner being Rs 5,000 as his share Find out his total income, exempted income, taxable income and earned income relief

Solution —

	Rs
Income from salary	9,000
Employer's contribution	600
	9,600
Earned Income Relief	1,920
Exempted Income	
P F Contribution	1,200
Insurance Premium	200
	1,400

Share of Joint Hindu Family income is exempted from income tax

Total income—

Salary	9,600
Business Income	5,000
	14,600

(Q 24)

A person has the following investments during the year 1950-51 —

1 Rs. 27,000 3½% Government paper

2 Rs 15,000 5% Municipal debentures.

3. Rs. 10,000 4½% Port Trust Bonds (Tax-free).

4 Rs 15,000 shares of Gold Ribbon Tea Co only 40% of which are taxable The Company declared 10% dividend

5 Rs 17,000 share of Daurala Sugar Mills having its own estate Income from farm is 40% of the total income of the Company The Company declared 6% tax-free dividend

6 Rs 22,000 ordinary shares of M C Sugar Mills having only refining and crushing process Dividend declared was 4%

He paid bank charges Rs 55 for collection of interest. He had borrowed money to purchase Municipal debentures and Port Trust Bonds He paid interest thereon Rs 500 and Rs 645 respectively Find out his total income and exempted income

Solution —

Income from Securites—	Rs
Interest on Govt Paper (3½% of Rs. 27,000)	945
15,000 5% Municipal Debentures	750
10,000 4½% Port Trust Bonds (Tax-free)	450
	2,145
Less Bank charges and interest on borrowed sum for the purchase of securities (55 + 1145)	1,200
	945

5. Income from Other Sources— Rs

	Rs
Rs 15,000 Gold Ribbon Co Shares .	1,500
Rs 17,000 Daurala Sugar Mills Shares 60% of the profits of which are taxable	

$$1020\times\frac{1}{1-\left(\frac{60}{100}\times\frac{4}{16}\right)}$$

$$=1020\times\frac{20}{17}=\frac{20400}{17} \qquad =1,200$$

Rs 22,000 on shares of M C Sugar Mills, dividend declared, 4%	880
Total income	4,525

(Q 25)

Mr Dharmender, a retired employee of the Government of India and an ordinary resident, makes a return of his income of the year ended March 31, 1951 showing the following incomes —

It is learnt on inquiry that the assessee is a partner in a registered firm and that his share of income in that firm during the firm's trading year ended October 31, 1950 was Rs 8,000 His wife is also a partner of that firm, her share of income during the same year being Rs 4,000 only, but she had already made a return of her own income separately The assessee owns a house used for his residence, the annual value of which is Rs 2,400

Dividend Rs 2,700 received in the taxable territories from a company in Kashmir, earning its entire income in that state, but 50% of its income was derived from agriculture

Interest on tax free Government Securities Rs. 4,000 Bank collecting commission Rs 25 Interest paid to a bank with

which the securities are mortgaged for a loan taken for purchasing the securities Rs 3,500 and brokerage paid for securing the above bank loan Rs 175

Pension at Rs. 100 per month

Compute the assessee's total income for the assessment year 1951-52

Solution —

Total Income for the assessment year 1951-52

			Rs
1	Salary (Pension)		1,200
2	Interest on tax-free Government securities (after deducting bank commission Rs 25 and interest on loan Rs 3,500)		1,475
3	Property Income Annual value restricted to 10% of total income	1,895	
	Less 1/6 for repairs	315	1,580
4	Share of profit from a registered firm including that of his wife		12,000
5	Dividend		2,700
	Total Income		18,955

Note—Brokerage paid for securing bank loan is not an admissible expense

(Q 26)

Mr Hardwin is employed as a clerk in a Government office on a monthly salary of Rs 120 He holds Rs 40,000 3½% Government securities, and is also the owner of a big house, the municipal valuation of which is Rs 800 He has let one-third of the house at Rs 30 per month and used the remainder for his own residence The house is mortgaged for a loan

which he took to meet the expenses of the marriage of his daughter and the interest on the loan amounted to Rs 300 for the year Ascertain his taxable income from property and also total income for the previous year ended March 31, 1951.

Solution —

		Rs	Rs
Rent of portion let		360	
Less deduction on account of local taxes restricted to one-eighth of annual value		40	
Annual value of the portion let		320*	
Less 1|6 for repairs	53		
Interest on mortgage (one-third)	100	153	167
Annual value of portion occupied (limited to 10% of total income)		302†	
Less 1|6 for repairs	50		
Interest on mortgage (two-third)	200	250	52
Taxable income from property			219

* Where rent is received from property subject to local taxes and a deduction is to be made in respect of such taxes to the extent of ⅛ of the annual value, then in order to find out the annual value multiply the rent by 8 and divide the product by 9

† In order to calculate the annual value of property occupied by the owner (such value to be restricted to 10% of his total income), the following formula can be readily applied Annual value of the residential property is equal to 1|10 of 12|11 of other taxable income minus admissible expenses relating to such property other than the one-sixth statutory allowance for repairs Thus using the above figures, the annual value of residential property will be

$$\frac{1}{10} \text{ of } \frac{12}{11} \text{ of } (1440+1400+167-200) \text{ or Rs } 302$$

Statement of Total Income

1	Salary	1,440
2	Interest on Securities	1,400
3	Income from property	222
	Total income	3,062

(Q 27)

From the following particulars relating to the year ended 31st March, 1951, furnished by Mr Paul, who is an ordinary resident, ascertain his total income and the amount of income entitled to income-tax relief His income and expenditure for the year consists of the following items —

	Income	Rs
1	Property Rents	78,000
2	Share of profits—	
	X & Co (Registered)	20,854
	Y & Co (Unregistered)	9,124
3	Remuneration as liquidator	1,40,000
4	Profits of his own business	96,000
5	Interest on tax-free Government securities	1,20,000
6	Interest on loans	1,80,000
	Expenditure	
1	Property Expenses—	
	Repairs	20 000
	Collecting Charges	4,660
	Ground Rent	2,824
	Insurance Premiums	1,568
2	Salaries and wages	27,000
3	General charges	3,000
4	Reserve for Bad Debts	17,800
5	Interest to mortgages of property	18,000
6	Other interest	72,000

Rs 500 being collection charges in connection with properties has been debited to salaries and wages account by mistake He also owns a property which is used solely as his residence and the municipal valuation of which is Rs 90,000 Insurance premium and ground rent for the same amounted to 2,976 rupees, which is not included in any figure stated above

Solution —

			Rs	
1	Income from property—			
	Rent of property let		78,000	
	Less allowance for local taxes		8,666	
	Annual value of property let		69 334	
	Less 1/6 for repairs	11,555		
	Ground rent	2,824		
	Insurance	1,568		
	Interest on mortgage	18,000		
	Collection Charges 6%	4,159	38,106	31,228
	Annual Value of property occupied restricted to 10% of total income		53,752	
	Less 1/6 for repair	8,958		
	Insurance etc	2,976	11,934	41,818
			Rs	73,046
2	Interest on securities (tax-free)			1,20,000
3	Business Registered firm		20,854	
	Unregistered firm		9,124	
	Business loss		—5,500	24,478
4	Other Sources—			
	Interest on loans		1,80,000	
	Remuneration of liquidator		1,40,000	3,20,000
	Total Income		Rs	5,37 524

Exempted Income.

1	Tax-free interest	1,20,000
2	Profits from unregistered firm	9,124
	Rs	1,29,124

The loss of Rs 5,500 is computed as follows

Gross profit from proprietory business		96 000
Less Salaries and wages	26,500	
General expenses	3,000	
Interest	72,000	1,01,500
Loss		5,500

(Q 28)

The following information relates to the income of an assessee who is resident and ordinary resident for the year ended 31st March, 1951 —

1 He owns a house, one-fourth of which is used for his residence and the remainder is let at Rs. 400 per month His agent charged one-sixth of the rent as his commission

2 Dividend Rs 9,000 received from a tea company assessed on 50% of its profits.

3 Monthly salary Rs. 4,000 He was on leave for four months ex-India Two month's leave salary was drawn ex-India and the balance of leave salary was drawn in India on return from leave during the following year

Compute his total income for the asssesment year 1951-52

Solution —

			Rs
1	Salary		48,000
2	Income from property—		
	Rent from property let	4,800	

Less local taxes allowance		533	
Annual value of property let		4,267	
Annual value of residence on the basis of rent of portion let		1,600	
Annual value of whole property		5,867	
Less 1|6 for repairs	977		
Collection charges 6% on Rs 4,267	256	1,233	4,634
3. Dividend gross (at 4 as per rupee)			10,286
Total Income			62,920

(Q 29)

From the following information calculate the total income, earned income relief, and the exempted income of an individual

1 Income tax deducted from salary Rs 1,500

2 Interest at 9% p a credited to the Provident Fund Rs 1,200

3 Life Insurance premium paid Rs 1,500

4 Dividends received Rs 4,400, income tax payable being Rs 2,000

5 Employer's contribution to his Provident Fund Rs 1,800

6 His contribution to Recognized Provident Fund Rs 1,800

7 Salary after deduction of Provident Fund contribution and income tax Rs 14,700

Solution —

1 Salary	18,000	
Employers contribution to P F.	1,800	
Interest on provident fund	1,200	21,000

2	Dividend gross	6,400
	Total Income	27,400

Earned Income Relief Rs 4,000

Exempted income—

1	Contributions to P F restricted to one-sixth salary	3 000
2	Insurance Premium	1,066
3	P F Interest restricted to 6%	800
		4,866

(Q 30)

The following are the particulars of the income of Mr Satya, a Government servant, for the year ended 31st March, 1951 —

1 He owns two bungalows, one of which is let at Rs 140 per month and the other (whose annual value is Rs 850) is occupied by him for his own residence He pays Rs 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 210 per year in respect of the second

2 Salary Rs 750 per month out of which he contributes 1 anna in the rupee to a Provident Fund to which his employer contributes an equal amount

3. His income from investments during the year was as follows —

(i) Rs 5,000 5% tax-free Government securities

(ii) Rs 8,000 6% preference shares in a Sugar Mill Company.

4 He pays an annual Insurance premium of Rs 1,250

Ascertain his total income, assessable income, and exempted income for the assessment year 1951-52

Solution .—

				Rs.
1	Salary			9,000
2	Interest on Securities			250
3	Property income—			
	Annual value of both bungalows after allowing for local taxes in respect of the rent received		2,344	
	Less 1|6 for repairs	391		
	Ground rent etc	360	751	1,593
4	Dividend (Gross)			480
	Total Income			11,323

	Rs.
Total Income	11,323
Earned income allowance	1,800
Assessable Income	9,523

Exempted Income

1	Provident Fund Contribution	562
2	Insurance premium	1,250
3	Tax free interest	250
		2,062

(Q 31)

The taxable income of Mr X, an ordinary resident, for the year ended 31st March, 1951 consisted of salary Rs 5,000, property income Rs 6,000, interest on securities gross Rs 5,000 and dividends gross Rs 3,000 Calculate the amount of Income-tax payable for the assessment year 1951-52

Solution —

		Gross amount	*Income tax deducted at source*		
1	Salary	5,000	117	3	0
2	Interest on Securities	5,000	1,250	0	0
3	Property income	6,000			
4	Dividends gross	3,000	750	0	0
	Total Income	19,000	2,117	3	0
	E I allowance	1,000			
	Assessable Income	18,000			

(1) Gross income-tax on Rs. 18,000 at 1950-51 rate Rs 2,398-7-0
Therefore proportionate Income-tax on Rs 12,000 (i e salary, interest and dividend) — 1,598 15 0

(2) Gross Income tax on Rs 18,000 at 1951-52 rates Rs 2,518
Therefore proportionate Income-tax on Rs 6,000 being property income — 839 7 0

Gross income-tax on assessable income	2,438	6	0
Less income tax collected at source	2,117	3	0
Income tax payable	321	3	0

(Q. 32)

From the following particulars, find out the income tax payable by Mr A for the assessment year 1952-53 —

(i) Salary of Rs 400 p m

(ii) Interest on 4% Republican Bonds (investment being 12,000)

(iii) Income from house property—Rs 1,800 (annual value being Rs 1,500)

(iv) Director's fees Rs 850

(v) Business profits Rs 1,500

(vi) Interest on 3% (free of tax) India Victory Loans on an investment of Rs 5,000

(vii) Life Insurance premiums paid by Mr A during the year Rs 2,700

Solution —

Income Tax Notes —

(1) Income from salary 400 p m		4,800
Less earned income allowance 1/5		960
Taxable income from salary		3,840
Therefore tax deductible at source at 1951-52 year rates—		
On 1,500	Nil	Nil
On 2,340	@-/-/9	109 11 0
Tax deducted at source		109 11 0

(No surcharge will be charged at source as income does not exceed 7,200)

(2) Interest on securities —

Interest on 4% Republican bonds of 12,000	480
Tax deducted at souce $\frac{480 \times 21}{80}$	126
Interest on free of tax India Victory Loan at 3% on 5,000	150
Total income from Interest on securities = (480 — 150)	630

(3) Income from property :—

Income from house	1,800
Less ⅛ for local taxes	200
Annual value	1,600
Less 1/6th for repairs	267
Taxable income	1,333

(4) Profits and gains from business, profession or vocation :—

Business profits	1,500
Less Earned Income Relief	300
Taxable	1,200

(5) Income from other sources :—

Directors fees	850
Less earned income	170
Taxable	680

Assessment of Mr. A for the assessment year 1952-53

Sources of income		Amount of income, profits or gains	Tax already charged or deducted at source
(1) Income from salary		4,800	109 11 0
(2) Interest on securities			
Ordinary securities	480		
Tax free securities	150	630	126 0 0
(3) Income from property		1,333	—
(4) Profits from business profession or vocation		1,500	—
(5) Income from other sources		850	—
Total		9,113	235 11 0

Less earned income relief on 1|5 (4,800 + 1,500 + 850) = 715 × 1|5	1,430	
Taxable income	7,683	

Income-tax on 7,683 @ 1952-53 years rate

1,500	Nil	Nil
3,500	@ -|-|9	164 1 0
2,683	@ -|1|9	293 7 0
		457 8 0
Add 5% surcharge		22 14 0
Gross tax liability		480 6 0

Exempted incomes —		
Interest on tax free Govt. Securities	150 0 0	
Life Insurance premium 1|6 of 9,113	1,519 0 0	1,669 0 0

Relief on exempted income $= \frac{(480-6) \times 1,669}{7,683} =$ 104 6 0

Gross Tax Liability		480 6 0
Less Relief on exempted income	104 6 0	
Less tax deducted at the source	235 11 0	340 1 0
Tax payable		140 5 0

(Q 33)

The following are the particulars of the income of Dr Robinson, a medical practitioner, employed in a Medical College of Agra for the year ended 31st March, 1952

(a) Salary Rs 750 p m plus house allowance of Rs 150 p m

(b) Share in a chemist shop in which he is a partner The chemist business has been assessed as an un-registered firm (Rs 6,000)

(c) ¼th share in a big bungalow, the net income of which after deducting all allowances comes to Rs 6,000

(d) Dividend from (1) Delhi Cloth Mills Ltd, Rs 6,000
(2) Agricultural Products Ltd, 7,000 (50% of the income of this company is exempted from tax being agricultural)

(e) He and his wife are insured, for Rs 20,000 The annual premium comes to Rs. 3,000

(f) His investments in the previous year were—
(1) Rs 5,000 in 5% tax-free Govt Securities
(2) Rs 2,000 in Post Office Savings A|c (Int Rs 30)

It is also found that his wife, who is also a professor in a college and had received Rs 50,000 from her father, had invested the same in the chemist shop and her share in its profits was 25% amounting to Rs 6,000

Calculate his total income, assessable income and exempted income for the assessment year 1952-53

Solution —

(1) Income from salary —		
Salary proper	9,000	
Allowances	1,800	10,800
(2) Interest on securities —		
Tax free 5% of 5,000		250
(3) Income from property —		
¼ of 6,000		1,500
(4) Profits from business, profession or vocation —		

Share in the un-registered firm —		
Assessee's share	6,000	
Assessee's wife's share	6,000	12,000
(5) Income from other sources .—		
Dividend (Gross) = 6,000 × $\frac{80}{59}$		
Of Delhi Cloth Mills Ltd,	8,135	
Of Agricultural Products Ltd		
= 7000 × $\frac{800}{695}$=	8,050	16,185
Total income		40,735
Less earned income allowance on (10,800) 1|5		2,160
Assessable income		38,575

Exempted Income —

Share in unregistered firm =	12,000
Tax-free Govt Securities	250
Insurance premiums restricted to 1|10th of the value of policies	2,000
	14,250

Income tax will be charged on 38,575 Less 14,250 =	24,325
at the average rate applicable to an income of	38,575

Super tax shall be charged on 40,735

(Q 34)

From the following particulars of income of Shri L B Saxena, a Govt servant for the year ended 31st March, 1952, you are to ascertain his total income, taxable income and also the amount of exempted income

(1) Salary for the year Rs 6,000. Travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs 1,500 while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs 1,000 only

(2) He contributed 6¼% of his salary to the Government Provident Fund (under Act 1925), the Government also contributes the same amount

(3) His income from property is as follows —

(a) 1st house let at Rs 100 p m (annual letting value 1,000) payment for ground rent and insurance charges being Rs 100 only

(b) 2nd house occupied by him for his own residence annual letting value being 2,000

(4) His income from investments was (1) from Tata Debentures Rs 500 only, (2) Dividend gross Rs 800 from Modi-Soap Company

(5) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of of his wife

Solution —

Assessment of Shri L B Saxena for the year 1952-53

(1) Salary		6,000
(2) Interest on securities		
Gross $= 500 \times \frac{80}{59} =$		678
(3) Income from property —		
1st house rental value	1,200	
Less ⅑th for local taxes	133	
Annual value	1,067	
Less 1/6th for repairs	178	

		889	
Less Insurance and ground rent		100	
		789	
2nd house, annual value restricted to			
1|10th of the total income 902			
Less 1|6th for repairs	150	752	1,541
(4) Income from other sources —			
Dividend gross			800
Total income			9,019
Less earned income relief on 6,000			1,200
Assessable income			7,819

Exempted Income —

Provident Fund contribution	375
Insurance premium on his life and on his wife's life	1,000
	1,375

Calculation of the Annual value of the 2nd house
= 6|85 (6,000 + 800 + 621 + 789) = 902

(Q 35)

Following are the particulars of Mr S P Jain (an ordinary resident) for the year ended 31st March, 1952 Compute his total income, taxable income and exempted income for the assessment year 1952-53

(1) Salary for 8 months at the rate of Rs 250 p m 5% of the salary was contributed to an unrecognised provident fund which is being maintained by his employer

(2) On 1st of September, 1951, he was retrenched by his employer He got Rs 10,000 from his privident fund (which sum included Rs 7,000 for his own contribution and interest thereon). He was also paid a sum of Rs 8,000 as compensation for the loss of employment

(3) He received during the year—

(a) Rs 5,000 on account of endowment policy (b) Post Office Savings Bank interest 5% (c) Rs 300 from tuitions

(4) Rs 1,000 as his share from income of a H U F

(5) Rs 300 as dividend from a Coal Company

(6) He received Rs 5,000 as his share of profits from a registered firm Another Rs. 1,000 were received by him as ½ share in the unregistered firm (He was not actively engaged in either firm)

(7) His income from property was as follows —

- (1) 1st house let out at Rs 100 p m
- (2) 2nd house completed on 31st January, 1950, let at Rs 200 p m He borrowed Rs 10,000 @ 6% per annum for its construction Annual value of the house is Rs 2,000
- (3) 3rd house occupied by him for his own residence, annual value Rs 600

(8) He pays Rs 400 as insurance premium on his life

Solution —

Assessment of Mr S P Jain for the year 1952-53

(1)	Income from salary —		
	Salary @ 250 for 8 months	2,000	
	Provident fund money over and above his own contribution and interest thereon (10,000—7,500)	2,500	4,500

(3) Income from property —			
1st house rental value	1,200		
Less 1/8 for local taxes	133		
Annual value	1,067		
Less 1/6th for repairs	178	889	
2nd house income is not taxable			
3rd house annual value	600		
Less 1/6th for repairs	100	500	1,389
(4) Profits from business, profession or vocation —			
Shares of profit from a registered firm		500	
½ share of profit from unregistered firm		1,000	1,500
(5) Income from Other Sources —			
Tuition fee		300	
Dividend Gross $300 \times \frac{80}{59}$		407	707
Total income			8,096
Less earned income allowance 1/5 of 4,800			960
Taxable income			7,136

Exempted income :—

Life insurance premium	400	

NOTES —

(1) Amount received on account of endowment policy and compensation for loss of employment are not taxable

(2) Share from an H U F is altogether exempt

(3) Unregistered firm is also treated as registered as its total income does not reach the taxable limit

(Q 36)

Ramesh has the following income in the accounting period ending 31-3-1952 —

Income from Business

A Business Profit 20,000

B Business Profit 25,000

C Business Loss 55,000

Income from property Rs 3,000 (net)

Income from Dividends Rs 2,000 (gross)

Income from share in a registered firm Rs 4,000

Solution .—

In this case the computation shall be as under —

Income under the head business		Rs 20,000 + Rs 25,000
		Less Loss Rs 55,000
		= Loss Rs 10,000
Less share in the registered firm		4,000
Balance of loss from business		6,000
Less income from property	3,000	
Dividends	2,000	5,000
Net Loss		1,000

The loss of Rs 1,000 shall be carried forward and set off under section 24(2) from the C business only for subsequent six years

(Q 37)

For the year ended 31st March, 1952, Dr Bhatnagar had income from the following sources

	Rs
(a) Income from Profession	50,000
(b) Income from Ground rent	10,000
(c) Income from Dividend (gross)	15,000
(d) Income from property determined in accordance with the provision of section 9 of Income Tax Act	30,000

The property in item (d) is a new property the errection of which was begun on 1st April, 1951 and completed on 30th September, 1951

Dr Bhatnagar has made an irrevocable deed of trust settlement on 1st April, 1951, for Rs 5,00,000 The trust deed, *inter alia,* provided as under —

The whole of the income of the trust to belong to Mrs Bhatnagar absolutely during her life time and after her demise the whole income to be enjoyed by Dr Bhatnagar if he would survive his wife

The whole of the trust funds consisted of shares in Joint Stock Companies

During the year ended 31st March, 1952, dividends of Rs 30,000 (gross) were received and the amount paid to Mrs Bhatnagar

On 30th March, 1952, all the said shares held by the trust on account of trust investments were sold, pursuant to the powers vested in the trustees in that behalf, which empowered the trustees to charge and vary the trust investments from time to time as the trustees thought best in their absolute discretion The amount realised on the sale of these shares was Rs 6,00,000

Compute statement of tax liability of Dr Bhatnagar for the assessment year 1952-53 You are not required to calculate the actual amount of tax payable by Dr Bhatnagar

Solution .—

Assessment of Dr Bhatnagar for the assessment year 1952-53

		Gross Income	*Tax deducted at source*
Profits from business, profession or vocation		50,000	—
Income from other sources —			
Income from Ground rent	10,000		
Income from Dividend	15,000		3,937-8-0
Income from Dividend out of the investments of the funds of irrevocable trust	30,000	55,000	7,875-0-0
Total income		1,05,000	11.812-8-0
Less earned income relief (maximum)		4,000	
Assessable income		1,01,000	

Income Tax will be calculated on 1,01,000 at the rates applicable in the assessment year 1952-53

In this Income tax will be added the Super tax on 1.05,000 at the rates applicable in the assessment year 1952-53

Out of the total will be deducted 11,812-8-0 *i e* tax deducted at the source

The Balance will be the tax liability of Dr. Bhatnagar

NOTE —Income from the investments of an irrevocable trust of the above mentioned type should be included in the income of the settler under section 16 (1) (c) Moreover, the trust is in favour of the wife and so it should also be included in the income of the husband under section 16(3).

But the profit from the sale of the investments of the trust is a capital profit and so not taxable.

(Q 38)

Mr Raj Kumar is the manager of a firm drawing a salary of Rs 320 p m He is provided with a rent-free house whose rental value is 400 He contributes $1\frac{1}{2}$ annas in the Rupee to a recognised provident fund to which the employer contributes an equal amount The interest on his provident fund at the rate of 8% per annum amounted to Rs 1,500 He received two months' salary as bonus during the year Motor car allowance granted to him is Rs 45 p m He is also provided with an orderly who is paid by the firm Rs 35 p m On his out-station visits he got travelling allowances amounting to Rs 500 but he spent Rs 400 only

He holds 3% free of tax Govt securities of the value of 10,000, and 4% war bonds of the value of Rs 5,000 which he purchased from a loan from a friend who charged interest amounting to Rs 100 Collection charges incurred in connection with war bonds amounted to Rs 50

He owns several properties the annual letting value of which amounts to Rs 25,000 including Rs 7,000 for a bungalow in Simla where he resides in summer He claims the following expenses on several properties, *viz* Rs 100 for insurance premium, Rs 700 interest on mortgage, Rs 600 for vacancy allowance Rs 25 for ground rent, Rs 10 for land revenue, and Rs 1,200 for rent collection charges

His income from a registered firm, in which he is a financing partner, is Rs 2,000 From an unregistered firm where too he is a sleeping partner, his share of profit is Rs 5,000 In an other unregistered firm where he is a working partner, his $\frac{1}{2}$ share of profit is 1,000

His share of income from a Hindu Undivided Family is Rs 4,000

He holds following investments in some private concerns

(i) Rs 1,000 on which 5% free of tax dividend is declared

(ii) Rs 2,000 on which 6% less tax dividend is declared

(iii) His income from dividend which was less tax amounted to Rs 590

(iv) Further his income from dividend less tax from a concern whose 60% profits are taxable amounted to Rs 600

During the year he paid the insurance premium 5,000 on policies worth 45,000

Calculate his Income tax and Super tax liability for the assessment year 1952-53, assuming that appropriate tax has been deducted at source also calculate the amount of tax payable

Solution —

Income Tax Notes

(1) *Income from Salary* —			
Actual salary @ 320 p m		3,840	
Rental value of the house restricted to 1/10 of salary		384	
Employer's contribution		360	
Interest on Provident Fund		1,500	
Bonus		640	
Motor car allowance		540	
		7,264	
Less earned Income Allowance		1,453	
Assessable income form salary			5,811
Exempted income —			
Employer's Provident Fund contribution	360		
Employee's Provident Fund contribution	360		
	720		

Allowable 1|6 of 3840 — 640

Interest on P F @ 8% 1,500 × $\frac{|6}{8}$ =1125

Allowable 1,765

Income tax on 5,811 @1951-52 year's rates which will be deducted at source

On	1,500	Nil	Nil
On	3,500	-|-|9	164 1 0
On	811	-|1|9	88 11 0
			252 12 0
Add 5% surcharge			12 10 0
			256 6 0

Less relief on exempted income

$256\text{-}6 \times \frac{1765}{5811}$ — 80 8 0

184 14 0

Tax deducted at source —

		Gross income	Tax deducted at source
(2) *Interest on Securities* —			
Interest on 3% tax free Govt Securities		300	—
Interest on 4% War bonds	200		52 8 0
Less interest on loan and collection charges	150	50	
		350	52 8 0

(3) *Income from Property :—*

Annual rental value of the property let		18,000	
Less ⅑th for local taxes		2,000	
Annual value of the property let		16,000	
Less 1/6th for repairs	2,667		
„ proportionate Ins Pre	72		
„ Int on	504		
Mortgage	504		
„ vacancy allowance	500		
proportionate ground rent	18		
„ proportionate Land Revenue	7		
Less Rent Collection charges restricted to 6% of Annual Value	960	4,728	
Assessable income from property let			11,272 0 0
Annual value of the property in which he himself resides restricted 1/10th of the total income		3,093	
Less 1/6th for repairs	516		
„ proportionate Ins Pre	28		
„ proportionate ground rent	7		
„ proportionate Land Revenue	3		
„ proportionate Int on Mortgage	196	750	
Assessable income from residential property			2,343 0 0
Taxable income from property			13,615 0 0

(4) *Profit from Business, Profession or Vocation* —

Income from Registered firm (Financing partner)	2,000
Income from unregistered firm (Financing partner)	5,000
Income from unregistered firm ⅕ share where he is a working partner	1,000
	8,000

Unregistered firm will be treated as regeistered as its total income (2,000) does not reach the taxable limit and so earned income relief will be allowed to the partners, *i e*, 1|5 of 1,000 =200

Share of income from a Hindu Undivided Family is not taken into account

(5) *Income from Other Sources* —

	Gross income	Tax deducted at source
Dividend 5% free of tax on 1.000 $=50\times\frac{80}{89}$	67 13 0	17 13 0
Dividend 6% less tax on 2,000	120 0 0	31 8 0
Income from dividend less tax =590 grossed up $590\times\frac{80}{59}$	800 0 0	210 0 0
Income from dividend less tax of a company whose 60% profits are taxable $= 600\times\frac{400}{327}$	712 3 0	112 3 0
Taxable income from other source	1,700 0 0	371 8 0

Assessment of Mr Raj Kumar for the year 1952-53

Source of Income	Gross income			Tax deducted at source		
(1) Income from salary	7,264	0	0	184	14	0
(2) Interest on securities	350	0	0	52	8	0
(3) Income from property	13,615	0	0	—		
(4) Profits from business, profession or vocation	8,000	0	0	—		
(5) Income from other sources	1,700	0	0	371	8	0
Total income	30,929	0	0	608	14	0
Less earned income relief on (7,264 + 1,000) = 1/5 of 8,264	1,653	0	0	—		
Assessable income	29,276	0	0			

Income tax on 29,276 @ the rates applicable to 1952-53 —

	Rate			
On 1,500	Nil	Nil		
On 3,500	-|-|9	164	1	0
On 5,000	-|1|9	546	14	0
On 5,000	-|3|-	937	8	0
On 5,000	-|4|-	1,250	0	0
On 9,276	-|4|-	2,319	0	0
		5,217	7	0
Add 5% surcharge		260	14	0
Gross income tax liability		5,478	5	0

Exempted Income —

Employer's contribution plus employee's contribution restricted to 1/6 of salary 640

Insurance Premium	Employer's contribution plus employee's contribution plus insurance premium should not exceed total income exclusive of employer's contributions and interest thereon i e 1|6th of (30,929 — 1,860) = 1|6 29,069 = 4,845

Therefore Insurance premium admissible = 4,845—640= 4,205, which is less than 1|10th of 4,500 and so admissible

Interest on provident fund restricted to 6%	1,125 0 0	
Interest on tax free Govt Securities	300 0 0	
Share of unregistered firm	5 000 0 0	

Total exempted income =(640+4205=1,125+300+5,000)
=11,270

Gross income tax liability		5,478 5 0
Less Relief on exempted income of 11,270 $\frac{(5478\text{-}5\text{-}0)—11,270}{29,276}$	=2,108 13 0	
Less tax deducted at source	608 14 0	
		2,717 11 0
Income tax liability		2,760 10 0

Super tax on 30,929 @ 1952-53 years rate—

25,000	Nil	Nil
5,929	@ -|3|-	1,111 11 0

	1,111 11 0	
Add 5% surcharge	55 9 0	
Super-tax liability		1,167 4 0
Tax payable by Mr Raj Kumar		3,927 14 0

(Q 39)

Calculate the amount of tax payable by a non-resident for the assessment year 1952-53 in the following cases —

(a) Total income Rs 40,000 He does not elect to be assessable at that rate applicable to his world income

(b) Total income Rs 1,00,000 He does not elect to be assessable at the rate applicable to his world income

(c) Total income Rs 40,000 and total world income Rs 1,00,000 He has elected to be assessable at the rate applicable to his world income

(d) Total income Rs 1,00,000 and total world income Rs 2,00,000 He has elected to be assessable at the rate applicable to his world income

Solution —

All non-residents (other than companies) are chargeable to income-tax at the maximum rate and to super-tax at the rate applicable to the slab next to the slab exempt from super-tax or the super-tax which would be payable if he were a resident, whichever is greater

But all non-residents are, however, given an opportunity to exercise within a reasonable time limit, the option of being assessed at the rate applicable to their total world income, the option once exercised is irrevocable

According to these rules, the amount of tax payable in the four cases will be as follows —

	Rs	as	p
(a) Income tax at 4 as plus 5% surcharge on 40,000	10,500	0	0
Super tax at 3 as plus 5% surcharge on 40,000	7,875	0	0
Total payable	18,375	0	0

	Rs	as	p
(b) Income tax @ 4 as plus 5% surcharge on 1,00,000	26,250	0	0
Super tax on Rs 1,00,000 at the rates applicable to a resident having the same income	19,687	8	0
Total tax payable	45,937	8	0

In this case super-tax will not be calculated at the flat rate of 3as plus 5% surcharge, because if the income of a non-resident exceeds 73,750, then the super-tax at the above rate is lesser than the super-tax at the rates applicable to a resident and as the income is 1,00,000 the super-tax will be charged at the rates applicable to a resident having same income and thus getting more tax

(c) Income tax on the total income of Rs 1,00,000 @ 1952-53 rates with surcharge	24,043	5	9			
Therefore proportionate amount of income tax on the total income of 40,000				9,617	8	6
Super tax on the total world income of						

Rs 1,00,000 at the rates of 1952-53 with the surcharge	27,070 5 0	
Therefore proportionate amount of super tax on the total income of 40,000		10,8282 0
Tax payable for the year 1952-53		20,445 10 6
(d) Income tax on the total world income of Rs 2,00,000 @ 1952-53 rates with surcharge	50,293 5 9	
Therefore proportionate amount of tax on the total income of 1,00,000		25,146 10 10
Super tax on 2,00,000 the total world income at the rate applicable in 1952-53 with surcharge	81,210 15 0	
Therefore proportionate amount of super tax on the total income of 1,00,000		40,605 7 6
Total tax payable for the assessment year (1952-53)		65,752 2 4

(Q 40)

The income of an individual consists of the following for the year 1951-52 —

1 He is employed in National Engineering Co, Bombay on a monthly salary of Rs 520

2 He holds Government of India Bonds (Free of tax) the income being Rs 5,000

3 He received dividend from Amrit Vanaspati Co, Rs 500 (Gross)

4 His share of partnership firm in India is Rs 2,000

5 He incurred a loss on property Rs 740

6 He remitted to India through his friend Rs 10,000 out of his income earned in England

7 Besides the above money remitted, his foreign income from a business controlled in India is Rs 15,500

8 His interest in a foreign firm in India is Rs 5,000

9 Foreign property income Rs 1,500

Last year he incurred a loss of Rs 2,000 in connection with business controlled in India referred to in (7), and a loss of Rs 1,000 in connection with the item (8)

Compute his taxable income if—

1 He is a Non-Resident

2 He is a Resident but Not Ordinarily Resident

3 He is an Ordinary Resident

Solution —

		Rs
1	Income from salary Rs 520 × 12 =	6,240
2	Interest on security—	
	Tax-free Govt Bonds	5,000
3	Income from property—under this head there is a loss of	740
4	Income from Business, Profession and Vocation	
	Business profit (in India)	2,000
	Foreign business income (Rs 5,000—Rs 1,000)	4,000
5	Income from Other Sources —	
	(i) Dividends from Vanaspati Co	500
	(ii) Foreign remitted income	10,000

(iii) Unremitted income from a business controlled in India (Rs 15,500—Rs 2,000) 13,500

Name

Status — Individual.

For the year —1951-52

Taxable income will be—

	Particulars	R &O R Rs.	R & N O R Rs.	N Resident- Rs
1	Income from salary	6,240	6,240	6,240
2	Interest on securities	5,000	5,000	5,000
3	Income from Property	—740	—740	—740
4	Income from Business, Profession & Vocation —			
	Indian	2,000	2,000	2,000
	Foreign	4000*	4,000*	4,000*
5	Income from other sources			
	Dividends	500	500	500
	Remitted foreign income	10,000	10,000	
	Unremitted foreign income in excess of Rs 4,500	9,000	9,000	—
	Foreign property income	1,500†	—	—
	Total Income	37,500	36,000	17,000
	Less earned income	2,448	2,448	2,448
	Taxable Income	35,052	33,552	14,552

* Foreign income is earned in taxable territories and actually received by the parties concerned

† The income from foreign house property is assessable only in the case of persons who are ordinary residents of the taxable territories The method of computation for arriving at the bonafide annual value and the deductions permissible therefrom would be as set out in section 9

परिशिष्ट (२)

फाइनेन्स ऐक्ट (१९५२) की मूल बातें

प्रत्येक कर-दाता, जो व्यक्ति-विशेष हो अथवा सयुक्त हिन्दू परिवार अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य कोई सस्था हो, से निम्न दरो पर आय-कर वसूल किया जायगा। ये दरे १९५१ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार निर्धारित की हुई है और १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष पर लागू होती है।

(१)	(२) आय-कर की दर (Rate)	(३) सर-चार्ज (Surcharge)
(अ) कुल आय के प्रथम १५०० रु० पर	कुछ नही	कुछ नही
(ब) कुल आय के अगले ३५०० रु० पर	९ पाई प्रति रु०	द्वितीय कालम मे दी गई दर का १/२०
(स) कुल आय के अगले ५००० रु० पर	१ आ० ९ पा०	"
(द) कुल आय के अगले ५००० रु० पर	३ आने प्रति रु०	"
(य) कुल आय के शेषाश पर	४ आने प्रति रु०	"

यदि किसी व्यक्ति-विशेष की कुल आय ७,२०० रुपये से [सयुक्त हिन्दू परिवार की आय, जिसको ७,२०० रुपये की छूट मिलती है, १४,४०० रु० से] अधिक न हो तो उसको सर-चार्ज (Surcharge) नही देना पडेगा।

ऊपर लिखी हुई दरो के अनुसार कर-दाता की कुल आय पर कर निश्चित करने में निम्न व्यवस्था की गई है —

यदि कुल आय कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहिले, ३६०० रु० से अधिक न हो तो उस पर आय-कर नही लिया जायगा। सयुक्त हिन्दू परिवार, जिसकी कुल आय ७२०० रु० से अधिक न हो, उस पर आय-कर नही लगेगा, यदि—

(१) उस परिवार मे कम से कम दो ऐसे सदस्य हो जिन्हे परिवार का बटवारा कराने का अधिकार हो और दोनो की आयु १८ वर्ष से कम न हो।

(२) उस परिवार मे कम से कम दो ऐसे सदस्य हो, जिन्हे परिवार का बटवारा कराने का अधिकार मिला हो परन्तु उन दोनो मे से कोई भी एक-दूसरे का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न हो और दोनो भी परिवार के किसी तीसरे जीवित सदस्य के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न हो।

१९५१-५२ के असेसमेट वर्ष के लिए कमाई हुई आय की छूट कमाई हुई आय का १/५ है, पर यह छूट किसी भी हालत मे ४००० रु० से अधिक नही हो सकती ।

कमाई हुई आय घटाने से पहिले कुल आय ३६०० रु० (सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए ७२०० रु०) से जितनी अधिक होगी, आय-कर उस पर अधिक राशि के आधे से अधिक नही लिया जायगा ।

कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय पर लिया जानेवाला आय-कर, निम्न दो राशियो मे, जो भी कम हो, से अधिक नही होगा—

(१) वह राशि जिसका कुल आय (कमाई हुई आय की छूट घटाने से पहिले) मे से ३६०० रु० (सयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ७२०० रु०) घटाकर निकाली हुई राशि के आधे के साथ वही अनुपात है जो कमाई

हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय का बिना घटाई हुई कुल आय के साथ है, या

(२) कमाई हुई आय की छूट घटाकर निकाली हुई कुल आय पर निश्चित दरो से निकाली हुई वास्तविक कर-राशि ।

वेतन (कमाई हुई आय घटाकर), सिक्योरिटियो पर प्राप्त ब्याज, लाभाश—इन तीनो पर आय-कर उद्गम-स्थानो पर ही काट लिया जाता है । इसलिए यदि १९५१-५२ के असेसमेट मे इन तीनो मे से कोई भी आय शामिल हो तो उस आय पर १९५० के फाइनेस ऐक्ट मे पास की गई कर की दरे लागू होगी और शेष आय पर १९५१ के फाइनेस ऐक्ट मे पास की गई दरे लगाई जायेगी । आय-कर इस प्रकार निकाला जायगा —

(१) पहिले कुल आय पर १९५० की दरो के अनुसार कुल कर मालूम कर लिया जायगा और उससे औसत दर निकाल कर वेतन, व्याज तथा लाभाग की कुल राशि पर कर मालूम कर लिया जायगा ।

(२) फिर कुल आय पर १९५१ की दरो के अनुसार कुल कर मालूम कर लिया जायगा और उससे औसत-दर निकाल कर कुल आय की शेष राशि पर कर निकाल लिया जायगा ।

(३) अन्त मे, इन दोनो कर-राशियो को जोड लिया जायगा। यही रकम १९५१-५२ के असेसमैण्ट वर्ष का कर होगा।

कम्पनियो के लिए आय-कर की दर उनकी कुल आय पर ४ आने प्रति रुपया निश्चित की गई है । उसके अतिरिक्त उनको इस कर का ५% सर-चार्ज (Surcharge) के रूप मे देना पडता है ।

स्थानीय सत्ता-सस्थाओ तथा अन्य उन सभी करदाताओ पर जिनको अधिकाधिक दर से कर देना पडता है, कर की ये ही दरे (अर्थात् ४ आना प्रति रुपया और कर का ५% सर-चार्ज) लागू होती है ।

१९५१ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक परदेशी को १९५१-५२ के असेसमेट से अधिकाधिक दर के हिसाब से कर देना पडेगा चाहे उनकी आय कितनी ही क्यो न हो ।

यदि किसी कर-दाता की कुल आय मे ऐसी आय शामिल हो, जिस पर आय-कर विधान के अनुसार कर की छूट स्वीकृत की जाय तो ऐसी स्थिति मे पहिले कुल आय पर कर निकाला जायगा और फिर औसत-दर मालूम करके छूट घटाकर निकाली हुई शेष आय पर कर मालूम कर लिया जायगा ।

अतिरिक्त-कर तथा कर की दरे

प्रत्येक कर-दाता, जो व्यक्ति-विशेष हो अथवा सयुक्त हिन्दू परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य कोई सस्था हो, से निम्न दरो पर अतिरिक्त-कर वसूल किया जायगा। ये दरें १९५१-५२ के फाइनेस ऐक्ट के अनुसार निश्चित की गई है और १९५१-५२ के असेसमेट वर्ष पर लागू होती है —

(१)	(२) अतिरिक्त-कर की दरे (Rate)	(३) सर-चार्ज (Surcharge)
(अ) कुल आय के प्रथम २५००० रु०	पर कुछ नही	कुछ नही
(ब) „ „ अगले १५००० „	३ आ० प्रति रु०	द्वितीय कॉलम मे दी गई दर का ५%

(स)	कुल आय के अगले	१५००० रु० पर	४ आ० प्रति रु०	"
(द)	" "	१५००० "	६ आ० प्रति रु०	"
(य)	" "	१५००० "	७ आ० प्रति रु०	"
(फ)	" "	१५००० "	७ आ० ६ पा०	"
(ह)	कुल आय के अगले	५०००० "	८ आ० प्रति रु०	"
(ट)	कुल आय की शेष राशि पर		८ आ० ६ पा०	"

प्रत्येक स्थानीय सत्तासस्था को अपनी कुल आय पर २½ आने प्रति रुपया की दर से अतिरिक्त-कर और इस कर पर ३ पाई प्रति रुपया सरचार्ज (Surcharge) देना पडता है।

प्रत्येक कम्पनी को अपनी कुल आय पर ४ आने ६ पाई प्रति रुपया के हिसाब से अतिरिक्त-कर देना पडता है।

अतिरिक्त-कर निकालने में कमाई हुई आय की छूट देने की कोई व्यवस्था नही है।

यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म ने अतिरिक्त-कर दिया है तो ऐसी फर्म के हिस्सेदार की इस फर्म से होनेवाली आय उसकी कुल आय मे अतिरिक्त-कर निकालने के लिए नही जोडी जायगी।

यदि किसी कर-दाता की कुल आय पर अतिरिक्त-कर लगाते समय उसकी कुल आय मे वेतन की राशि शामिल हो तो इस राशि पर अतिरिक्त-कर १९५० की दरो पर निकाला जायगा और शेष आय पर १९५१ की दरो पर निकाला जायगा। अतिरिक्त-कर इस प्रकार निकाला जायगा—

(१) पहिले कुल आय पर १९५० की दरो के अनुसार कुल अतिरिक्त-कर मालूम किया जायगा और उससे औसत-दर मालूम करके वेतन की राशि पर कर निकाल लिया जायगा।

(२) फिर कुल आय पर १९५१ की दरो के अनुसार कुल अतिरिक्त-कर मालूम करके औसत-दर निकालकर शेष आय पर कर ज्ञात कर लिया जायगा।

(३) इन दोनों को जोडने से १९५१ के असैसमेंट वर्ष की अतिरिक्त-कर की कुल रकम निकाली जायगी।

१९५२-५३ के असैसमेंट वर्ष के लिए वे ही दरे रक्खी गई हैं जो १९५१-५२ में लागू होती थी।

परिशिष्ट (३)

वार्षिक फाइनेंस ऐक्ट (१९५३)

सन् १९५३-५४ असैसमेंट वर्ष के लिए आयकर और अतिरिक्त-कर की वही दरें हैं जो १९५२-५३ असैसमेंट वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी। यह दरें सन् १९५२ के फाइनेंस ऐक्ट में दी जा चुकी है। (देखें पृष्ठ २१९ से २२४ तक)

सन् १९५३ की अन्य मूल आवश्यक बातें पुस्तक मे उपयुक्त स्थानो पर समझा दी गई है।